खण्ड-107, अंक-3
बुधवार, 5 भाद्रपद, शक संवत् 1874
(27 अगस्त, 1952 ई0)

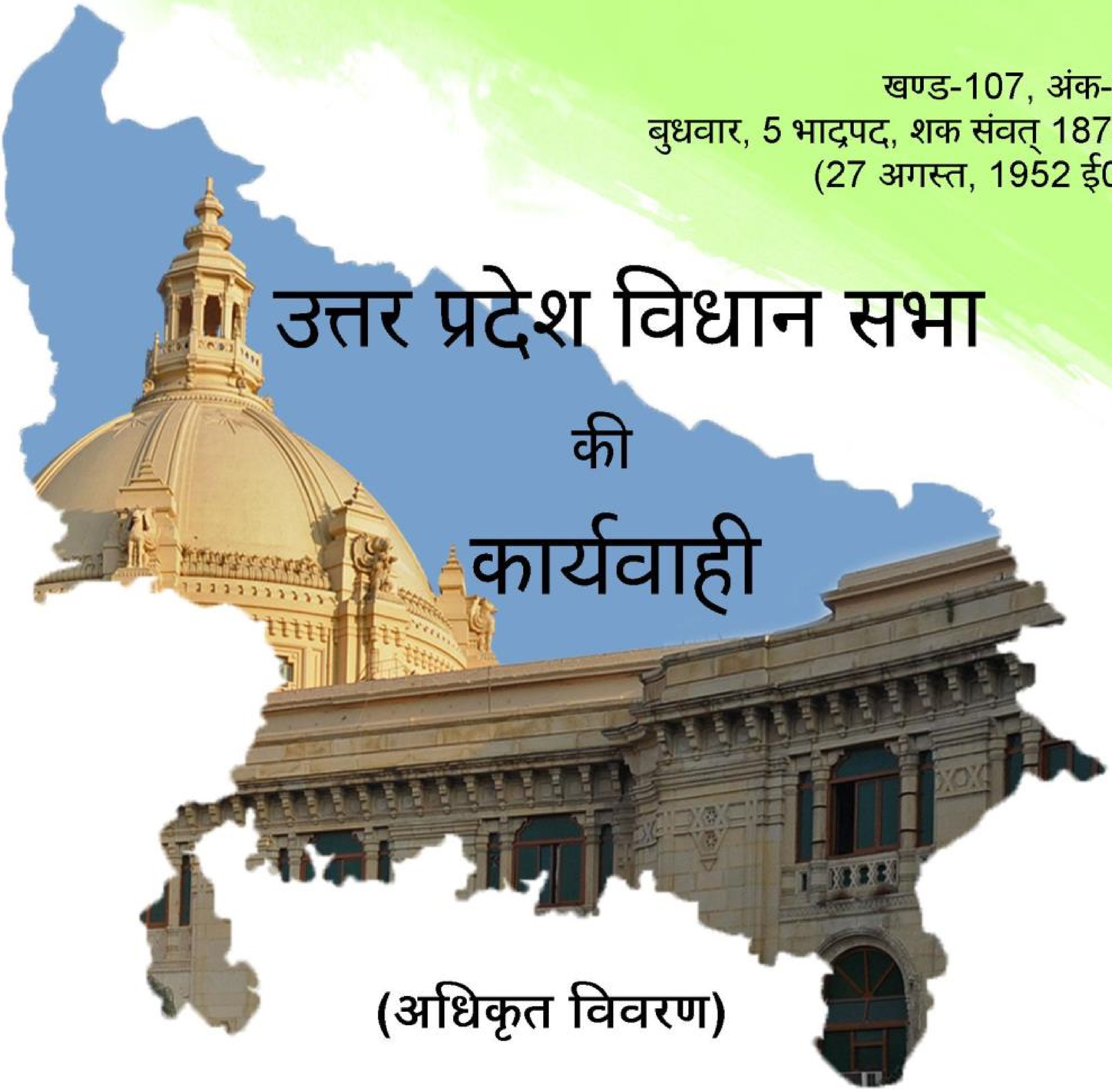

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 107 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २७ अगस्त, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४१)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख़्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली ख़ां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
ख़यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद, पांडेय, श्री
गुलजार, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पंत, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र पाल वाजपेयी, श्री
चन्द्र भानु गुप्त, श्री
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनी सिंह श्री

बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरन लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विववेदी, श्री
रामशंकर रविासी, श्री

रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हमीद खां, श्री
हर खयालसिंह, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

डी कंट्रोल के कारण खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि

*१—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या यह सत्य है कि डी कंट्रोल के कारण उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न की कीमतें बढ़ गई हैं?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—जी हां।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से खाद्यान्न के मूल्य बढ़ते जा चले जा रहे हैं?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—उनका तो जिक्र कर दिया गया और यहां जब खाद्य की परिस्थिति पर बहस हुई थी उस समय भी यह बातें बताई गई थीं। ऐसा समझा जाता है कि कभी कभी काश्तकार गल्ला समय से बाजार में नहीं लाते हैं और कभी कभी दूकानदार गल्ला की कीमतें अधिक बढ़ाकर बेचने की चेष्टा करते हैं। इन कारणों से गल्ले की कीमतें अक्सर बढ़ जाया करती हैं।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतलायेगी कि गल्ले की मौजूदा गरानी इस वजह से है कि लोगों के घरों में गल्ला है और बाजार में नहीं आ रहा है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बिलकुल कैटेगरिकली इस बात को नहीं कहा जा सकता है लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अक्सर गल्ला रहता भी है और बाजार में वह नहीं लाया जाता है, उस कारण दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन सारे प्रदेश के लिये यह एक कैटेगरिकल स्टेटमेंट नहीं किया जा सकता कि गल्ला मौजूद है और गल्ला नहीं लाया जाता है, उस कारण दाम बढ़ते हैं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय अन्न मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्र के अन्न मंत्री महोदय ने उत्तर प्रदेश में डिकंट्रोल के संबंध में कोई विज्ञप्ति दी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हां, एक भाषण केन्द्रीय मंत्री का कौंसिल आफ स्टेट में किन्हीं प्रश्नों के उत्तर में शाया हुआ था।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उसमें यह जिक्र किया गया है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो डिकंट्रोल की योजना को असफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे तो ऐसे व्यक्तियों का और ऐसी संस्थाओं का परिचय नहीं है जो उस योजना को जो हमने बनाई है उसको असफल बनाने की चेष्टा कर रहे हों सिवाय उन लोगों के कि जो तिजारती पेशा हैं या जो अन्न इत्यादि को पैदा करते हैं वे ही कीमतें बढ़ाकर हमारी योजना को असफल बना सकते हैं। अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—क्या माननीय अन्न मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उस भाषण में दी गयी विज्ञप्ति से उत्तर प्रदेश के डिकंट्रोल की नीति का कैसा सम्बंध है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वह भाषण जैसा कि अखबारों में निकला है यदि वह सत्य है तो मैं यह कह सकता हूं कि वह केन्द्रीय सरकार के मंत्री के मर्यादा के विरुद्ध है। उसमें जो बातें कहीं गयी हैं, जैसी कि वे अखबारों में निकली हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें बेजा बात कही गयी है और वास्तविकता के परे बातें कही गयीं हैं।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी---क्या आनरेबिल मिनिस्टर यह बताने की तकलीफ गवारा करेंगे कि व्यापारियों की जो कांफरेंस हुई थी उसके बाद व्यापारियों ने गवर्नमेंट के साथ कोआपरेशन नहीं किया, क्या यही वजह है दाम बढ़ने की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जो मेरी सूचना है, और जो सूचनायें विभिन्न रीजनल फूड कंट्रोलर्स ने दी हैं उनसे मालूम होता है कहीं कहीं ऐसा तो हुआ है कि व्यापारियों ने दाम घटाने का प्रयत्न किया है, खासकर हापुड़ की मंडी के व्यापारियों का जिक्र मेरे पास आया है। परन्तु बहुत ज्यादा जगहें ऐसी हैं जहां व्यापारियों ने दाम को घटाने का कोई प्रयत्न नहीं किया है।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---क्या यह सच है कि सरकार की कंट्रोल की पालिसी उन सिफारिशों के मुताबिक अब चल रही है जो कंट्रोल इंक्वायरी कमेटी सूबे में बिठायी गयी थी, उसमें उसने जो सिफारिशें दी थीं उन्हें इम्प्लीमेंट करने के तौर पर सरकार की पालिसी चल रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---हां, जो नयी नीति हमने बरती है वह उस स्प्रिट के तहत बरती है जो उस कंट्रोल इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की स्प्रिट थी।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या सरकार या खाद्यमंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि जो खाद्यमंत्री केन्द्र ने किसी प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया था उसके बाद यहां की खाद्य समस्या पर असर हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---भाषणों का और विज्ञप्तियों का असर तो कम हुआ करता है।

श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि हमारे उत्तर प्रदेश में डिकंट्रोल योजना सफल नहीं हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उसकी सफलता और असफलता के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमने अभी डिकंट्रोल की नीति कोई नीति के रूप में मानी नहीं है। हमने कुछ कंट्रोल के लिये जो बन्धन थे अभी उनको कुछ कम कर दिया है। यह खाद्यान्न के डिकंट्रोल की नीति सफल हुई या असफल हुई यह भी दो तीन महीने के बाद ही हम बता सकेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की किन किन मंडियों में या जिलों में खाद्यान्न की कीमतें बढ़ी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जब यहां व्यवसाइयों की कानफरेंस हुई थी तो उसके बाद हापुड़ की मंडी में दो तीन दिन तक जैसी पहले कीमतें थीं वह कीमतें घटीं, परन्तु दो तीन दिन के बाद फिर कीमतों का बढ़ना अधिक मंडियों में प्रारम्भ हो गया।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय सबसे ज्यादा कीमत इस बाजार में किस भाव की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है।

श्री राजनारायण---क्या खाद्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि डिकंट्रोल की पालिसी जब से अडाप्ट हुई उसके बाद से उस घोषणा के अनुसार १४ रुपया मन के भाव से कितना गल्ला जब्त किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१४ रुपये मन गल्ला अभी तक वसूल नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार नियंत्रणों के कड़े नियमों को जिन्हें उसने ढीला कर दिया है ढीला रखना चाहती थी यदि प्रारम्भ से ही सरकार उन नियमों को कड़ा कर देती तो जो नीति हमने बन्धनों को घटाने की बरती थी वह बन्धनों के घटाने की नहीं समझी जाती। इसलिये हमने उस नीति को काफी समय देकर चलने के लिये मौका दिया है। यदि उस नीति के चलने में असफलता होगी या दिक्कतें होंगी तो सरकार का अभी तो कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि सरकार ने अपनी नीति में कोई मौलिक परिवर्तन अभी नहीं किया है। वह पुराने तरीके से फिर अपने नियमों को कड़ाई के साथ प्रदेश में लगायेगी और फिर पूर्ववत कार्य चलायेगी।

*२—श्री नेक राम शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि व्यापारियों की कांफरेंस के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न के मूल्य पर कुछ प्रभाव पड़ा है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—व्यापारियों की कांफरेंस के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न के मूल्यों पर अभी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है।

*३—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि खाद्यान्न की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिये उसने अब तक और क्या प्रयत्न किया और कर रही है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—खुले बाजार में जिन विशेष मांगों का खाद्यान्न के भाव पर प्रभाव पड़ता है उनको सीमित करने का प्रबन्ध किया है।

(१) उपभोक्ताओं की मांग को राशनिंग चालू रख कर नियंत्रित कर रखा है।

(२) आटा मिलों की मांग को सरकार ने अपने पास से विदेशी गेहूं देकर पूरा करने का निर्णय किया है।

(३) पूर्वी जिलों के अभाव ग्रस्त क्षेत्रों की माँग भी सरकार कुछ अपने पास से तथा कुछ केन्द्रीय सरकार से मोटा अनाज मंगा कर पूरा रही है। इस प्रकार बाजार पर इन मांगों का दबाव अधिकतर घटाने का प्रबन्ध किया है।

श्री रामकुमार शास्त्री—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि पूर्वी जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों में जैसा कि कहा गया है मोटे अन्न द्वारा वहां के अन्न संकट का निवारण किया जा रहा है और भी प्रकार के गल्ले जैसे गेहूं, चावल इत्यादि को देने का विचार कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक कि अन्य प्रकार के अन्न वितरण का सम्बन्ध है आस्टेरिटी प्राविजनिंग स्कीम के अलावा जो और गल्ला उन क्षेत्रों में जाता है वहां अन्य प्रकार का गल्ला भी भेजा जाता है लेकिन ए० पी० स्कीम के अन्तर्गत तो अभी तक मोटा गल्ला ही भेजा जाता है क्योंकि वह ही सस्ते दर पर वहां के लोगों में वितरण किया जा सकता है।

श्री रामकुमार शास्त्री—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि पूर्वी जिलों में जहां अभावग्रस्त क्षेत्र हैं, मोटे गल्ले में से वह कौन सा गल्ला है जो आज कल ए० पी० शाप्स पर रखा गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तक तो ज्वार व बाजरा था। अब तो मेलो भी जा रहा है और कहीं कहीं चना भी भेजा गया है।

तारांकित प्रश्न

*१-३—श्री रामअनन्त पांडेय (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ १६१ पर]

बाराबंकी के सप्लाई विभाग में एक क्लर्क द्वारा ग़बन

*४—श्री उमाशंकर मिश्र (जिला बाराबंकी)—क्या गवर्नमेंट को यह मालूम है कि जिला बाराबंकी के सप्लाई विभाग में किसी क्लर्क ने ७७५ (सात सौ पचहत्तर रुपयों) का ग़बन किया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी हां।

श्री उमाशंकर मिश्र—क्या यह सही है कि सप्लाई आफिसर को पहले जुज़ रकम का ग़बन करना मालूम हुआ और उन्होंने बग़ैर उसका कुल हिसाब समझे हुए शेष जुज़ रक़म को जमा कराके उसका इस्तीफा लेकर उसको जाने दिया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसी सूचना तो सरकार के पास नहीं है।

श्री उमाशंकर मिश्र—क्या माननीय अन्न मंत्री को यह विदित है कि इससे प्रथम सप्लाई विभाग के क्लर्क को रिश्वत लेते हुए एक मैजिस्ट्रेट द्वारा पकड़ा गया, यदि हां, तो क्या हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसकी भी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

*५—श्री उमाशंकर मिश्र—क्या यह सही है कि उस क्लर्क को वर्तमान सप्लाई आफ़िसर ने ही किसी ग़ैर ज़िले से बुला कर नियुक्त कराया और बग़ैर ज़मानत लिये ही उसको एकाउन्टेंटी, बिल क्लर्की का काम सुपुर्द कर दिया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी नहीं। उससे कोई ज़मानत नहीं ली गई थी।

आंतों के क्षय और अन्य रोगों के लिये सैनिटोरियम की व्यवस्था

*६—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह विदित है कि प्रान्त में आंतों के क्षय और अन्य रोगों के लिए कोई सैनीटोरियम, जहां समुचित व्यवस्था हो, नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

*७—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या वे इस कमी को शीघ्र पूरा करने पर विचार करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आंतों के क्षय तथा आंतों से सम्बन्धित सब रोगों का इलाज हर अस्पताल में किया जाता है इसलिये इन रोगों के लिये अलग सनीटोरियम की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या किसी अस्पताल में आंतों के क्षय की चिकित्सा के लिये कोई विशेष व्यवस्था है और क्या किसी अस्पताल में ऐसे किसी विशेषज्ञ को रखने का प्रयत्न किया गया है ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—मैंने उत्तर में कह दिया कि इस तरह के रोग का इलाज हर अस्पताल में होता है और हर अस्पताल में जो सारे रोगों का इलाज करते हैं वे ही इस रोग का इलाज करते हैं। कोई विशेषज्ञ इस रोग का अस्पतालों में नहीं रखा गया है।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि आंतों के क्षय का रोग प्रान्त में काफी बढ़ रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--क्षय का रोग तो बढ़ रहा है और आंतों का कितना बढ़ रहा है और क्षय रोग में आंतों के रोगी कितने सम्मिलित हैं इसका विवरण इस समय मैं नहीं दे सकता, यदि आप मुझे नोटिस देगें तो मैं उसे बताने की कोशिश करुंगा ।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी किसी टी० बी० के सैनिटोरियम में आंतों के क्षय के विशेषज्ञ को रखने की भी व्यवस्था करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जो क्षय रोग का इलाज करते हैं उनसे यह आशा की जाती है कि वे आंतों के रोग से जो पीड़ित हैं और जिनको क्षय होता है उनका भी इलाज कर सकते हैं ।

*८--श्री देवकीनन्दन विभव--[२९ अगस्त, १९५२ के लिये संख्या १०४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

प्रदेश में कोढ़ीखाने और उनको सरकारी सहायता

*९--श्री बाबू लाल मित्तल (जिला आगरा)--क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने कोढ़ीखाने हैं और कहां कहां हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस प्रदेश में कुल १६ कोढ़ीखाने हैं, जिनकी सूची संलग्न तालिका के पहले खाने में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४३ पर)

*१०--श्री बाबू लाल मित्तल--इन कोढ़ीखानों में से प्रत्येक किस किस सन् में स्थापित हुआ था और इनमें से प्रत्येक में रोगियों की संख्या अब कितनी कितनी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह सूचनाएं संलग्न तालिका के दूसरे और तीसरे खाने में दी हुई हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४३ पर)

*११--श्री बाबू लाल मित्तल--पिछले पांच साल में इनमें से किसी को सरकार ने कोई आर्थिक सहायता दी है ? यदि हां, तो किस किस को और कितनी कितनी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह सूचना संलग्न तालिका के चौथे खाने में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४३ पर)

श्री बाबू लाल मित्तल--क्या माननीय मंत्री जी इसका कोई विशेष कारण बता सकेंगे कि आगरा के कुष्ट चिकित्सालय को केवल १५सौ रुपये की सहायता मिली है जब कि दूसरे चिकित्सालय जहां इससे कम रोगी हैं उनमें किसी को एक लाख, किसी को ७० हजार और किसी को ८० हजार मिले हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह आगरा का चिकित्सालय कदाचित म्यूनिसिपल बोर्ड के अन्तर्गत चल रहा है । उसे वहां का म्यूनिसिपल बोर्ड सहायता प्रदान करता है । आगरा हमारे प्रान्त के प्रमुख नगरों में है और उसकी म्यूनिसिपैलिटी से यह आशा की जाती है कि वह अपने यहां के इस अस्पताल के लिये अपने कोष से अधिक खर्च करे ।

श्री बाबू लाल मित्तल---क्या माननीय मंत्री को यह मालूम है कि म्युनिसिपैलिटी की सहायता होते हुये भी जितनी वहां की जरूरत है वह पूरी नहीं हो पाती ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---तो इस विषय पर सरकार फिर से विचार करेगी और यदि वह सहायता दे सकेगी तो सहायता देने की कोशिश करेगी ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)---क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सड़कों पर पड़े हुये बहुत सारे भिखमंगे कोढ़ियों को हटाने की कोई व्यवस्था सरकार की ओर से होने वाली है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जहां तक प्रदेशीय सरकार का सम्बन्ध है उसने तो कोई नयी व्यवस्था इस सिलसिले में कायम नहीं की है परन्तु सरकार यह आशा अवश्य करती है कि म्युनिसिपैलिटियां इस कार्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर ओढ़ें और जब जब यह विषय उठा है उनसे कहा गया है और आज भी सरकार यह समझती है कि यह कार्य लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीटयूशन्स को अपने हाथों में लेना चाहिये ।

*१२-१३---**श्री गेंदा सिंह** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--- [देखिये आगे पृष्ठ १९१ पर]

हरदोई जिले द्वारा पंचायतों में जुर्माने की वसूली

*१४---**श्रीमती लक्ष्मी देवी** (जिला हरदोई)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में पंचायतों में अभी कितना कितना जुर्माना वसूल हो सका और कितना शेष है ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---गांव पंचायतों में कोई जुर्माना नहीं होता । जिले की पंचायती अदालतों में अब तक कुल जुर्माना ७७ हजार हुआ जिसमें से ३५ हजार बाकी है ।

श्रीमती लक्ष्मी देवी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जुर्माना क्यों बाकी रहा और किन किन ग्राम अदालतों में बाकी है ?

श्री मोहन लाल गौतम---जुर्माना काफी संख्या में बहुत सी जगह बाकी है और उसका मुख्य कारण यही है कि इसके वसूल करने में जितना भी हो सके सख्ती कम की जाय, यह हमारी नीति है । इसीलिये जुर्माना वसूल होने में कुछ देर हो जाती है ।

पंचायत राज के निरीक्षकों के स्थान

*१५---**श्रीमती लक्ष्मी देवी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पंचायत राज्य के इन्स्पेक्टरी की हरदोई जिले में कोई जगह खाली है ?

श्री मोहन लाल गौतम---इस समय पंचायत निरीक्षक की कोई जगह खाली नहीं है ।

हरदोई जिले में ग्राम प्रधानों को बन्दूक के लाइसेंस

*१६---**श्रीमती लक्ष्मी देवी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने ग्राम प्रधानों को हरदोई जिले में बन्दूक के लाइसेंस दिये गये और कितनों ने बन्दूकें खरीदी हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम—हरदोई जिले में ८ ग्राम प्रधानों को बन्दूक के लाइसेंस दिये गये हैं और सबने बन्दूकें खरीद ली हैं।

श्रीमती लक्ष्मी देवी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किन किन ग्राम सभाओं के प्रधानों को लाइसेंस दिये गये और उस क्षेत्र में अपराधों की अब क्या संख्या रहती है?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिये मुझे सूचना चाहिये।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार की यह नीति है कि गांव सभाओं के प्रधानों और मेम्बरों को आजादाना तौर पर आर्म्स के लाइसेंन्स दिये जायं?

श्री मोहनलाल गौतम—आजादाना का अगर मेम्बर साहब का यह मतलब है कि बिना देख भाल किये हुये तो यह ग़लत है, लाइसेंस देने से पहले तहकीकात भी की जाती है।

श्री सुल्तान आलम खां—तो क्या मैं यह समझूं कि इसका मतलब यह है कि सरकार की नीति इस तरह की है कि गांव सभाओं के प्रधान और मेम्बर अगर उनका चाल चलन खराब नहीं है तो वह लायसेंस हासिल कर सकते हैं?

श्री मोहनलाल गौतम—इन बातों के अलावा और भी चीजों पर ग़ौर किया जाता है।

श्री रामकुमार शस्त्री—क्या सरकार मेहरवानी करके बतलायेगी कि जिला हरदोई में जो बन्दूक के लाइसेंस दिये गये हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है? फलतः एक आदमी बुरी तरह से मार डाला गया है?

श्री मोहनलाल गौतम—मेरे पास इसकी सूचना नहीं है। लेकिन अगर मेम्बर साहब यह बतलाते हैं कि एक साहब मार डाले गये हैं तो नोटिस देने पर मैं इसका उत्तर दे सकूंगा।

*१७–१९—**श्री मुनीद्रपाल सिंह** (जिला पीलीभीत)—(अनुपस्थित) [देखिये 'प्रश्नोत्तर' आगे पृष्ठ १९२ पर]

पंचायती अदालत बेलवार जिला जौनपुर के पंच श्रीराम आचर्य शुक्ल, द्वारा सरपंच का कार्य किये जाने के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

*२०—**श्री नागेश्वर द्विवेदी** (जिला जौनपुर)—क्या यह सही है कि जौनपुर जिले में पंचायती अदालत बेलवार के सरपंच उपस्थित रहते हुए भी सारा कार्य श्रीराम आचर्य शुक्ल, पंच करते हैं?

श्री मोहनलाल गौतम— जी नहीं।

*२१—**श्री नागेश्वर द्विवेदी**—यदि हां, तो ऐसा क्यों हो रहा है?

श्री मोहन लाल गौतम—प्रश्न नहीं उठता।

श्री नागेश्वर द्विवेदी— क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जून, १९५२ से पहले कभी सरपंच के स्थान पर श्री राम अचर्य शुक्ल स्थानापन्न सरपंच काम करते थे?

श्री मोहनलाल गौतम—सरपंच १९ दिसम्बर, १९५० को श्री रामअचर्य को कार्यभार सौंपकर बाहर चले गये और १३ जुलाई, १९५२ को वापिस आये। उनकी अनुपस्थिति में श्री रामअचर्य शुक्ल काम कर रहे थे।

पूर्वी जिलों में संक्रामक रोगों से मृत्यु

*२२—**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पूर्वी जिलों में संक्रामक रोगों से कितने रोगियों की मृत्यु इस वर्ष हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में तीन मुख्य बीमारियों प्लेग, हैजा, एवं चेचक के रोगियों और उनके मृत्यु के १ जनवरी, सन् १९५२ से १९ जुलाई, सन् १९५२ तक के आंकड़े निम्नलिखित नकशे में दिये गये हैं—

नाम जिला	प्लेग		हैजा		चेचक	
	रोगियों की संख्या	मृत्यु की संख्या	रोगियों की संख्या	मृत्यु की संख्या	रोगियों की संख्या	मृत्यु की संख्या
बनारस	१२	४	१४४	७७	१७७	५९
मिर्जापुर	८७	७	७२	२९	१५०	३५
जौनपुर	५	२	७३	३०	२२०	६५
गाजीपुर	—	—	९१	२८	१३९	३९
बलिया	—	—	५२	२०	१७	७
गोरखपुर	४	१	१५०	६६	१२०	३३
देवरिया	३	—	१११	४७	१४९	५५
बस्ती	१५८	३८	५४	२७	१३८	४०
आजमगढ़	८१	३०	९	५	१५२	५९
गोंडा	३१	७	—	—	२५	१
बहराइच	२०७	८४	४३	१४	९०	२१
बाराबंकी	३५	१३	९१	४२	१	—
कुल	६२३	१८६	८९०	३८५	१,३७८	४१४

जौनपुर ज़िले में चेचक की रोक-थाम

*२३—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर ज़िले के प्रत्येक ग्राम में जहां चेचक की बीमारी वर्षों से चल रही है उसके रोकथाम के लिए क्या प्रबन्ध किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जौनपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यानुकूल चेचक के रोग से बचाव के लिये टीका लगाने का कार्य प्रत्येक ग्राम में बड़ी तत्परता से किया । विशेष आदेश भी उनको इस सम्बन्ध में दिये गये ।

श्री बलरामदास का अदालत पंचायत सेंटर, तेतरी बाजार, जिला बस्ती के सरपंच के पद पर निर्वाचन तथा उनको कार्यभार सौंपा जाना

*२४—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—क्या स्वशासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के तहसील बांसी में अदालत पंचायत सेंटर तेतरी बाजार के सरपंच श्री जगत नारायण सिंह के इस्तीफा दे देने के कारण जो उप-निर्वाचन २२ मार्च, १९५२ को हुआ उसमें श्री बलरामदास बहुमत से सरपंच घोषित हुए ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां । २२ मार्च, १९५२ ई० को सरपंच पद का उप-निर्वाचन हुआ उसमें श्री बलरामदास बहुमत से सरपंच घोषित हुये ।

*२५—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—क्या यह सही है कि श्री बलरामदास के तारीख २२ मार्च, १९५२ ई० को उक्त अदालत पंचायत का सरपंच घोषित हो जाने के बावजूद भी उनको आज तक स्थानापन्न सरपंच, श्री मुन्नीलाल से चार्ज नहीं दिलाया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम—सरपंच घोषित होने के पश्चात् श्री बलरादास जी बिना कार्यभार लिये एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का कि सरपंची का कार्यभार श्री शिवबालक राम को दे दिया जाय, पंचायत निरीक्षक को देकर बम्बई चले गये, जहां पर वह व्यापार के सम्बन्ध में प्रायः रहते हैं। दिनांक ८ मई, १९५२ ई० को वह कार्यभार लेने के हेतु एक प्रार्थना-पत्र के साथ जिला पंचायत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हुये। जिस पर उन्होंने आदेश दिया कि श्री मुन्नी लाल स्थानापन्न सरपंच तत्काल इन्हें कार्यभार सम्भाल दें परन्तु इस के पश्चात् श्री बलरामदास फिर बम्बई चले गये और अब तक नहीं लौटे ।

*२६—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—क्या यह भी सही है कि श्री बलरामदास के प्रार्थना पत्र देने पर पंचायत आफिसर, बस्ती ने ता० ८ मई, १९५२, को श्री बलरामदास को चार्ज दिलाने और स्थानापन्न सरपंच श्री मुन्नीलाल को सरपंची का कार्य न करने का आदेश दिया जिसे असिस्टेंट पंचायत आफिसर ने ताः २६ जून, १९५२, को रद्द करके स्थानापन्न सरपंच श्री मुन्नीलाल को सरपंची का कार्य फिर से करने का आदेश दिया ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, उक्त सरपंच के उप-चुनाव के विरुद्ध आपत्ति प्राप्त हुई, इसलिये उस निर्वाचन के सम्बंध में की गई आपत्तियों के निर्णय तक कार्यभार बदलवाना अधिक उचित न समझकर सहायक जिला पंचायत अधिकारी ने स्थानापन्न सरपंच श्री मुन्नी लाल को कार्य करने का आदेश दिया ।

श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—क्या कोई ऐसा विधान है कि चुनाव हो जाने के बाद अगर उसके खिलाफ पिटीशंस दायर हों तो उसको चार्ज लेने से रोका जा सकता है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जो असल में दिक्कत हुई वह यह थी कि उनके सरपंच चुने जाने के बाद स्वयं चार्ज लेकर किसी को देते, लेकिन उन्होंने जो गलती की वह यह थी

[श्री मोहनलाल गौतम]

कि वह पर्चा लिख कर चले गये। स्वयं चार्ज नहीं लिया और लिख कर चले गये। यह अवैधानिक था जिससे यह दिक्कत पैदा हुई।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार को पता है कि २२ मार्च, १९५२ को बलरामदास जो सरपंच चुने गये हैं पंचायत आफिसर द्वारा उनको चार्ज दिलाने की कोशिश की गई है लेकिन उनको नहीं मिला ?

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी आज्ञा हो तो उसका एक विस्तृत हाल मैं पेश कर दूं।

अध्यक्ष—यह जो प्रश्न पूछा गया है उसमें बहुत डिटेल में जाने की तो आवश्यकता है नहीं।

श्री मोहनलाल गौतम—तीन मिनट लगेंगे। संक्षेप में ही पेश कर दूंगा।

अध्यक्ष—अच्छी बात है।

श्री मोहनलाल गौतम—सरपंच तेतरी बाजार का पद श्री जगतनारायण सिंह, भूतपूर्व सरपंच के २३ नवम्बर, १९५१, को त्याग पत्र स्वीकृति होने के कारण रिक्त हुआ, तथा २२ मार्च,१९५२ उप-निर्वाचन के लिये तिथि निश्चित की गई है।

२२ मार्च, १९५२, को जो उप-निर्वाचन हुआ उसमें श्री बलराम दास सरपंच घोषित हुये परन्तु उसी दिन तार द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उप-निर्वाचन अवैधानिक और पक्षपातपूर्ण था। इस आपत्ति पर जांच प्रारम्भ कर दी गई। इसी बीच श्री बलरामदास ने ३१ मार्च, १९५२, को पंचायत निरीक्षक को प्रार्थना-पत्र दिया कि ये पंचायत निरीक्षक स्वयं न मिल पाये और अब उनका कार्यभार श्री शिवबालक राम को दे दिया जाय, वह बम्बई जा रहे हैं और आने पर चार्ज लेंगे। श्री बलरामदास पुनः ८ मई, १९५२, को चार्ज लेने उपस्थित हुये। जिला पंचायत अधिकारी ने आदेश दिया कि श्री मुन्नीलाल स्थानापन्न सरपंच तुरन्त चार्ज दे दें यदि न दें तो पंचायत निरीक्षक पुलिस की सहायता भी ले लें। यह आज्ञा निरीक्षक को ११ मई, १९५२, को प्राप्त हुई। श्री बलराम दास पुनः बम्बई चले गये थे इसलिये कार्यभार न ले सके।

इसी बीच २६ जून, १९५२, को अब्दुल वहाव द्वारा भेजा दूसरा आपत्ति-पत्र प्राप्त हुआ, मुख्य आपत्तियां निम्नलिखित थीं :

१—यह कि श्री बलरामदास का नाम ग्राम सभा रजिस्टर नं० १ व २ में दर्ज नहीं है और इसलिये वह चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं।

२—यह कि चुनाव अधिकारी ने कुछ पंचों को वोट देने का समुचित अवसर नहीं दिया।

इस प्रार्थना-पत्र के प्राप्त होने पर सहायक जिला पंचायत अधिकारी ने आपत्तियों के अन्तिम निर्णय न हो जाने तक चार्ज न बदलवाने का आदेश २६ जून, १५१२, को दिया तथा स्थानीय परीक्षण के पश्चात् १३ अगस्त, १९५२, को चुनाव को रद्द कर दिया।

श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—क्या सरकार को पता है कि बलरामदास ने पूरे मई और जून मुतवातिर दो महीने तक पंचायत इंस्पेक्टर और पंचायत आफिसर के यहां दरख्वास्त दी लेकिन उनको चार्ज नहीं मिला ?

श्री मोहन लाल गौतम—हो सकता है। इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

प्रदेश में दवाखानों में डाक्टरों का अभाव

*२७—**श्री मदन गोपाल वैद्य** (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश में कितने ऐसे अंग्रेजी दवाखाने हैं जिनमें इस समय डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं ? क्या सरकार ऐसे दवाखानों को देशी दवाखानों में परिणत करने को तैयार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस समय ऐसे दवाखानों की सं० ७३ है जो घटती-बढ़ती रहती है। जी नहीं।

श्री मदन गोपाल वैद्य---डाक्टरों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने के कारण क्या सरकार यह मुनासिब नहीं समझती कि देशी दवाखानों की संख्या अधिक बढ़ा दी जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---देशी दवाखानों की संख्या उत्तरोत्तर सरकार बढ़ाती चली जा रही है।

श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)---क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि उन डाक्टरी दवाखानों में वैद्यों को भेजा जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह तो एलोपैथिक डिस्पेंसरी है वहां पर जिस किस्म का इलाज होता है वह वैद्यक प्रणाली से विभिन्न प्रकार का होता है। इसलिये यह उचित नहीं है कि वहां पर वैद्य नियुक्त किये जायं।

श्री व्रज विहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार को यह मालूम है कि आजमगढ़ में कई ऐसे अस्पताल हैं कि जहां पर डाक्टर कई वर्षों से नहीं भेजे गये और उन स्थानों के इन्चार्ज कम्पाउण्डर हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जहां पर डाक्टर नहीं पहुंच पाते हैं वहां पर जो पुराने कम्पाउण्डर होते हैं उनके ही चार्ज में डिस्पेन्सरी को रखा जाता है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज स्थिति ऐसी है कि हम डाक्टरों के द्वारा अस्पतालों का संचालन नहीं कर पाते हैं क्योंकि डाक्टर उतनी मात्रा में नहीं मिलते हैं जितनी मात्रा में उनके नियुक्त करने की आवश्यकता है।

बटेश्वर (आगरा) के टयूबवेल व पावर हाउस से पानी व बिजली की सप्लाई

*२८---श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)---क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि बटेश्वर, जिला आगरा में लगा हुआ ट्यूब वेल व पावर हाउस केवल मेले के दिनों में महीन भर पानी और रोशनी देता है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां।

श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह पावर-हाउस जिला बोर्ड की सम्पत्ति है या राज्य सरकार की ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसकी आमदनी और खर्चा बोर्ड के अधीन है। इस वक्त मैं यह नहीं बतला सकता कि यह सम्पत्ति किसकी है।

*२९---श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---क्या सिंचाई मंत्री ऐसा प्रबंध करेंगे कि बटेश्वर के लोगों को पीने और सिंचाई के लिये पानी तथा उद्योगों के लिये बिजली इस ट्यूबवेल और पावर हाउस से बराबर मिलती रहे ?

श्री मोहनलाल गौतम---पीने और सिंचाई के लिये पानी तथा उद्योगों के लिये बिजली तभी उक्त ट्यूबवेल और पावरहाउस से ली जा सकती है जब नियमानुसार जिला परिषद् स्थायी अनुमति पत्र (Permanent Licence) ट्यूबवेल और पावर हाउस को चलाने के लिये प्राप्त कर ले। परिषद् ने इस संबंध में आवश्यक प्रार्थनापत्र शासन के पास भेजा है जो इस समय सार्वजनिक निर्माण विभाग के विचाराधीन है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---क्या सरकार यह अनुमतिपत्र शीघ्रातिशीघ्र प्रदान करने की कृपा करेगी ताकि इस यन्त्र का सार्वजनिक हित में उपयोग हो सके और खाली रखने से उसका अकारण क्षय न हो ?

श्री मोहनलाल गौतम---जैसा कि मैंने अभी कहा यह कार्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, आगरा को करना है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, आगरा ने उसके खर्चे और आमदनी की जिम्मेदारी ली और जो उसमें शुरू में खर्चा हो गया उसके लिये जो उसने प्रार्थना पत्र दिया है उसकी जांच हो रही है लेकिन इतना साफ है कि जो इस वक्त ट्यूबवेल की कैपिसिटी है वह सिर्फ १३ हजार गैलन फी घंटा है जो पीने के लिये तो काफी है लेकिन उससे सिंचाई नहीं हो सकती।

डी राशनिंग के कारण राशनिंग विभाग के स्टाफ में कमी

*३०---श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी की अब (Derationing) हो जाने के बाद राशनिंग विभाग के इतने बड़े स्टाफ को सरकार कायम रक्खेगी या नहीं ? यदि हां, तो क्यों और यदि नहीं तो कब से इनको अलग करने का विचार है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---अब तक उन शहरों में जिनमें राशनिंग की व्यवस्था थी सरकारी गल्ले की दूकानों से राशनकार्डों पर गल्ला वितरण करने का प्रबंध चालू है। अतः यह प्रश्न नहीं उठते।

श्री नवलकिशोर---क्या माननीय अन्न मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि खाद्य विभाग में कितने कर्मचारी काम करते हैं और उन पर सरकार क्या खर्चा करती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---खाद्य विभाग में करीब १३ हजार कर्मचारी काम करते हैं।

श्री नवल किशोर---श्रीमान् जी, मैंने यह भी पूछा था कि उन पर कितना खर्च होता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सही आंकड़े मैं नहीं बतला सकता लेकिन एक करोड़ या सवा करोड़ के करीब रुपया खर्च होता है।

श्री नवल किशोर---क्या इस विभाग में धीरे धीरे कमी करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---अभी कोई योजना सरकार के सम्मुख नहीं है।

पंचायत इंस्पेक्टर के स्थानों पर हरिजन

*३१---श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पंचायत इंस्पेक्टर कार्य कर रहे हैं और उनमें से हरिजन वर्ग के कुल कितने आदमी हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---इस समय स्थानापन्न पंचायत इन्सपेक्टरों को शामिल करते हुये कुल ४३१ पंचायत इंसपेक्टर काम कर रहे हैं जिनमें से ९ हरिजन वर्ग के आदमी हैं।

श्री पुत्तूलाल---क्या यह सच है कि इन इंसपेक्टरों के चुनाव से पहले कोई गवर्नमेंट आर्डर सेलेक्शन अथारिटीज के पास हरिजनों के सुरक्षित स्थानों का ध्यान दिलाने के लिये भेजा गया था ?

श्री मोहनलाल गौतम—उस समय जो सलेक्शन हुआ था उसमें यह कोशिश की गई थी कि हरिजनों के लिये दस फीसदी स्थान सुरक्षित रखे जायं, लेकिन उस समय केवल १२ हरिजन ही निर्धारित योग्यता के प्राप्त हो सके।

श्री पुत्तूलाल—जब तक हरिजनों के रिजर्व स्थानों की पूर्ति न हो जाय उस वक्त तक क्या सरकार अन्य स्थानों की पूर्ति को स्थगित करने की कृपा करेगी?

श्री मोहनलाल गौतम—पब्लिक सर्विस कमीशन को कह दिया गया है कि वह दस फीसदी स्थान हरिजनों के लिये सुरक्षित रखें।

फिरोजाबाद म्युनिसिपल बोर्ड की जब्ती

*३२—श्री राजनारायण—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि फिरोजाबाद म्युनिसिपल बोर्ड को जब्त करने से पहले कितनी चेतावनियां बोर्ड को म्युनिसिपल ऐक्ट के अन्तर्गत दी गयीं और क्यों?

श्री मोहनलाल गौतम—फिरोजाबाद म्युनिसिपल बोर्ड को जब्त करने से पहले चार बार चेतावनियां दी गयीं। दो चेतावनियां तो नगर की सफाई की उपेक्षा करने के संबंध में थीं। तीसरी चेतावनी आक्टराय सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर नियम विरुद्ध नियुक्ति करने के बारे में और चौथी सफाई और कुप्रबंध के बारे में दी गई थी।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—यह जो हाईजीन संबंधी आपत्ति माननीय मंत्री जी ने बतायी है, क्या यह असिस्टेंट डायरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ की तरफ से उठायी गई थी?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या यह सही है कि जब्ती के आदेश से पहले असिस्टेंट डायरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ ने वहां के हाईजीन के मामलों से संतोष प्रकट किया था?

श्री मोहनलाल गौतम—इस की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या यह सही है कि प्रांतीय सरकार की तरफ से म्युनिसिपैलिटियों के संबंध में जो रिपोर्ट ५०/५१ की निकली है उसमें फिरोजाबाद का नम्बर प्रांत की सबसे उत्तम सात म्यूनिसिपैलिटियों में रखा गया है?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां।

*३३—श्री राजनारायण—क्या सरकार को यह मालूम है कि फिरोजाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के संबंध में आडिट रिपोर्ट १९५०-५१ में खर्च तथा आमदनी की मदों तथा और तरीकों पर एतराज नहीं है?

श्री मोहनलाल गौतम—सरकार को फिरोजाबाद म्युनिसिपल बोर्ड की १९५०-५१ की आडिट रिपोर्ट अभी नहीं मिली है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा कर के बतलायेगी कि उसके पास आडिट रिपोर्ट कब तक आ जायेगी?

श्री मोहनलाल गौतम—जल्द से जल्द।

*३४—श्री राजनारायण—क्या सरकार को यह मालूम है कि आगरे के जिलाधीश ने बोर्ड की आमदनी और खर्च पर कभी भी आपत्ति नहीं उठायी?

श्री मोहनलाल गौतम---जिलाधीश ने गत वर्ष अगस्त में खर्च की एक मद पर गहरी आपत्ति की थी। बोर्ड ने २५ रु० प्रति दिन किराये पर एक रोड रोलर लिया और उस पर ३०,००० रु० खर्च किया गया। जो काम उसने किया वह यह था कि उससे कुल साढे ३ मील लम्बी सड़क तैयार हुई। इसी प्रकार की अन्य आपत्तियां भी जिलाधीश ने बोर्ड के दूसरे व्यर्थ के खर्चों पर समय-समय पर उठायी थीं।

पूर्वी जिलों की खाद्य समस्या का अध्ययन करने के लिए राज्यपाल श्री के० एम० मुन्शी का दौरा

*३५---श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या यह सही है कि राज्यपाल श्री के० एम० मुन्शी पूर्वी जिलों की खाद्य समस्या का अध्ययन करने जाने वाले थे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---जी नहीं, राज्यपाल महोदय का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---क्या यह सही है कि राज्यपाल महोदय के शपथ समारोह के अवसर पर नेता विरोधी दल ने उनकी तवज्जह इस तरफ दिलायी थी और राज्यपाल महोदय ने अन्न मंत्री को इस सम्बन्ध में परामर्श के लिये बुलाया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---नहीं, यह बात सत्य नहीं है और जहां तक पहली बात का सम्बन्ध है उसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है।

*३६---श्री रामनारायण त्रिपाठी---यदि यह सही है तो क्या सरकार बतायेगी कि उनका पूर्वी जिलों में जाना क्यों स्थगित हुआ ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---प्रश्न नहीं उठता।

*३७---श्री पातीराम (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थिति)---[देखिये आगे पृष्ठ पर।]

शाहगंज व आजमगढ़ में कोयले की अनुपलब्धि

*३८---श्री व्रजविहारी मिश्र---क्या सरकार को मालूम है कि प्राविन्शियल आयरन स्टील कन्ट्रोलर उत्तर प्रदेश ने आजमगढ़ जिले के ईंट के भट्ठे वालों को झरिया के कोयले का अक्तूबर-दिसम्बर, सन् १९५१ ई० व जनवरी-मार्च, सन् १९५२ ई० के लिये बहुत से परमिट दिये, परन्तु शाहगंज या आजमगढ़ में एक भी वैगन कोयला झरिया से नहीं आया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी, हां। सरकार को मालूम है कि प्रांतीय लोहा और स्पात नियंत्रक, उत्तर प्रदेश ने आजमगढ़ जिले को अक्तूबर-दिसम्बर, १९५१ के लिये १४४ वैगन और जनवरी-मार्च, १९५२ के लिये १४४ वैगन कोयले के चूरे की परमिटें दीं। उनमें पहले तिमाही के कोटे में ७ वैगन तथा दूसरे तिमाही के कोटे में ४ वैगन कोयला प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त विशेष एलाटमेंट द्वारा ५७ गाड़ी १९५२ में प्राप्त हुई।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार को मालूम है कि आजमगढ़ में कोयला न पहुंचने के कारण सरकारी सहायता से बनने वाले कुवें नहीं बनाये जा सके हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह हो सकता है क्योंकि कोयले की कमी रही है।

*३९---श्री व्रजविहारी मिश्र---क्या सरकार को मालूम है कि फिर से इन परमिटों की अवधि जून, सन् १९५२ ई० तक के लिये बढ़ाई गयी तब भी एक वैगन कोयला नहीं आया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह सही नहीं है कि कुल परमिटों की अवधि जून, १९५२ तक बढ़ा दी गयी। किन्तु जनवरी-मार्च, १९५२ के परमिटों की अवधि ३० जून, १९५२ तक बढ़ा दी गई थी। बढ़ाई हुई अवधि में केवल ४ वैगन कोयला प्राप्त हुआ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार ने बैगनों की कमी के लिये केन्द्रीय सरकार को लिखा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---एक दफ़ा नहीं बल्कि सैकड़ों बार और उनकी भी कठिनाइयां हैं। बैगनों को खाद्यान्न के ले जाने के लिये प्राथमिकता प्रदान की जाती है ।

*४०---श्री व्रजविहारी मिश्र---क्या सरकार को मालूम है कि झरिया के कोयले का भाव १३ रुपया फी टन तथा आसाम के कोयले का भाव ३० रुपया फी टन है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---झरिया के कोयले का भाव प्रति टन निम्नलिखित है---

				रु०	आ०	पा०
ग्रेड ए	..	..	..	१५	३	०
ग्रेड बी	..	..	..	१४	३	०
ग्रेड १	..	..	..	१३	५	०
ग्रेड २	..	..	..	१२	१५	०
ग्रेड ३-ए	..	..	..	११	१२	०
ग्रेड ३-बी	..	..	..	१०	९	०

इस प्रदेश में आसाम से कोयला साधारणतः नहीं आता अतः निश्चितरूप से इस कोयले का भाव नहीं बताया जा सका ।

श्री व्रजविहारी मिश्र---क्या झरिया का कोयला मंहगा पड़ता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मुझे आसाम के कोयले के दाम मालूम नहीं है क्यों कि वह हमारे यहां नहीं आता । मैंने इस बात की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया है और उसके मिलने पर मैं इसका ठीक तरह से उत्तर दे सकूंगा ।

जिला पंचायत अफसर व सहायक पंचायत अफसरों के दौरे का अभिलेख

*४१---श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला पंचायत अफ़सर व सहायक पंचायत अफ़सर जिन तिथियों पर गांवों के दौरे का भत्ता बनाते हैं उन तिथियों को ग्राम सभाओं की निरीक्षण पुस्तिका में दर्ज करते हैं या नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम---जिला पंचायत अफ़सर व सहायक जिला पंचायत अफ़सर जिन तिथियों पर गांवों के दौरे का भत्ता बनाते हैं, ग्राम सभाओं की निरीक्षण पुस्तिका में उसका उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है । यदि जिला पंचायत अधिकारी या सहायक जिला पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायतों का निरीक्षण करते हैं तो निरीक्षण पुस्तिका में दर्ज कर देते हैं।

श्री भगवानदीन मिश्र (जिला बहराइच)---क्या जिला पंचायत अफसर और सहायक पंचायत अफसर के लिये यह आवश्यक नहीं है कि जब वह गांवों में दौरा करें तो वह ग्राम पंचायतों का निरीक्षण अवश्य करें ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह जरूरी नहीं है क्यों कि कई बार पंचायत अफसर एक प्लानिंग आफीसर भी होता है । अगर वह किसी और प्लानिंग के काम से गांवों में जाता है तो उस के लिये निरीक्षण करना आवश्यक नहीं है । मूमकिन है वह किन्हीं दूसरी चीजों को देखकर उस गांव से आगे चल दें।

श्री भगवान दीन मिश्र---क्या पंचायत आफीसर का पंचायतों और ग्राम सभाओं को देखना कर्तव्य नहीं है ?

श्री मोहन लाल गौतम--अवश्य है।

*४२--श्री राजकुमार शर्मा--क्या मिर्जापुर जिले के उपरोक्त अधिकारियों के सम्बंध में बताया जायगा कि उनके दौरे का विवरण उक्त पुस्तिका में दर्ज है ?

श्री मोहनलाल गौतम--मिर्जापुर जिले के जिला पंचायत अधिकारी व सहायक जिला पंचायत अधिकारी के गांवों के दौरे का विवरण निरीक्षण पुस्तिका में दर्ज नहीं होता है। निरीक्षण करने पर निरीक्षण पुस्तिका में जब हस्ताक्षर करते हैं तो वहां तिथि भी लिख देते हैं।

श्री राजकुमार शर्मा--अध्यक्ष महोदय, मुझे इन प्रश्नों के उत्तर पहिले से लिखकर नहीं दिये गये लेकिन मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार यह बतायेगी कि मिर्जापुर जिले की अजनहाट आदि ग्राम सभाओं की निरीक्षण पुस्तिका में इन अधिकारियों का निरीक्षण विवरण दर्ज है ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसकी सूचना चाहिये।

*४३-४४--श्री प्रतिपाल सिंह (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)-

[देखिये आगे पृष्ठ १९२ पर]

इलाहाबाद में मेहतरों के क्वार्टरों का निर्माण

*४५--श्री नारायण दीन (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार प्रयाग म्युनिसिपल बोर्ड के मेहतरों के क्वार्टर बनाने के लिये कोई क़दम उठाने जा रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम--मेहतरों की मांग है कि उनके लिये मकान बनवाने की व्यवस्था की जाय। जब मंत्री प्रयाग गये थे तब यह मांग उनके सामने रक्खी गयी थी।

देवरिया ज़िले में अस्पतालों का निर्माण

*४६--श्री राजवंशी राय (जिला देवरिया)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में कौन कौन अस्पताल की इमारतें किन किन तारीखों से बन रही हैं और उनके कब तक तैयार हो जाने की आशा है ?

*४७- किन-किन इमारतों पर कितना व्यय का अन्दाजा था, अब तक कितना व्यय हो चुका है, कितने का काम हुआ है और कितने सामान मौजूद हैं और अब कितने व्यय के बाद वह इमारत तैयार हो सकेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--देवरिया जिले में जिन स्थानों पर अस्पतालों की इमारतों का निर्माण होने का निश्चय हुआ था उनके बारे में पूर्ण विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है जिसकी कि एक प्रति सदस्यों के अवलोकनार्थ उनकी मेजों पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २४४ पर)

श्री राजवंशी राय--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १३,६७७ रु० ९ आ० खर्चा है, ७ हजार रुपये का काम हुआ है, १,५०० रुपया का सामान बाकी है ? ऐसी हालत में ५,१७७ रुपया ९ आना जो बाकी रहते हैं उसका क्या हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जो आंकड़े माननीय सदस्य ने भवन के सामने उपस्थित किये हैं उस के सम्बंध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उसमें उन्होंने वह रक़म शामिल कर ली है जो ठेकेदारों को एडवांस में दी गयी थी।

श्री राजवंशी राय—वह ठेकेदार तो भाग गया है। उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है ऐसी हालत में वह ऐडवांस किससे लिया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है और जो मुजरिम होगा उससे वसूल किया जायगा।

बहादुर बाजार (बस्ती) में रंगाई व छपाई के कार्य के लिये लाइसेंस

*४८—श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—क्या अन्न मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती के अन्तर्गत बहादुर बाजार में कई साल से हाथ की छपाई और रंगाई का काम होता चला आ रहा था और कंट्रोल के आरम्भ काल में इनको सरकार से कपड़े का कोटा भी इस काम के लिये मिला था ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी हां।

श्री रामकुमार शास्त्री—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि बहादुर बाजार में वस्त्रों पर किस विशेष किस्म की छपाई की जाती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसकी सूचना तो मुझे नहीं है।

*४९—श्री शिव नारायण—क्या यह सही है कि उसके पश्चात् सरकार ने निश्चय किया कि छपाई-रंगाई का लाइसेंस उसी समय दिया जायगा जब कि ऐसे कारीगर अपनी एक सोसाइटी बना कर रजिस्ट्री करा लें ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—टेक्सटाइल कमिश्नर, बम्बई, की आज्ञानुसार हस्त मुद्रकों तथा हस्तरंजकों को टेक्समार्क प्राप्त करने के लिये अपने संघ (Associations) बनाने पड़ते हैं।

*५०—श्री शिव नारायण—क्या यह सही है कि बहादुर बाजार के कारीगरों ने एक सोसाइटी रंगाई और छपाई की बना कर उस को रजिस्ट्री भी करा ली और १ अगस्त, १९५१, को प्रदेशीय टेक्सटाइल कमिश्नर के द्वारा टेक्सटाइल कमिश्नर, बम्बई, के पास एक प्रार्थना पत्र भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या हुआ ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी हां। बहादुरपुर के हस्तमुद्रकों और हस्तरंजकों ने अपना एक संघ बना लिया है, जो कि रजिस्टर्ड हो चुका है। टेक्समार्क की स्वीकृति के लिये संघ के मामले के सम्बंध में टेक्सटाइल कमिश्नर बम्बई से सिफारिश नहीं की गयी है, क्योंकि इस मामले से सम्बंधित पूर्ण विवरण अभी तक नहीं प्राप्त हुये हैं और जिलाधीश, बस्ती, से नये सिरे से जांच की गयी है।

श्री शिव नारायण—क्या यह सही है कि बहादुर बाजार रंगाई छपाई एसोसिएशन ने टेक्स मार्क हासिल करने के लिये नवम्बर सन् ५१ में टेक्सटाइल कमिश्नर बम्बई को प्राविंशियल टेक्सटाइल कमिश्नर कानपुर के द्वारा दरख्वास्त दी थी जिस पर जिलाधीश बस्ती तथा सप्लाई आफिसर ने जोरदार सिफारिश की थी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—इसकी सूचना सरकार को नहीं है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि उसकी इस नीति के कारण रंगाई और छपाई की दस्तकारी का काम करने वाले भूखों मर रहे हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस बात की सूचना इस रूप में तो सरकार के पास नहीं है परन्तु यह सत्य है कि नियन्त्रण के कारण कुछ ऐसे व्यक्ति अवश्य रह जाते हैं जिनके ऊपर नियंत्रण के अन्तर्गत उस कार्य के करने की आज्ञा नहीं मिलती क्योंकि नियंत्रित वस्तुयें कम मात्रा में होती हैं और वे थोड़े से व्यक्तियों के कार्य के लिये बांटी जा सकती हैं।

श्री शिव नारायण—क्या यह सही है कि श्री कृपा शंकर, एम० एल० ए० ने इस संबंध में सरकार से लिखा पढ़ी की तो इस पर उनको सरकार से उत्तर मिला था कि सरकार उचित कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हां, उचित कार्यवाही का संकेत तो इस जवाब में दिया गया है कि अभी सरकार इस सम्बंध में जिलाधीश से जांच इत्यादि कर रही है।

सिसवा बाजार, जिला गोरखपुर में राशन की दूकानों पर अन्न की कमी

*५१—श्री परिपूर्णा नन्द वर्मा—क्या अन्न मंत्री को यह विदित है कि गत एक महीने से गोरखपुर जिले के सिसवा बाजार में राशन की दूकानों पर एक दाना भी अन्न नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सिसवा बाजार, जिला गोरखपुर, की राशन की दुकानों में समस्त जुलाई मास में खाद्यान्न रहे। केवल मास के मध्य में अनायास अतिवृष्टि से सड़कों की क्षति होने के कारण मोटर ट्रकों द्वारा अन्न पहुंचाने में बाधा पड़ी किन्तु वैगनों द्वारा खाद्यान्न के यातायात का प्रबंध हो जाने पर शीघ्र ही अन्न पहुंचा दिया गया।

*५२—श्री परिपूर्णा नन्द वर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि पानी बरसने से वहां पर अन्न पहुंचना असम्भव है ? यदि हां, तो क्या ट्रेन से ग़ल्ला भेजने का प्रबंध किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। जैसा उक्त प्रश्नोत्तर ५१ में कहा गया है वैगनों द्वारा यातायात का प्रबंध किया गया।

गोरखपुर जिले के अन्दर गल्ले के गोदाम

*५३—श्री परिपूर्णा नन्द वर्मा—क्या अन्न मंत्री को मालूम है कि महराजगंज उत्तरी क्षेत्र में वर्षा में कोई सड़क ट्रक या बस से जाने योग्य नहीं रहती ? यदि हां, तो क्या वे इस क्षेत्र में गल्ले का गोदाम रखने का विचार रखते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। फरेंदा के अतिरिक्त सिसवा बाजार तथा घुगलि में भी स्टोरेज-कम-इ.यू गोडाउन (storage-cum-Issue Godown) खोल दिये गये हैं।

हरिजनों को स्थानीय निकायों में १० प्रतिशत नौकरियां देने के आदेश

*५४—श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार ने अनुसूचितों को १० प्रतिशत नौकरियां स्थानीय निकायों में दिये जाने के लिये उनको कोई आदेश जारी किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां, आदेश जारी हो गये हैं।

गाजीपुर जिले के सेण्टर फूली में आस्टैरिटी प्राविजनिंग योजना के अन्तर्गत गल्ले का वितरण

*५५—श्री भोला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी की गाजीपुर जिले में सेन्टर फूली पर ग़रीबों के लिये कितनी मर्तबा गल्ला वितरण हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गाजीपुर जिले के सेण्टर फूली में ए० पी० योजना फरवरी मास से लागू हुई। इसके अन्तर्गत गल्ला बराबर वितरण किया जा रहा है। केवल जुलाई माह में गल्ला नहीं दिया जा सका, अन्य अधिक अभाव ग्रस्त क्षेत्रों को स्थानान्तरित कर दिया गया।

आयुर्वेद तथा यूनानी कालिजों की मान्यता का रद्द किया जाना

*५६—**श्री मदनगोपाल वैद्य**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गत दो वर्षों में कितने आयुर्वेद यूनानी कालिजों की मान्यता को रद कर दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गत दो वर्षों में निम्नलिखित आयुर्वेद व यनानी कालेजों को बोर्ड से असम्बद्ध कर दिया गया है।

१—लेखराम आयुर्वेदिक कालेज, मेरठ।
२—मम्बाउल तिब्ब कालेज, लखनऊ।
३—द्विवेदी आयुर्वेदिक बिद्यालय, कानपुर।
४—गांधी आयुर्वेदिक विद्यालय, हरदोई।
५—जगदम्बा अयुर्वेदिक विद्यालय, बनारस।
६—स्टेट एडेड यूनानी मेडिकल कालेज, लखनऊ।
७—आयुर्वेदिक कालिज, पचपुखरा।
८—तिब्बिया कालेज, सहारनपुर।
९—नरेन्द्र विद्या मन्दिर, किरालो, आगरा।

सरकारी आयुर्वेदिक यूनानी फार्मेसी, लखनऊ, में तैयार हुई औषधियां

*५७—**श्री मदनगोपाल वैद्य**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सरकारी आयुर्वेदिक यूनानी फार्मेसी, लखनऊ, में प्रतिवर्ष कितने मूल्य की औषधियां तैयार होती हैं तथा वार्षिक खपत कितने मूल्य की है ? वार्षिक लाभ कितना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, में प्रतिवर्ष लगभग २ लाख रुपये के मूल्य की कच्ची औषधियां खरीद कर शास्त्रोक्त विधि से औषधियां निर्माण की जाती हैं और राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों तथा ग्राम्य औषधि पेतिकाओं में भेजी जाती हैं जहां उनकी पूर्ण खपत होती है। उक्त संस्था व्यापारिक नहीं है इसलिये इन औषधियों से आर्थिक लाभ अथवा हानि का अब तक विस्तृत विवरण नहीं रखा गया है। उक्त संस्था में निर्मित २२४ औषधियों का अब तक मूल्यांकन किया गया है, जिनकी लागत १,६५,००० रु० होती है। यदि यही औषधियां आयुर्वेदिक फार्मेसी काशी विश्वविद्यालय, ललित हरी आयुर्वेदिक फार्मेसी, पीलीभीत, अथवा गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी से उसी दर पर खरीदी जातीं जिस दर पर विभाग द्वारा सन् १९४९-५० तथा १९५०-५१ में खरीदी गयी थी तो सरकार को ३,४८,००० रु० खर्च करना पड़ता इससे यह स्पष्ट है कि सरकार को २२४ औषधियों के निर्माण में १,८३,००० रु० का लाभ हुआ है। अब हम लोग लाभ हानि का एक विस्तृत चिट्ठा बनाने का विचार कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष १९५२-५३ में जिला बोर्डों के घाटे की पूर्ति

*५८—**श्री चन्द्रपाल वाजपेयी** (जिला रायबरेली)—क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस राज्य के जिला बोर्डों को १९५२-५३ के वित्तीय वर्ष में कितने रुपये की धनराशि का घाटा है और यह घाटा किस प्रकार पूरा किया जायगा ?

श्री मोहन लाल गौतम—सरकार को यह ज्ञात है कि राज्य के कई जिला परिषदों में उनकी आय उनके व्यय के लिये पर्याप्त नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार ने इस वर्ष २० लाख रुपये का अनुदान स्वीकार किया है। इस अनुदान को समुचित रूप से बांटने के लिये जिला परिषदों से संबंधित आंकड़े मंगवाये गये हैं। उनके आ जाने पर कार्यवाही की जायगी।

रायबरेली में बिजली लगाने की योजना

*५९—श्री चन्द्रपाल वाजपेयी—क्या स्वशासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रायबरेली नगरपालिका में बिजली लगाने की योजना इस समय किस स्थिति में है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस कार्य के लिये स्वशासन इन्जीनियरिंग विभाग में नवम्बर, सन् १९४८ ई०, में लगभग ७ लाख रुपये के लागत का एक प्रारम्भिक अनुमान रायबरेली नगर पालिका को दिया था। पर नगरपालिका ने तब से न तो इस विषय पर कोई पत्र-व्यवहार ही किया और न कोई समुचित योजना बनवाने के लिये मुख्य इंजीनियर की फीस ही जमा की।

जिला गोंडा में अदालत पंचायत अचलपुर सेहरिया व नगवा द्वारा फैसल किये गये मुक़दमे

*६०—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में पंचायत क्षेत्र इंसपेक्टर, वज़ीरगंज, के अन्तर्गत अदालत पंचायत अचलपुर सेहरिया व नगवा में सन् १९५० व ५१ तथा १९५२ ई० के १५ जुलाई तक कितने मुकदमें पेश हुये और कितने मुकदमों का समझौता कराया गया और कितने मुकदमों में जुर्माना हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम—फौजदारी के मुकदमों की वांच्छित सूचना संलग्न रूप-पत्र में दी जाती है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २४५ पर)

सरकारी औषधालयों के देशी तथा एलोपैथी चिकित्सकों का वेतन तथा ग्रेड

*६१—श्री धर्मदत्त वैद्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी औषधालयों में नियुक्त देशी चिकित्सकों तथा एलोपैथिक चिकित्सकों का वेतन और ग्रेड किस आधार पर नियत किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकारी औषधालयों में नियुक्त देशी व एलोपैथिक चिकित्सकों का वेतन उनकी शिक्षा, योग्यता, अनुभव, आदि बातों का खयाल करके नियत किया गया है।

*६२—श्री धर्मदत्त वैद्य—[१ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किया गया।]

*६३-६४—श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)—[१० सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

*६५-६६—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[१० सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

आयुर्वेदिक इञ्जेक्शनों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबन्ध

*६७—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि आयुर्वेदिक इन्जेक्शन के निर्माण के विषय में वह क्या सहायता दे रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कोई सहायता नहीं दी जा रही है।

*६८—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को यह मालूम है कि क्या आयुर्वेदिक इन्जेक्शन निर्माताओं पर सरकारी अधिकारियों ने गत दो मास से अवैधानिक रूप से आयुर्वेदिक इन्जेक्शनों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---प्रतिबंध लगाने की सूचना सरकार को है परन्तु वह पूर्णतया वैधानिक है ।

आयुर्वेदिक और यूनानी औषधि विषयक सरकारी नीति

*६९---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के निर्माण संबंधी देख भाल के लिये आयुर्वेदिक और यूनानी ड्रग्स ऐक्ट बनाने का इरादा रखती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी नहीं ।

*७०-७१---श्री चुन्नी लालसगर (जिला बदायूं)---[१० सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

* * * *

बलिया नगर में गन्दे पानी का निष्कासन

*१---श्री राम अनन्त पाण्डेय (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया नगर में बाहर पानी जाने का कोई उचित प्रबंध नहीं है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां ।

*२---श्री रामअनन्त पाण्डेय (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि नगर के पानी बाहर न जाने से बलिया में फ़ाइलेरिया की बीमारी अधिक बढ़ रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम---बलिया नगर में फ़ाइलेरिया की बीमारी बढ़ने का यही एक या यह भी एक कारण है यह कहा नहीं जा सकता ।

*३---श्री राम अनन्त पाण्डेय (अनुपस्थित)---क्या सरकार बलिया नगर से बाहर पानी जाने के लिये पक्की नाली के बनाने के लिये सहायता और ऋण देने का विचार कर रही है?

श्री मोहनलाल गौतम---अभी जलकल योजना चालू करने के सम्बंध में कार्यवाही की जा रही है क्योंकि बिना उचित जल प्रबंध के गन्दे पानी के निकास की योजना सफलता-पूर्वक नहीं चल सकती ।

* * * *

गल्ले के लाइसेंस देने के नियम और रिकग्नाइज्ड मंडियां

*१२---श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में ग़ल्ले के कितने बी० लाइसेंसी, कितने डी० लाइसेंसी, और कितने एच० लाइसेंसी हैं और इन लाइसेंसों को देने के नियम क्या हैं ? यह नियम क्या चारों रीजनों में एक तरह लागू हैं या अलग अलग ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उत्तर प्रदेश में ५,३९२ 'बी' लाइसेंसी, ४,०१८ 'डी' लाइसेंसी और ६,६८५ 'एच' लाइसेंसी हैं।

इन लाइसेंसों के दिये जाने के लिये साधारणतः रीजनल फूड कण्ट्रोलर अपने अपने रीजन में, उन्हीं प्रार्थियों को इन लाइसेंसों की स्वीकृति देते हैं :

(अ) जिनके पास ग़ल्ला रखने व वितरण करने की सुविधाएं हों,
(ब) जिन्हें खाद्यान्न के व्यापार का अनुभव हो,
(स) जिनकी आर्थिक दशा सन्तोषजनक हो, तथा
(द) जिनकी ख्याति सर्वथा निर्दोष हो ।

लाइसेंस देने का यह सिद्धांत समान रूप से राज्य के सभी रीजनों में लागू है ।

*१३---श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)---इस प्रदेश में कितनी रिकग्नाइज्ड मण्डी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उत्तर प्रदेश में रिकग्नाइज्ड मंडियों की संख्या लगभग २,४८७ है ।

* * * *

पीलीभीत म्युनिसिपल बोर्ड में सदस्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति

*१७—**श्री मुनीन्द्रपाल सिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि पीलीभीत म्युनिसिपल बोर्ड में दो नामिनेटेड सदस्यों के स्थान ६ महीने अधिक से रिक्त हैं जिनमें एक महिला सदस्या का भी स्थान है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां।

*१८—**श्री मुनीन्द्रपाल सिंह** (अनुपस्थित)—सरकार ने अभी तक उन रिक्त स्थानों की पूर्ति क्यों नहीं की ?

श्री मोहनलाल गौतम—जिलाधीश ने कुछ नामों की सिफारिश की थी। उन में कम योग्यता पायी गयी । कुछ और नामों के बारे में जिलाधीश से पूछताँछ हो रही है ।

*१९—**श्री मुनीन्द्रपाल सिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार का विचार है कि आगामी चुनाव के चुनावों से पहले इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करेगी ? यदि हां, तो किस समय तक ?

श्री मोहनलाल गौतम—जिलाधीश का जवाब आने पर इन स्थानों की पूर्ति की जायगी ।

* * * *

फर्रुखाबाद व फतेहगढ़ म्युनिसिपैलिटी में वाटरवर्क्स

*३७—**श्री पातीराम** (अनुपस्थित)—क्या सरकार फ़र्रुखाबाद-कम-फ़तेहगढ़ म्युनिसिपैलिटी में वाटरवर्क्स चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां। ज्योंही नगरपालिका रुपये का प्रबंध कर लेगी जलकल योजना, जो बिलकुल तैयार है, चालू कर दी जायगी।

* * * *

होम्योपैथिक मेडिसिन्स ऐक्ट का लागू होना

*४३—**श्री प्रतिपाल सिंह** (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा करके यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार होम्योपैथिक मेडिसिन्स ऐक्ट को अमल में लाने के लिये कब सरकारी गजट में घोषणा करने का विचार रखती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश हो म्योपैथिक मेडिसिन ऐक्ट, १९५१, को १५ अगस्त, सन् १९५२, से इस प्रदेश में लागू कर दिया है । इस विषय की विज्ञप्ति सरकारी गजट में प्रकाशित की जा चुकी है ।

*४४—**श्री प्रतिपाल सिंह** (अनुपस्थित)—उपरोक्त ऐक्ट की धारा ७ के अन्तर्गत सरकार जो प्रथम बोर्ड नियुक्त करेगी वह किस आधार पर नियुक्त होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार ने उम्मेदवारों की नामजदगी उनकी योग्यता, अपने पेशे में रुचि तथा जनप्रियता के आधार पर की है ।

अतारांकित प्रश्न

गाजीपुर जिले में हैजे से मृत्यु

१—श्री वशिष्ठ नारायण शर्मा (जिला गाजीपुर)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष गाजीपुर जिले में हैजा द्वारा जून महीने तक मृत्यु संख्या क्या थी तथा गत ५ वर्षों में इस जिले में अलग अलग वर्षों में हैजा द्वारा कितनी कितनी मृत्यु हुई हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—(क) जून, १९५२, तक इस साल हैजे से ६१ मृत्युएँ हुईं। (ख) गत ५ वर्षों के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

१९४७.....१,८८१
१९४८..... ४०५
१९४९..... ३१६
१९५०..... ५७९
१९५१.....इसके आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हैं, जो बाद में प्रस्तुत किये जावेंगे।

२—श्री वशिष्ठ नारायण शर्मा—क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह पता है कि इस वर्ष जिलाधीश गाजीपुर ने जिला बोर्ड के स्वास्थ्य तथा सफ़ाई सम्बंधी अधिकारों को अपने विशेषाधिकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया है ? यदि हां, तो क्या कभी गाजीपुर के जिला बोर्ड के इतिहास में ऐसी भयंकर परिस्थिति पहिले भी पैदा हुई थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हां। जिला बोर्ड से उचित रूप से सहायता प्राप्त न होने के कारण जिलाधीश गाजीपुर ने इस वर्ष अपने विशेषाधिकार द्वारा, जो कि स्वास्थ्य विभाग पुस्तिका के खंड १५, विभाग २३, में मुद्रित है, हैजा की सूचना पाने पर, गाजीपुर जिला बोर्ड से स्वास्थ्य तथा सफाई विभाग के कार्यकर्ताओं को अपने अधिकार में ले लिया था। हैजे के कम होने की सूचना पाने पर उन्होंने उन्हें वापस कर दिया है।

हां। इससे पहले भी एक बार जिलाधीश गाजीपुर ने स्वास्थ्य तथा सफ़ाई विभाग के कार्यकर्ताओं को अपने अधिकार में ले लिया था। इससे सम्बंधित पत्र जिला स्वास्थ्य कार्यालय में इस समय उपलब्ध नहीं है ?

पूर्वी जिलों में अन्नाभाव के कारण टैक्सों की वसूली का स्थगन

३—श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पूर्वी जिलों में पंचायत टैक्स की वसूली को (अकाल की स्थिति देखते हुये) बन्द करने की कोई योजना उसके समक्ष हैं ? यदि हां, तो वह कब से लागू होगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—प्रदेश के पूर्वी जिलों के क्षतिग्रस्त इलाकों में कर वसूली स्थगित करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

जिला हरदोई की ग्राम सभाओं में हरिजन

४—श्रीमती लक्ष्मी देवी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संडीला तहसील, जिला हरदोई, में कितनी ग्राम सभायें हैं, जो अछुतों के हाथ में हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—प्रश्न कुछ संदिग्ध सा है। संडीला तहसील में ऐसी ग्राम सभाओं की संख्या जहां पर प्रधान परिगणित जाति के हैं ३४ हैं तथा ऐसी ग्राम सभाओं की संख्या जहां पर परिगणित जाति की आबादी अधिक है ५४ है।

देशी चिकित्सालयों के स्नातक चिकित्सकों का वेतनक्रम

५—श्री धर्मदत्त वैद्य—क्या सरकार यह जानती है कि सरकारी देशी चिकित्सालयों में नियुक्त स्नातक चिकित्सकों को स्नातकों के ग्रेड का वेतन स्केल नहीं दिया जा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकारी देशी चिकित्सालयों के वैद्यों और हकीमों का केवल एक ही वेतन क्रम है, ७५-५-१२०-८-२०० । स्नातक चिकित्सकों और अस्नातक चिकित्सकों का वेतनक्रम अलग अलग नहीं है। अब बहुधा स्नातक चिकित्सक ही नियुक्त होते हैं।

गृह स्वास्थ्य विशारदा पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिये आयुर्वेद विद्यालयों को सरकारी सहायता

६—श्री धर्मदत्त वैद्य—क्या सरकार यह जानती है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा संचालित महिलाओं के लिये गृह स्वास्थ्य विशारदा पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिये आयुर्वेद विद्यालयों को सरकार द्वारा कभी कोई सहायतान हीं दी गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। अभी तक गृह स्वास्थ्य विशारद पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिये आयुर्वेद विद्यालयों को सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है।

७—श्री धर्मदत्त वैद्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गृह स्वास्थ्य विशारदा उत्तीर्ण महिलाओं के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यक्षेत्र निर्धारित किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गृह स्वास्थ्य विशारद उत्तीर्ण महिलाओं को सहायक वैद्य (कम्पाउण्डर) के पद यदि वह चाहें और स्थान रिक्त हों तो मिल सकते हैं।

विलीन काशी राज्य के रामनगर बिजली घर का मारटिन बर्न लिमिटेड द्वारा संचालन

८—श्री उमाशंकर तिवारी (जिला बनारस)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि विलीन काशी राज्य के अन्तर्गत स्थित रामनगर बिजली घर को सरकार द्वारा मारटिन बर्न लिमिटेड को किन शर्तों के अनुसार सौंपा गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—विलीन काशी राज्य के रामनगर स्थित विद्युत उत्पादन केन्द्र का संचालन भार शासन द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर मार्टिन बर्न लिमिटेड को दिया गया है :—

(१) कि वह कम्पनी रामनगर स्थिति विद्युत उत्पादन केन्द्र के वर्तमान वितरण-प्रबंध (distribution system) २०,००० रूपये में शासन से खरीद लेगी,

(२) कि वह कम्पनी शासन के प्रतिनिधि के रूप में उस समय तक जब तक कि वह अपने बनारस स्थित विद्युत संचालन केन्द्र से रामनगर में ए० सी० विद्युत प्रवाह प्राप्ति का प्रबंध पूर्ण रूप से न करले, रामनगर के विद्युत केन्द्र का प्रबंध करती रहेगी। इस कार्य के लिये कम्पनी को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जायगी,

(३) कि रामनगर में ए० सी० विद्युत प्रवाह प्राप्त करने के निमित्त आवश्यक प्रबंध के लिये शासन उक्त कम्पनी को एक लाख, पचीस हजार रूपये का ऋण साढ़े चार प्रतिशत ब्याज पर देगा, जो पन्द्रह वर्षों में चुकाया जायगा। यह ऋण कम्पनी को वर्तमान आर्थिक वर्ष में, उसकी प्रार्थना पर, दिया जायगा ।

६—श्री उमाशंकर तिवारी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त मार्टीन बर्न लि० को कितना रुपया इस सिलसिले में सरकार ने उक्त सम्बंध में दिया ?

श्री मोहनलाल गौतम—अभी तक कुछ नहीं दिया गया है।

* * * *

कतिपय प्रश्नों के सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा परिप्रश्न

श्री बाबूनन्दन (ज़िला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैंने जूलाई के महीने में जो प्रश्न दिये थे उनक बार में मुझको कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ।

अध्यक्ष—आप मेरे दफ्तर में पूछ लें, मैं उसकी तहकीकात करा दूंगा कि आपक प्रश्न कहां गये।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री (ज़िला गोंडा)—४३ नम्बर के सवाल पर मैंने जो दिलचस्पी जाहिर की थी और आपने उसे बाद के लिये मुल्तवी कर दिया था वह क्या कल लिये जायेंगे ?

अध्यक्ष—यानी जो प्रश्न अभी लिये गये थे उनके बारे में आप पूछ रहे हैं ?

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री—जी हां, जिसको आपने मुल्तवी फरमायाथा कि आखिर वक्त में लिया जायगा।

अध्यक्ष—तो इसका नियम तो यह है कि अगर समय रहा तो आखिर में लिये जाते हैं और अगर समय नहीं रह गया है तो चूंकि औरों को समय नहीं मिल रहा है इसलिये उसको भी नहीं मिल सका। वह तो फिर से सवाल किये जायं और फिर से पेश हो सकते हैं लेकिन आज के दिन जो बाकी रह गये थे वह दूसरी तारीख के एजेंडे पर नहीं छपेंगे।

श्री शिवनारायण—मेरे जो प्रश्न अभी हुये हैं उन पर मुझे एक प्रश्न और पूछना था। वह बहुत मुख्य था और वही छूट गया है।

अध्यक्ष—यह तो अब बाद की बात हो गई है।

* * * *

५ अगस्त, १९५२, के 'अमृत पत्रिका' में छपे आपत्तिजनक लेख से सम्बद्ध प्रदर्शनों के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष—आज भी मेरे पास कामरोको प्रस्ताव दो आये हैं। उसमें से पहला यह है कि "५ अगस्त के अमृत पत्रिका के बच्चों के कालम में असावधानी ? से छपे एक आपत्तिजनक लेख की वजह से १५ अगस्त या उससे पहले प्रदेश में कुछ स्थानों और विशेषतः कानपुर में हुये प्रदर्शन से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

इस विषय में मैं इतना कह देना चाहता हूं कि इसी प्रकार का एक इससे संबंधित कामरोको प्रस्ताव कुछ दिन पेश्तर मेरे सामने आया था लेकिन उसमें 'अमृत पत्रिका' का जिक्र नहीं था हालांकि उद्देश्य उस वक्त यही मालूम होता था कि इसी बात पर जो प्रदर्शन हुये हैं १५ अगस्त को उस पर विचार करने का उस प्रस्ताव का उद्देश्य मालूम होता था, इसकी एक झलक उसमें थी लेकिन शब्द ऐसे थे जिससे स्पष्ट नहीं था कि यह उसी सम्बंध में यानी 'अमृत पत्रिका' में छपे समाचार के बारे में जो आन्दोलन हुये हैं उसके विषय उसके द्वारा वह विचार करने का उद्देश्य है यह स्पष्ट नहीं था। इसलिये मैंने उसको स्वीकार नहीं किया था। इसके पश्चात् माननीय सदस्य ने तथा और और भी बहुत से सदस्यों ने अल्पसूचित प्रश्न सरकार से किये। लेकिन सरकार से अल्पसूचित प्रश्नों के उत्तर मुझे ऐसे मिले कि सरकार स्वीकार नहीं कर सकती अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में क्योंकि प्रश्नों के उत्तर उसके पास इतनी शीघ्रतापूर्वक तैयार नहीं हो सकते। इसलिये तिवारी जी का वह प्रयत्न भी असफल रहा तब उन्होंने फिर यह कामरोको प्रस्ताव मेरे पास भेजा है। इसलिये जो इसमें देरी हुई है उसके लिये उनकी जिम्मेदारी नहीं है और इस कारण देरी होने से जहां तक अर्जेंसी की शंका

[अध्यक्ष]

हो सकती है वह शंका मैं नहीं उठाता हूं और मैं समझता हूं कि उसकी अर्जेंसी वैसी ही कायम रहती है जो कि पहले जब प्रश्न दिये थे तब थी। यह प्रश्न महत्वपूर्ण भी है। ऐसी अवस्था में मैं उनको इजाजत देता हूं कि वे सदन से अनुमति प्राप्त करने के लिये अपना प्रस्ताव पेश करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदर्णीय अध्यक्ष महोदय, क्या मुझे कुछ उस पर भी कहने की आज्ञा है ?

अध्यक्ष—आप अपना प्रस्ताव तो पढ़ ही देंगे और फिर अनुमति सदन की होगी क्योंकि बगैर प्रस्ताव पढ़े तो अनुमति दी ही नहीं जा सकती।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित 'कामरोको' प्रस्ताव पर सदन की अनुमति चाहता हूं प्रस्ताव इस प्रकार है :

"५ अगस्त की 'अमृत पत्रिका' के 'बच्चों के कोने' कालम में असावधानी से छपी एक आपत्ति-जनक उक्ति के विरोधस्वरूप १५ अगस्त या उससे पहले प्रदेश के कुछ स्थानों में विशेषतः कानपुर में हुये प्रदर्शनों से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये यह सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि किसी को आपत्ति नहीं है ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति है और आपत्ति का कारण यह है कि जिन घटनाओं की ओर संकेत किया गया है इस समय सूबे में करीब १२५ मुकदमें सबजुडिस, कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद में हैं, और इस सिलसिले में इस दौरान में जो भी बहस होगी, उसका असर उन मुकदमों पर जरूर पड़ेगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

'अमृत पत्रिका' का मुकदमा इनसे अलग है। वह भी चल रहा है। वह भी सबजुडिस है।

अध्यक्ष—जो माननीय सदस्य चाहते हैं कि अनुमति दी जाय वह कृपा करके अपने अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

(१७ सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हुये।)

अध्यक्ष—१७ की संख्या है और ३६ सदस्य होने चाहियें तब सदन की अनुमति समझी जाती है। इसलिये सदन की अनुमति नहीं है। मैं नारायण दत्त जी को इसकी सूचना देता हूं।

प्राचीन गायन तथा नृत्यकला की दयनीय दशा के सम्बंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष—दूसरा 'कामरोको' प्रस्ताव जो है मैं उसको पढ़ना भी मुनासिब नहीं समझता हूं क्योंकि कुछ थोड़ा सा यह लगता है कि शायद वह मजाक के साथ लाया गया है, क्योंकि वह क्लासिकल म्युजिक और डांस की जो दयनीय दशा है उसके ऊपर विचार करने के सम्बंध में है। मैं इसको आवश्यक और जनता के लिये बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझता हूं। इसलिये इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—यह किसने भेजा है प्रस्ताव, श्रीमन् ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, पूरा प्रस्ताव पढ़ दें तो अच्छा है।

अध्यक्ष——मैंने उचित नहीं समझा इसलिये इसको नहीं पढ़ा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इस किस्म की कोई केवल प्रचार की चीज सदन में हो।

बुलन्दशहर के सत्याग्रह के सम्बन्ध में गृह मंत्री का वक्तव्य

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)——परसों जब बुलन्दशहर के सत्याग्रह के संबंध में यहां कुछ बात चीत हुई थी तो माननीय वित्त मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि इस सम्बंध में गवर्नमेंट की ओर से एक वक्तव्य सदन के सामने पेश कर दिया जायगा . .

अध्यक्ष——तो आप कृपा करके उसको पेश कर दें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——२० अगस्त को ३ बजे दिन में समाजवादी पार्टी ने जिला मैजिस्ट्रेट बुलन्दशहर को सूचित किया कि यदि उनकी मांगें स्वीकार न की गयीं तो वह २१ तारीख से सत्याग्रह आरम्भ करेंगे। १——मांगें यह थीं :

(१) जमींदारों ने जो जमीनें जबरदस्ती छीन ली हैं वह मालिकों को लौटा दी जायं।

(२) समाजवादियों के विरुद्ध चलाये गये मुकदमें उठा लिये जायं।

(३) गांव पंचायत टैक्स बन्द कर दिया जाय और जो सरकारी नौकर जमा कर रहे हों उन्हें दंड दिया जाय।

(४) वर्तमान रूप में सेल्स टैक्स खत्म कर दिया जाय।

(५) फीस कम कर दी जाय।

(६) जो मुकदमे अदालतों में हैं वह जल्द फैसल हों और देर करने वाले अफसरों को दंड दिया जाय।

(७) अदालतों और दूसरी संस्थाओं में भ्रष्टाचार बंद किया जाय।

(८) सीमेंट, टिन, लोहा आदि का वितरण जन संस्था के आधार पर बनी सूचियों के अनुसार हो।

(९) मजदूरों को मकान बनाने के लिये मुफ्त भूमि दी जाय।

२——यह स्पष्ट है कि सत्याग्रह का उद्देश्य केवल पार्टी के लिये सस्ती ख्याति प्राप्ति करना और शांति भंग करना था। उस अवसर पर वहां सेठ दामोदर स्वरूप जैसे नेता उपस्थित थे। उनको भली भांति ज्ञात रहा होगा कि कई मांगें, जैसे फीस की कमी या सेल्स टैक्स का उठा देना, ऐसी थीं जिनकी पूर्ति करना स्थानीय अधिकारियों की शक्ति के सर्वथा बाहर था। जमींन और समाजवादियों पर चलाये गये मुकदमों का निर्णय अदालत ही कर सकती थी। जिला मैजिस्ट्रेट ने उनको सूचित किया कि भ्रष्टाचार को बन्द करने की पूरी कोशिश हो रही है और की जायेगी तथा मुकदमों को जल्द फैसल कराने का यत्न किया जायगा। शेष के लिये उन्होंने असमर्थता प्रकट की।

३——२१ तारीख को ६५ आदमी नारे लगाते हुये जिला मैजिस्ट्रेट के बंगले पर आये। उन्होंने लोगों का भीतर आना-जाना रोक दिया। उनको धारा १४३ आई० पी० सी० के अनुसार गैरकानूनी मजमा घोषित किया गया और चले जाने को कहा गया। उनके इन्कार करने पर उनको धारा १४३, १८६, ३४१ और ३४ आई० पी० सी० में गिरफ्तार किया गया। सत्याग्रहियों का मुख्य जमाव नुमाइश के मैदान में था। एस० डी० एम० सदर ने वहां जाकर उसको भी नाजायज घोषित किया और उन लोगों को चले जाने को कहा। इस पर ३५० व्यक्ति चुपचाप चले गये, २१ गिरफ्तार हुये। इस प्रकार उस दिन ८६ गिरफ्तारियां हुईं।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

इसके बाद धारा १४४ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार सारे जिले में १ महीने के लिये आज्ञा निकाली गयी। फिर भी दूसरे दिन ३१ और तीसरे दिन ६ व्यक्तियों ने कानून तोड़ा और गिरफ्तार हुये। फिर किसी ने सत्याग्रह करने की कोशिश नहीं की। आंदोलन समाप्त होगया, ऐसा प्रतीत होता है।

४—कुल मिला कर १२३ व्यक्ति गिरफ्तार हुये। इनमें से १२ बच्चे थे और उनको सेक्शन १६९ क्रि० प्रो० को० के अनुसार छोड़ दिया गया। तीन महिला सत्याग्रहियों में से २ को फर्स्ट आफेंडर्स प्रोबेशन ऐक्ट में छोड़ दिया गया। १६ पुरुष माफी मांगने पर फर्स्ट आफेंडर्स प्रोबेशन ऐक्ट की धारा ३ के अनुसार रिहा कर दिये गये। इस प्रकार कुल ३० व्यक्ति छूटे। शेष ९३ पर मुकदमे चले और उनको १ से ३ मास तक की सजा मिली।

यह कहना गलत है कि बच्चों को मांओं की गोद से छीना गया या लड़कों को शहर से दूर ले जाकर अकेले छोड़ दिया गया। उनका मकान शहर से २० मील पर है। वह लोग एक महिला सत्याग्रही के साथ वहां से आये थे। उसके बतलाने के अनुसार उनको उनके गांव पर छोड़ दिया गया।

अब परिस्थिति बिल्कुल शांत है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उस दिन मेरा कामरोको प्रस्ताव था, इसलिये मुझे कुछ कहने की इजाजत दी जाय।

अध्यक्ष—इसके ऊपर स्टेटमेंट देने का वादा सरकार ने किया था। वह दे दिया। अब अगर इस पर कुछ वाद-विवाद करना चाहते हैं तो सरकार से समय ले सकते हैं। मैं इस सदन का समय इसके ऊपर वाद-विवाद के लिये नहीं दे सकता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष—स्पष्टीकरण का भी इस वक्त कोई मौका नहीं हो सकता, क्योंकि उससे वाद-विवाद उत्पन्न हो सकता है।

उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (विधिक व्यवहार) (कठिनाइयों को दूर करने की) आज्ञा, १९५२, की प्रतिलिपि का मेज पर रखना

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—मैं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० ई०, की धारा ३४२ (३) के अधीन निर्मित उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (विधिक व्यवहार) (कठिनाइयों को दूर करने की) आज्ञा, १९५२ की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

*उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ़ कण्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५२ (क्रमागत)

अध्यक्ष—अब माननीय वित्त मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ़ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय तथा श्री नारायण दत्त तिवारी के संशोधन पर कि यह विधेयक इस सदन की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय, इस पर विवाद जारी रहेगा।

---

*१८ अगस्त, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

माननीय राजनारायण जी कल बोल रहे थे । वह कृपा कर अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल ट्रेजरी बेंचेज़ की ओर से माननीय नारायण दत्त जी ने जो सुझाव रखा था कमेटी निर्मित करने के लिये, उस पर जो आपत्तियां पेश की गयीं थीं मैं उनका जवाब दे रहा था । उस संबंध में ट्रेजरी बेंच के कुछ सम्मानित सदस्यों ने, जैसे श्री राम नरेश जी शुक्ला आदि, जो सोशलिस्ट पार्टी के विषय में कुछ संकेत किये थे और वर्तमान समय में शोषण और शोषित की प्रणालियों के संबंध में जो बातें हो रही थीं उस पर मैं कह रहा था । आज के भाषण में और कल के भाषण में एक क्रम स्थापित करने के लिये वाक्य को दोहरा देना चाहता हूं कि जहां तक मेरा संबंध है, मैं शोषक उसको मानता हूं जो दुनिया में सारी संपत्ति को दुनिया की सारी आबादी में बांटने से जो प्रति व्यक्ति आमदनी होती है उससे अधिक जो लेता है, वह हमारी परिभाषा के अन्दर एक शोषक की श्रेणी में आता है ।

अब मैं माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बिल प्रस्तुत किया है उसके उद्देश्य के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं । यह जो बिल हमारे सामने प्रस्तुत है उसके स्टेटमेंट आफ़ आबजेक्ट्स एंड रीज़न्स (उद्देश्य और कारण) बताए गये हैं कि बिजली की मांग ज्यादा हो गयी है परन्तु उत्पादन इतना नहीं होता है कि उस मांग की पूर्ति की जा सके । इस लिये माननीय वित्त मंत्री जी इस बिल को प्रस्तुत कर रहे हैं एक टेम्पोरेरी बिल कह करके । मैं आप के द्वारा माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि "टेम्पोरेरी" शब्द के भी कुछ माने हुआ करते हैं । माननीय वित्त मंत्री जी का जो यह बिल है यह नाम के लिये टेम्पोरेरी है मगर यह पर्मानेंट स्वरूप लेने जा रहा है । "अस्थायी" स्थायित्व में परिणत होने जा रहा है । इसी तरह का हुबहू बिल सन् १९४६ में आया था, सन् १९४७ में पास हुआ एक साल के लिये, फिर सन् १९४८ में आया और दो साल के लिये टेम्पोरेरी हुआ, फिर सन् १९५० में दो साल के लिये टेम्पोरेरी हुआ, फिर सन् १९५२ में दो साल के लिये टेम्पोरेरी होने जा रहा है, इसलिये मैं, आदरणीय स्पीकर महोदय, आप के ज़रिये माननीय वित्त मंत्री जी से बताना चाहता हूं कि इसका नाम जो रखा गया है, 'टेम्पोरेरी', अब इस 'टेम्पोरेरी' को बदल दिया जाना चाहिये 'परमानेंट' में । मैं दुबारा कहना चाहता हूं वित्त मंत्री जी से कि इस तरह से बार-बार टेम्पोरेरी बिल लाने से सरकार की मर्यादा भंग होती है । ऐसा लगता है दूसरे लोगों के देखने में । इसका आखिर क्या करण है ? जब सन् १९४७ में बिल आया था तब उस में साफ-साफ कहा गया था:

"It shall cease to have effect after September 30, 1950."

[३० सितम्बर, १९५०, के बाद यह निष्प्रभाव हो जायेगा ।]

फिर जब स्पष्टरूप से बिल आता है और इसमें यह भाषा लिखी जाती है कि सन् १९५० के बाद इसका असर नहीं रहेगा, तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से बिजली के उत्पादन की ओर बढ़ना चाहिये था, उस तरीक से यह सरकार नहीं बढ़ पा रही है और यही कारण है कि बार-बार टम्पोरेरी बिल लाने की चेष्टा किया करती है । इसलिये माननीय नारायण दत्त जी का जो संशोधन है वह बहुत ही उचित है । उनकी मांग जो है वह बहुत ही उचित है कि बार-बार टम्पोरेरी बिल लाने से अब काम चलने वाला नहीं है । एक बार स्पष्टरूप से सेलेक्ट कमेटी में जाने दीजिये और सेलेक्ट कमेटी में जितनी पक्ष और विपक्ष की बातें हैं सरकार की पिछली जितनी खूबियां हैं, जितनी ग़लतियां हैं, वे सब सामने आवें । ट्रेजरी बेंच के हमारे एक मित्र न कल यहां पर बोलते हुये एक ऐक्ट की एक धारा का हवाला दिया था कि प्रान्तीय सरकार केंद्रीय सरकार से बाध्य कर दी गयी है प्रान्तीय बोर्ड के निर्माण करने के बारे में । मैं ऐक्ट की उस धारा को भी पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जिस में व्यर्थ में प्रान्तीय सरकार अपनी ढ़िलाई को केन्द्रीय सरकार के नाम पर छिपाना चाहती है । कहीं भी इस ऐक्ट की धारा में नहीं लिखा हुआ है कि केंद्रीय सरकार प्रान्तीय सरकार को प्रान्तीय बोर्ड बनाने से रोकती है । साफ-साफ लिखा हुआ है कि अगर प्रान्तीय सरकार चाहे . . तो केंद्रीय सरकार समय बढ़ा सकती है ।

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम)---मैं जनाब के जरिये मुक़र्रिर साहब को यह इत्तिला देता हूं कि कल जो कुछ बातक ही गयी है वह यह नहीं है । उन्होंने यह नहीं कहा कि केन्द्रीय सरकार हमको, यहां की गवर्नमेंट को, रोकर ही है यहां इस काम के करने से । यह नहीं कहा उन्होंने ।

श्री राजनारायण---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई माननीय वित्त मंत्री जी के मुखारविन्द से यह बात सुन करके, फिर भी मैं पुनः अपनी उसी बात पर हूं। हमारे मित्र ऐजाज रसूल जी वहां से उठ करके मेरे पास आये, डिसकस (चर्चा) भी किया, और मैंने उनके बारे में जो बात बतलाई उसी तरीके से उन्होंने ऐक्ट को समझा था । खैर, अब यह बात साफ हो गयी कि केंद्रीय सरकार प्रान्तीय सरकार के कार्य में बाधक नहीं हो रही है । इसलिये अब मैं जोर देकर आदरणीय स्पीकर महोदय के जरिये कहना चाहता हूं कि जब केंद्रीय सरकार भी चाहती है तो क्यों हमारी वर्तमान सरकार के वित्त मंत्री जी इसको टेम्पोरेरी ही करार देना चाहते हैं यद्यपि छः साल का जमाना गुजर गया इसी सरकार के जरिये बिजली के उत्पादन के काम को चलाने में, तो क्या कारण है, क्या वजह है, क्यों नहीं इसका कारण बताया जाता कि किन-किन कमियों से, किन-किन खमियों किन-किन त्रुटियों से बिजली के उत्पादन में कमी हो रही है। किसलिये जो रिक्वायरमेंट्स (आवश्यकताएं) हैं हमारे सूबे के वे पूरे नहीं किये जा सकते। बार-बार टेम्पोरेरी बिल को लाने से सरकार को जिस ढंग पर बिजली के उत्पादन के कार्यक्रम को बढ़ाना चाहिये वह नहीं बढ़ा पाती है बल्कि उससे पीछे रह जाती है। इस लिये मैं निहायत जोर दे कर आदरणीय स्पीकर महोदय के जरिये ट्रेजरी बेंचेज के माननीय सदस्यों से और खासकर माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के संशोधन को वह क़बूल करें और इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में जाने दें ताकि वह विचार करें कि क्यों इस समय इस टेम्पोरेरी बिल के आने की जरूरत नहीं है और किस तरीके से हम बिजली के उत्पादन को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके विषय में समुचित रूप से एक बिल यहां उपस्थित हो सकेगा। मैं इतना ही कह कर बैठना चाहता हूं यद्यपि बहुत सी बातें जो कल ट्रेजरी बेंचेज की ओर से कही गयी थीं उसके संबंध में मुझे बहुत सी सफाई देनी थी मगर अब वह काम पूरा हुआ जा रहा है क्यों कि यहां विधान सभा के सदस्यों का एक क्लब है और कल माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने श्री राममनोहर लोहिया की मीटिंग का सभापतित्व ग्रहण करने की स्वीकृति दे दी है। उसमें सोशलिज्म, गांधीवाद और मार्क्सवाद के ऊपर लेक्चर होने वाला है । इसलिये सोशलिस्ट पार्टी के बारे में हमारे माननीय सदस्य जो यहां पर समय समय पर भिन्न भिन्न मत मतान्तरों को उपस्थित करते हैं उससे उनका भ्रम दूर हो जायगा। मैं उनसे आज ही निवेदन करना चाहता हूं कि कल शाम को ६ बजे मीटिंग में अवश्य आने का कष्ट करेंगे, क्योंकि बुद्धि परिकृष्त करने के लिये ऐसी मीटिंग में सम्मिलित होना विधान सभा के सदस्यों के लिये नितान्त आवश्यक है; गलत बुद्धि से गलत गैरजन-हितकारी कानून आज सरीखे ही बनते रहेंगे, इस परिपाटी को बदलना तमाम बुद्धिवादी सदस्यों का कर्तव्य है ।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं क्लोजर मूव (बहस बन्द करने का प्रस्ताव) करने के लिये।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---जनाब स्पीकर साहब, यह बिल जो मैंने कल पेश किया था उसके मुताल्लिक़ एक मोशन इस हाउस के सामने यह है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। मैं इस मोशन को मंजूर कर लेता अगर दो बातें होतीं। एक तो यह कि यह मोशन जिस वजह से लाया गया और जो वजह उसकी इस के मूवर ने अपनी तक़रीर में बतलायी वह मुमकिन नहीं है । दूसरी यह कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने से कोई फ़ायदा नहीं

हो सकता है । सेलेक्ट कमेटी में किसी बिल को भेजने का मुस्तक़िल उसूल यह है कि जो बिल लेजिस्लेचर के सामने लाया गया उस में जो प्रिन्सिपिल (सिद्धांत) इन्वाल्वड (निहित) है, जिस उसूल पर वह मबनी है अगर हाउस उस उसूल को तसलीम करता है तो इस ग़रज़ से कि इसके अन्दर जो और दफ़ात हैं, और प्राविजन्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट्स (उन्नति) करने के लिये और ऐसी जरूरी और मुनासिब तब्दीलियां करने के लिये कि जिससे वह कानून उस शक्ल से भी बेहतर शक्ल में चला जाय जिसमें कि वह ऐवान के सामने लाया गया है इस ग़रज़ से सेलेक्ट कमेटी में भेजा जा सकता है। इस बिल का मामला क्या है ? यह बिल सिर्फ़ इतना है कि एक ऐक्ट के अन्दर एक जगह सन् ५२ लिखा हुआ है । उस में यह तरमीम चाही गयी है कि उस जगह पर सन् ५४ लिख दिया जाय। अब हम इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजें तो वह सलेक्ट कमेटी क्या करेगी ? इसकी निस्बत कल उधर से तक़रीरों में यह कहा गया कि वह सेलेक्ट कमेटी इस ऐक्ट के अन्दर जो धारायें हैं, जो उसके सेक्शन्स मुस्तक़िल पहले से हैं उनको देख कर कि उनमें कोई तरमीम करनी चाहिये या कोई दफ़ाउ सके अन्दर बढ़ानी चाहिये तो वह बढ़ा देगी और जिस जगह कोई संशोधन करना चाहेगी वह संशोधन कर देगी कि जिस तरीके से इस वक्त इसका प्राविजन है उसके बजाय उसमें यह तब्दीली हो जाय। यह मुमकिन नहीं है कि सिलेक्ट कमेटी जिसको कि यह भेजा जाय, ऐसा नहीं कर सकती है। यह बिल्कुल कंवेन्शन (परिपाटी) और कानूनन दोनों चीजों के खिलाफ है । सिलेक्ट कमेटी तो इतनी ही चीज़ को देख सकती है जितना कि इस बिल के अन्दर है और इस बिल में सिवाय इसके और कुछ नहीं है कि इसमें ५२ के बजाय ५४ कर दिया जाय । कल ऐज़ाज़ रसूल साहब नें यह बात ठीक कही कि यह हो सकता है कि सिलेक्ट कमेटी इसमें ५२ के बजाय ५५ कर दे या ५३ कर दे और कोई चीज नहीं कर सकती है । तो कल जो मैंने तकरीरें सुनीं और बिलखसूस उन साहब की जिन्होंने मोशन पेश किया और चाहा कि इसको सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय, इन्होंने इतनी लम्बी तकरीर की लेकिन उसका उतना भी ताल्लुक नहीं था कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय, बल्कि जो कहा गया उसका नतीजा यह था कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने के बजाय नामंजूर कर दिया जाय और इस ऐवान को इसे मंजूर नहीं करना चाहिये । यह नतीजा उनकी तकरीर से निकल सकता है । लेकिन यह नतीजा नहीं निकलता है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय।

मैं नही समझता हूं कि कोई भी चीज ऐसी मौजूद है या कोई भी फायदा इस बिल के वहां भेजने से हो सकता है । कतअन नहीं हो सकता । मैं उनसे अर्ज़ करता हूं कि वह फिर इस पर गौर करें जिन्होंने इसको पेश किया है कि क्या वह वाकई अब भी चाहते हैं कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय जिससे उनका मतलब भी हासिल नहीं हो सकता है । यह मोशन ऐवान मंजूर कर नहीं सकता है । अब जो बातें इस बिल के मुताल्लिक़ कही गईं, जो तकरीरें सब से पहले इस पर हुईं अपोजीशन की तरफ से उसको मैंने सुना और मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस तकरीर में जितनी भी बातें कही गईं उनमें से किसी एक का भी इस बिल से ताल्लुक़ नहीं था और जितनी कानूनी दलीलें पेश की गयीं वह सब गैर-जरूरी और गैर-मुताल्लिक़ थीं । उनसे इस बिल पर न कोई रोशनी ही पड़ती थी और न मुखालिफत में ही राय कायम हो सकती थी .और न वह बातें इस बिल के मुताल्लिक़ थीं। जितनी बातें बिजली के नाम पर आ सकती हैं, कही जा सकती हैं, उसके मुताल्लिक जरूर कही गईं । वह भी मेरे नजदीक ऐसी थीं जो सही भी नहीं थीं यानी मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जो बातें भी कही गयीं वह सही नहीं थीं लेकिन ऐसी बातें भी कही गयीं जो सही नही थीं। मैं उन बातों में तो नहीं जाऊंगा । मैं एक आध बात को अर्ज कर दूंगा। मैंने उस वक्त कहा भी फार इंफारमेशन यानी इत्तिला के लिये फिर भी वह बातें दुहराई गईं कि सिनेमाओं को बिजली दी गई। हालांकि मैंने कहा कि नहीं दी गई और अब भी कहता हूं कि नहीं दी और सिनेमा वालों का डेपुटेशन और रोना धोना दुनिया को मालूम है । मालूम नहीं किधर से और कैसे यह राय कायम हुई ! दलील यह निकली कि इसको न बढ़ाया जाय। यह कहा गया कि

[श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

"सन् १९४८ का ऐक्ट है उससे सारा मतलब हासिल हो सकता है, इसकी जरूरत क्या है ?" इसकी जरूरत नहीं कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय । जब सन् ४८ का ऐक्ट सब मकसदों को पूरा करता है तो इस बिल को पेश करने की क्या जरूरत ?

सन् ४८ का ऐक्ट मैंने पढ़ा तो है । मेरे वह दोस्त फरमाते हैं कि उसके ऊपर यहां अमल ही नहीं हुआ, बोर्ड ही नहीं बनाया । यह सही है कि बोर्ड नहीं बनाया, लेकिन एक मुद्दत हुई जब यह एतराज इसके पहले यहां किया गया था और उसके जवाब में कह चुका हूं कि बोर्ड का जो प्राविजन है उस में खुद तरमीम हो रही है । वह तरमीम डेढ़ साल से मद्देनजर है और वह अभी मेटिरियालाइज (कार्यान्वित) नहीं हुई और उसका ऐक्ट अभी पास नहीं हुआ तो मैं कैसे इस स्टेट के अन्दर बोर्ड बना दूं जो इसमें प्रोवाइडेड है ? वह इतना कास्टली (मंहगा) है कि ७ आदमी बड़ी-बड़ी तनख्वाहों के उसमें हैं । उसमें किसी तरमीम की जरूरत है, वह तरमीम वहां हो जाय, वह कानून तरमीम हो कर ऐक्ट बन जाय तब सवाल उठता है कि वह बोर्ड बनाया जाय । और जहां तक मेरे दोस्त का ताल्लुक है और इस ऐवान के मेम्बर्स का ताल्लुक है तो इसके लिये तो उसमें मुमानियत लिखी हुई है कि कोई शख्स जो लेजिस्लेचर का मेम्बर हो या साल भर पहले रह चुका हो वह उसका मेम्बर नहीं हो सकता । तो उस बोर्ड के न बनने की वजह तो यह है कि उसका अभी बनना कब्ल अज़वक्त है । जिस वक्त तरमीम हो चुकेगी तो वह बना दिया जायगा । अब यह कि उस बोर्ड से इस कंट्रोल का मकसद हासिल हो जाय यह बात तो मेरी समझ में नहीं आती । मैंने उस कानून को पढ़ा है और २५ वर्ष तक मैंने वकालत भी की है । मैं समझता यह हूं कि मामूलीतौर पर कानून की इबारत को समझ लूंगा । मैं चेलेंज करता हूं उसको जो कानून को समझता हो, वह कभी यह नहीं कह सकता कि सन् ४८ का जो ऐक्ट है और उस बोर्ड का जो कार्य है उनके जरिये वह कोई काम हो सकता है जिस काम के लिये कंट्रोल जरूरी है । कंट्रोल ऐक्ट मौजूद है जिसकी कि तरमीम चाही जा रही है उसको पढ़िये तो मालूम होगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है । कोई यह बतावे कि सन् ४८ का जो कानून है या वह जो बोर्ड है उसकी फलां दफा इस कंट्रोल ऐक्ट में जो दफ़ा है उसी मकसद को पूरा करती है तब तो बात समझ में आ सकती है । उस कानून और उस कानून का कोई वास्ता नहीं । कंट्रोल बिल्कुल आर्जी चीज है चाहे वह ५० बरस तक जारी रहे, लेकिन वह काम आर्जी है । जिस वक्त दुनिया यह मान ले कि हम मुस्तकिल तौर पर कंट्रोल के मातहत रहना चाहते हैं लेकिन यह यहां तै नहीं हुआ है, संविधान हमारा इस बिना पर नहीं है और किसी लेजिस्लेचर की यह राय नहीं है तो मैं कानून को जिसको मुस्तकिल न होना चाहिये उसको यह कह दूं कि मुस्तकिल कर दो तो मुझसे ज्यादा गलती करने वाला कोई यहां नहीं हो सकता । मैं उसको क्या मुस्तकिल बनवाऊंगा ? मैंने कल अर्ज किया था कि सिर्फ इतनी सी बात है कि बिजली कम है और मांगने वाले ज्यादा हैं तो जरूरत इस बात की है कि बिजली के अच्छे इस्तेमाल के वास्ते कंट्रोल की आवश्यकता है । अब उसमें यह बात कि फलां कानून के जरिये यह हो सकता है, फलां बात इस तरह हो सकती है, मैं समझता हूं कि ये सब दलीलें इस बात पर नहीं पहुंचती कि कंट्रोल का जो ऐक्ट है उसकी कोई जरूरत नहीं है जरूरत है ।

मैंने कल अपनी तक़रीर में कहा था कि सन् १९५४ इसलिये रखा गया है कि सन् १९५४ ई० में ऐसी हालत हो सकती है, बिलखसूस ग्रिड एरिया में जहां पर कि इस वक्त बहुत दिक्कत है और जहां पर बिजली बढ़ाई जाने वाली है कि हम हालात को रिवाइज (पुनरीक्षित) कर सकें । अगर आप ने इसके आबजेक्ट्स एन्ड रीजन्स (उद्देश्यों और कारणों) को पढ़ा होता जो उसमें लिखा हुआ है और जिस तरह से स्केयरसिटी एरियाज (अभावपूर्ण क्षेत्रों) का जिकर है तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती थी । मुश्किल तो यह है कि कानून को तो समझने की जरूरत पड़ती है और उस तरह की तालीम की जरूरत होती है लेकिन किसी तकरीर के समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये । पिछले सालों की मेरी तकरीर का एक फिकरा यहां पर ला कर पढ़ दिया गया, यह नहीं देखा गया कि इसके ऊपर क्या है और नीचे क्या है कि उससे पूरा

मतलब क्या निकलता है । मगर उसका एक फिकरा का ले कर दुनिया के सामने उसको रख दिया कि फलां शख्स ने यह कहा था कि एक लाख बिजली है और ७ लाख की मांग है तो यह मांग १५ साला जो प्लान है उसमें भी पूरी नही हो सकती है यह उन्होंने दलील दी । मैं सही कहता हूं कि मुझे हैरत हुई कि किस तरह से किसी बात को तोड़-मरोड़ कर किस रंग में पेश कर दिया जाता है । उसका नतीजा यह होता है कि हमारे इस देश के रहने वाले और उसके जो नुमायन्दे हैं उनकी राय गलत कायम होती है । ऐसे रिस्पांसिबिल (उत्तर-दायी) आदमी इस बात को फील नहीं करते हैं कि इस किस्म की बातें कहने से क्या फायदा हो सकता है और यह कहां तक मुनासिब है यह भी कहा गया कि मुझे गुस्सा आ गया। यह बात हरगिज नहीं है । मुझे गुस्सा नहीं आता है । किसी भी वकील के अन्दर यह बहुत बड़ा ऐब होगा अगर वह किसी मुखालिफ वकील की दलील पर गुस्सा करे । मुझे ऐसी आदत पड़ गयी है और गुस्सा नहीं आता है । हां, अगर किसी बात में जोर पैदा करने के लिये आवाज को बुलन्द करना पड़ता है तो उसके मायने गुस्से के नहीं हो सकते हैं । मैं तो अपने सामने बैठने वाले सुर्ख टोपीवालों को भी अपना भाई समझता हूं । फिर गुस्सा क्यों करूं ? और गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं हो सकता है । लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जितनी बात हो और जिस हैसियत की हो उस को उसी हैसियत से देखना चाहिये । कंट्रोल के मायने क्या हैं और वह किसी कानून से पूरे होते हैं या नहीं या वह मकसूद सेलेक्ट कमेटी में भेजने से हासिल हो सकता है या नहीं ? मेरे एक दोस्त ने उधर से कहा था कि उसमें तो यह लिखा था कि लोकल (स्थानीय) कमेटी होनी चाहिये ।

(इस समय १२ बज कर ३८ मिनट पर अध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता, श्री सुल्तान आलम खां, पीठासीन हुये ।)

आज तक लोकल कमेटी नहीं बनाई गई और तकसीम में उसकी खराबी हो रही है । सही है । मैं इसका दावेदार नहीं हूं कि मैं जिस चीज का इन्तजाम कर रहा हूं उसके अन्दर किसी खराबी न होने की बात कहूं । यह नहीं कहता हूं कि खराब नहीं है, यह नहीं कहता हूं कि बेईमानी नहीं है । यह सब बातें होंगी, लेकिन जिस तरीके से और जिस शक्ल में दुनियां के सामने उसके रखा जाता है और उसको दिखाया जाता है उसको काबिले एतराज समझता हूं क्योंकि वह बात वाकयात से दूर चली जाती है । जो हकीकत है वह उससे दूर हो जाती है ।

आर्य साहब ने रामपुर की बाबत सवाल किया था कि ४-५ कनेक्शन किसी आदमी के नाम सैंक्शन (स्वीकृत) हुये लेकिन वह किसी और आदमी के यहां फ्राड (जाल) से लगा दिये गये । उसका जवाब मैंने यही दिया था कि दुनियां में जब से यह इन्तजाम कायम है और हुकूमत के जरिये से जितने आदमियों को कनेक्शन मिलते हैं वह बजाय उन आदमियों को दूसरे को मिल जाते हैं कोई भी पार्टी रही हो लेकिन गलती सब से हो सकती है । अगर हमारे सिवा, मौजूदा गवर्नमेंट के सिवा, कोई और हुकूमत इस काम को या किसी काम को करने बैठेगी तो क्या उसके काम में कोई गलती नहींहोगी ? अगर हम ने ५ हजार काम किये हों और फर्ज कीजिये उस में से २०० खराब या गलत हो गये हों उस हालत में यह कहां तक मुनासिब होगा कि उन ५,००० की खूबी को तो छिपाया जाय और जाय और उन २०० के ऊपर तमाम किस्म की बातें कही जायं और नतीजे निकाले जायं ? मेरे खयाल से यह इन्साफ की बात नहीं है । कहीं से दो-चार मिसालें दे देने से इस बात की दलील देना कि सब काम गलत हुआ है मुनासिब नहीं है । मेरे एक दोस्त ने कहा कि इस किस्म की बहुत सी बातें हैं और अगर जरूरत होगी तो मैं बहुत सी मिसालें भी पेश कर दूंगा । मैंने पहले भी अर्ज किया था और अब फिर कहता हूं कि आमतौर पर खड़े होकर कह दिया जाय कि यह बेईमानी हो रही है इससे कुछ काम नहीं चलता, अगर किसी के पास कोई इनडिविजुअल केसेज हैं, शिकायत हैं, तो वह मुझसे बतायें, मैंने पहले भी दावत दी थी और अब फिर दावत देता हूं । खैर, मैं उस किस्से में नहीं जाता ।

[श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

एक बात कही गई कि रेट्स (दरों) को रेगुलेट (विनियमित) करने के लिये एक मेशीनरी होनी चाहिये । और यहां मुख्तलिफ रेट्स हैं और बहुत ज्यादा उन में फर्क है। मेरी समझ में नहीं आया, या अल्लाह, ५ रुपया रेट कहां है, यू० पी० में कहीं पर क्या कोई बतला सकता है कि ५ रुपया, ढाई रुपया या डेढ़ रुपया रेट कहां है? वह पढ़कर कोई मुझे बतलावे कि वह रेटस कहां हैं। यहां तो बिजली पर (प्रति) यूनिट बिकती है और कहीं पर भी ५ रुपया या डेढ़ रुपये का रेट नहीं है, उस से कोई ताल्लुक ही नहीं था । मुझको तो सिर्फ यह बतलाना मंजूर था कि कानून में भी इंतजाम है और अमलन भी इंतजाम है । हमने कमेटी भी बैठायी है और ११ जगह पर रेटिङ्ग कमेटी बैठी है जब उनकी रिपोर्ट आवेंगी तो मालूम होगा कि क्या इंतजाम मुनासिब होगा और उसके मुताबिक अमल किया जायगा । मैंने तो यह इत्तिला दी थी और उसका यह नतीजा हुआ कि उधर वालों के खयाल से यह इतना बेमेल है और बेजोड़ है और इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाय।

एक तरफ से कहा गया है कि लोकल कमेटी बना दी जाय। मैं इस बारे में क्या अर्ज करूं? सिर्फ़ इतना कह सकता हूं कि यह कसूर तो मैं पहले ही कर चुका हूं और मैं लोकल कमेटियां बना चुका हूं और उन के सुपुर्द वहां का काम कर चुका हूं। इलाहाबाद में कानपुर में और किसी जगह हों, याद नहीं है लेकिन हमने अपने एक्सपेरीमेंट के लिये तजुर्बे के लिये इनको कायम किया था। उसका क्या नतीजा हुआ? मैं मेम्बर साहबान से माफी चाहता हूं कि मैं उन बातों को ऐवान के सामने बयान नहीं करना चाहता और मै उस तजुर्बे को कोई अच्छा तजुर्बा नहीं समझता। तो मैं आपसे अर्ज कर दूं कि मैं यह हिमाकत पहले ही कर चुका हूं। आगे के लिये मैं अर्ज करूंगा कि यह जो ४८ का कानून है और उसमें जो अब तरमीम हो रही है उसके हो जाने के बाद जो प्राविंशियल कौंसिल बनेगी या जो बोर्ड बनेगा वह इन तमाम कामों के लिये काफी होगा। उसमें ज्यादा जल्दी की जरूरत नहीं है और कोई दस बीस पचास साल की बात नहीं है थोड़े दिन की बात है और उसमें इस तरह के आदमी रखे हैं जो रखे जाने चाहिये। सेलेक्ट कमेटी के सामने पेश करने की बात मेरे नजदीक बिलकुल गलत है। उसमें वक्त सर्फ करना बेकार होगा।

अभी मेरे दोस्त राजनारायण जी कहते थे कि इसे मुस्तकिल कर दिया जाय। अगर मेरे व्याख्यान को उन्होंने कल ध्यान से सुना होता तो उनकी समझ में आ जाता की कन्ट्रोल को हम साथ साथ उठाते भी जाते हैं। जहां बिजली बढ़ती गई वहां हम कण्ट्रोल उठाते गये। मुस्तकिल करने से तो हमेशा के लिये कण्ट्रोल लग जायगा । मैंने तो प्रस्ताव सिर्फ कंसीडरेशन (विचार) का पेश किया था। सेलेक्ट कमेटी में भेजना सही नहीं है।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कण्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५२, को जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कण्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर, जैसा कि वह विधान परिषद् से पारित हुआ है, विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) ऐक्ट, १९४७ की धारा (४) में संख्या "1952" के स्थान में संख्या "1954" रखी जाय।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---(जिला टेहरी गढ़वाल) अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड २ की पंक्ति २ में शब्द व अंक संख्या "१९५२" के स्थान पर शब्द व अंक "३० सितम्बर, १९५२" तथा पंक्ति २ व ३ में शब्द व अंक संख्या "१९५४" के स्थान पर "३१ दिसम्बर, १९५२" रख दिया जाय।

कुछ समय पहले उपमंत्रियों के बारे में बात कहते हुये मैंने यह आश्चर्य प्रकट किया था कि यह कैसे हुआ कि न हमारे हाफिज साहेब को और न सैयद साहेब को उपमंत्री की अवश्यकता पड़ी। मैंने उस समय यह भी पूछा था कि क्या ये दोनों मंत्री और मंत्रियों की अपेक्षा अधिक चतुर हैं। उस समय मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। आज जो यह विधेयक हमारे सामने पेश है उससे मुझे उस प्रश्न का उत्तर पूर्णरूप से मिल गया। इस बात को स्वीकार करना ही पड़ता है कि हाफिज साहेब और सैयद साहेब कम से कम इस बिल के मुआफिक और मंत्रियों से अधिक चतुर हैं। अब जरा विधेयक पर ध्यान दीजिये। यह ऐसे शब्दों में ड्राफ्ट किया गया है जिसके कारण हमारे माननीय तिवारी जी का प्रस्ताव गिर गया। वह यह नहीं सोच पाये कि जो प्रस्ताव वह पेश कर रहे हैं वह केवल इस विधेयक से संबंध रख सकता है न कि उस ऐक्ट से जिसके बारे में यह विधेयक है।

दुख की बात यह भी है कि जो संशोधन माननीय गजेन्द्र सिंह जी के नाम में है, जो उनका दूसरा संशोधन है वह भी इसी कारण से स्वीकार गिना जायगा क्योंकि यदि उनका यह संशोधन स्वीकार किया जाय तो वह पिछले पुराने १९४७ के ऐक्ट के विरुद्ध गिना जायगा। अब आवश्यक है कि हम जरा विधेयक को देखें और उसको देखकर इस बात का पता लगायें कि विधेयक के उद्देश्य और कारण क्या हैं। यह विधेयक एक बहुत ही साधारण विधेयक है। मैं इस बात पर हाफिज जी से पूर्णतः सहमत हूं। देखने में यह विधेयक बहुत ही साधारण है। केवल १४ पंक्तियों का यह विधेयक है। इसमें कोई खास गम्भीरता दिखायी नहीं देती। उद्देश्य और कारणों को पढ़ते समय यह साधारणता और भी प्रतीत होती है। उसमें लिखा गया कि पुराना जो टैम्परेरी ऐक्ट था जो १९४७ में बनाया गया था उसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता पड़ गई है। इसलिये यह विधेयक इस सदन के सामने पेश किया जा रहा है। जो ऐक्ट १९४७ से लागू है, हालांकि यह नहीं कहा गया फिर भी यह आवश्यक समझा जाता है कि यदि एक ऐक्ट १९४७ में बना है और अभी तक लागू है तो अवश्य ही वह जनता को स्वीकार होगा। यदि मंत्री महोदय को उस ऐक्ट में चन्द संशोधन करने की आवश्यकता है, यदि वे उसकी आवश्यकता समझते हैं तो हमसे यह आशा की जाती है कि हम उन संशोधनों को बहुत महत्वपूर्ण न समझें।

अध्यक्ष महोदय, आगे देखिये कि एक वस्तु पर हमारी अनुमति मांगने के लिये हमारे मंत्री महोदय किसी बात को छिपाते नहीं हैं। सब बातें स्पष्ट रूप में उद्देश्यों में रख दी हैं। उन्होंने हमको यह बता दिया कि इस विधेयक को पेश करने का क्या कारण है; कोई लीपा पोती या बहाने बनाने का सवाल नहीं उठता। सब बातें उन्होंने कह दीं हैं। उन्होंने कहा है कि क्योंकि बिजली की मांग उसकी उत्पत्ति से अधिक है इसलिये इस विधेयक को इस सदन के सामने लाने की आवश्यकता हो गई है। जब हमारे एक मंत्री महोदय इस प्रकार अपनी लाचारी इस सदन के सामने जाहिर करते हैं तो हमारा भी यह कर्त्तव्य है कि उनको हरएक प्रकार का सहयोग दें। ऐसी हालत में इससे यह आशा कैसे की जा सकती है कि जब मंत्री महोदय हमसे सहायता मांगें तो हम उनको सहायता न दें ? अब प्रश्न यह उठता है कि हमारे मंत्री महोदय हमसे किस बात की सहायता मांगते हैं। इसलिये इस विधेयक की जांच करना आवश्यक हो जाता है। पहिली पंक्ति में हमको बताया जाता है कि विधेयक एक टेम्पोरेरी रूप का विधेयक है। इस टेम्पोरेरी शब्द के ऊपर काफी चर्चा हो चुकी है और हालांकि मैं इस 'टैम्पोरेरी' शब्द के काफी हद तक खिलाफ हूं लेकिन कुछ हद तक जो मंत्री महोदय ने इस सिलसिले में कहा उससे भी मैं सहमत हूं।

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

दूसरी पंक्ति में यह बात बताई जाती है कि यह विधेयक हमारे से ऊपर मंजिल में रहने वाले भाइयों ने स्वीकार किया है। यह तो नहीं कहा जाता कि क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया है इसलिये हम भी इसको बिना समझे स्वीकार कर लें।

हां, कहा तो नहीं जाता किन्तु मुझे इस प्रकार किसी आशा की झलक अवश्य दिखायी देती है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी पंक्ति के बाद आप आगे बढ़ें, बीच में कुछ कानूनी भूसा भरा गया है जिसको जांचने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बारहवीं पंक्ति आई जहां हमें धारा दो मिलती है और जो इस विधेयक की मुख्य धारा है। इस धारा के अनुसार पुराने ऐक्ट में जो संशोधन सरकार की ओर से पेश किया गया है उसका वर्णन है। संशोधन यह है कि पुराने ऐक्ट में जो संख्या १९५२ की लिखी हुई है उसके स्थान पर '१९५४' लिख दिया जाय। मुझे यहां पर जरा आश्चर्य होता है कि जब हमारे मंत्री महोदय ने इस विधेयक को इतना संक्षिप्त रूप देना उचित समझा तो उन्होंने पूरा '१९५२' लिखने का कष्ट क्यों उठाया? अगर वे १९५२ का अंक २ और १९५४ का अंक ४ लिख देते उससे भी उनके संशोधन का मतलब पूरा हो जाता।

अब अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इस विधेयक का मुख्य मकसद यह है कि पुराना ऐक्ट बढ़ाया जाय क्योंकि इस विधेयक के द्वारा जो ऐक्ट १९४७ में पारित किया गया था वह और दो साल के लिये बढ़ाया जायगा। यह अवश्य सोचना है ताकि इस सदन के सब सदस्य भली भांति इस बात का निश्चय कर लें कि आगे अब पुराने ऐक्ट का बढ़ाना उचित है या नहीं। इस बात का फैसला यह सदन तभी कर सकता है जब कि हम भली-भांति यह देखलें कि उस पुराने ऐक्ट के अनुसार क्या होगा और हो रहा है। इसलिये अब मुझे जो मुख्य ऐक्ट है उसके बारे में कुछ कहना आवश्यक हो जाता है। हमें इस यू० पी० ऐक्ट नम्बर ६, १९४७ की जांच करनी है। पूरा ऐक्ट पढ़ना न आवश्यक है न उचित। इस ऐक्ट की मुख्य धारायें दो हैं जिनके बारे में चर्चा हो सकती है, और जिसमें इसे और दो साल के लिये बढ़ाना उचित या अनुचित ठहराया जा सकता है। हमें उस पर ध्यान देना है—

इस ऐक्ट की विशेष धारायें यह हैं। नाम तो जो विधेयक का है 'अमेंडमेंट' शब्द का सिवा हूबहू वही है। सन् १९४७ में टेम्पोरेरी शब्द पहिली बार प्रयोग हुआ और न जाने किस कारण से अभी तक चला आ रहा है। १९४७ में जो ऐक्ट पारित हुआ वह केवल १९४८ के ३० सितम्बर तक लागू किया जाना था। उस सम्बन्ध में तो मैं पीछे कहूंगा। इस १९४७ के ऐक्ट का वर्णन इन शब्दों में किया गया है।

"An Act to provide for the continuance during a limited period of power to control the production, supply and distribution of and trade and commerce in, electricity...."

[एक सीमित काल तक बिजली के उत्पादन, रसद व वितरण को तथा बिजली से होने वाले कार्यों व व्यापार को नियन्त्रित करने के लिये अधिनियम.....]

फिर आप आगे बढ़ें तो तीसरी धारा में यह बतलाया गया है कि इस ऐक्ट द्वारा सरकार अपने हाथों में क्या क्या विशेष अधिकार ले रही है और फिर मेरे विचार में जो मुख्य धारा इसमें है वह धारा ४ है जिस धारा के अनुसार सरकार को इस बात को पूरा अधिकार रहेगा कि वह जिस व्यक्ति को चाहे, जिस व्यक्ति को उचित समझे उसको इस ऐक्ट का पूरा अधिकार सौंप सकती है।

जैसा मैंने अभी कहा अब हमको इस ऐक्ट की हर एक धारा को देखना है उनकी जांच करना है और उनको तौलना हमारा कर्त्तव्य है। हमारे मंत्री महोदय इस विधेयक को पेश करते

समय यह कहते हैं, शब्दों में नहीं, विधेयक को सामने रखने से उनका मतलब ही यह है कि उनकी विचारधारा के अनुसार यह सन् ४७ का ऐक्ट पारित किया जाना चाहिए, उनके विचार के अनुसार इस ऐक्ट की हर एक धारा ऐसी है जो न केवल उचित है बल्कि आवश्यक भी है। इस बात की हमको जांच करनी पड़ेगी कि हम माननीय मंत्री की राय से सहमत हैं या नहीं और अगर हम ऐसा समझते हैं तो हमें उनका साथ देना पड़ेगा। मंत्री महोदय ने यह नहीं कहा है कि ४७ के ऐक्ट की कोई भी धारा हटा दी जाय और उसका मतलब यह है कि पूरा ऐक्ट दो साल के लिये बढ़ा दिया जाय। सन् १९४७ के ऐक्ट में जो टेम्पोरेरी शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में बहुत चर्चा हुई, कल भी मुझे बोलने का अवसर मिला था। 'टेम्पोरेरी' लफ्ज इस्तेमाल करने में मुझे कोई विशेष आपत्ति नहीं है किन्तु जो भय है वह इस आदत से है कि टेम्पोरेरी लेजिस्लेशन द्वारा कहीं हमारी सरकार हर एक विषय पर इसके द्वारा राज्य शासन करने पर न तुल जाय। जैसा मैंने कल भी कहा था टैम्पोरेरी लेजिस्लेशन एक प्रकार का अर्डिनेंस (अधिनियम) माना जा सकता है। 'टेम्पोरेरी' शब्द के मतलब ही यह हैं कि कोई विशेष आपत्ति आने पर या किसी लांग रेंज पालिसी न बनाने के लिये किसी ऐक्ट के द्वारा उस आपत्ति का सामना फिलहाल करने के लिये वह इस सदन के सदस्यों से कहती है कि फिलहाल इस विशेष समस्या को दूर करने के लिये सरकार को यह शक्ति या यह अधिकार दे दो। जैसा मैंने कल भी कहा था, हमारे माननीय मंत्री महोदय ने जो कहा बिलकुल वैसा ही रहा होगा। सन् १९४७ में ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जिसका सामना करने के लिये यह आवश्यक रहा हो मुझे यह मालूम नहीं है कि इस सदन में सन् १९४७ में क्या विचार प्रकट किये गये मगर सन् १९५२ में आज हम यह फैसला नहीं कर सकते कि उस समय यह फैसला उचित था या अनुचित। हम इस बात को स्वीकार करने को तैयार हैं कि लड़ाई समाप्त हुई थी और हाल ही में अंग्रेजी सल्तनत यहां से गई थी।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---मैं एक वैधानिक आपत्ति करना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने जिस संशोधन को यहां रखा है उससे कुछ अलग अपने भाषण द्वारा बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। टेम्परेरी शब्द जो है वह आपके संशोधन में नहीं है। उसके ऊपर कल बहस हो चुकी है। इसलिये मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपने संशोधन पर ही भाषण सीमित रखें तो अच्छा है।

अधिष्ठाता---मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि अपने संशोधन पर ही तकरीर करें और उससे ज्यादा निकलने की कोशिश न करें। उनका भी वक्त बच जायगा और इस सदन का भी वक्त बच जायगा।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---अध्यक्ष महोदय, शुरू ही में मैंने इस बात को स्थापित करने की कोशिश की थी और मैंने इस सदन के सदस्यों को यह बात समझाने की कोशिश की थी, शायद समझा न सका हूं, कि मेरा संशोधन और माननीय मंत्री महोदय कि विधेयक यह आवश्यक कर देता है कि हम मुख्य ऐक्ट को धारावाहिक जांचें। इसलिये मैं नम्रता के साथ आपसे निवेदन करता हूं कि जो कुछ मैंने अभी तक कहा वह असंगत नहीं कहा जा सकता।

जैसा मैं कह रहा था कि टेम्पोरेरी लेजिस्लेशन के सिलसिले में कल कुछक हा था। वह शायद आज लोगबाग भूल गये होंगे। इसलिये यदि मैं दोहरा रहा हूं तो उसके लिये सदस्यों से क्षमा मांगता हूं और यदि मैं उसमें अधिक समय ले रहा हूं तो बहरहाल अपनी तसल्ली के लिये मैं यह कहता हूं कि ऐसे गम्भीर विषय में समय देना हमारा कर्त्तव्य है।

अभी मैंने टेम्पोरैरी लेजिस्लेशन के सिलसिले में आपके सामने मुख्य खतरा प्रगट कर दिया है इसलिये कि मेरे ख्याल में हमारे सामने जो विधेयक है वह इन सब खतरों का एक बहुत अच्छाउ दाहरण है।

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

टेम्पोरैरी लेजिस्लेशन का एक बहुत बड़ा खतरा यह कहा जा सकता है कि संकट आने पर कोई विशेष समस्या सामने आने पर यह संभव है कि उसका सामना करने के लिये सरकार अपने हाथों में आवश्यकता से ज्यादा अधिकार ले ले। यह अधिकार लेना या न लेना उचित है या अनुचित है इस विषय पर इस समय बोलना आवश्यक नहीं। किन्तु यह याद रहे कि अगर बार बार समस्याओं को हल करने के लिये टेम्पोरैरी लेजिस्लेशन का उपाय काम में लाया जाता है तो उसका जनता के लिये एक भयंकर भय उत्पन्न हो जाता है कि वह अपने हाथ में आवश्यकता से अधिक अधिकार ले ले।

दूसरा खतरा यह है कि मुख्य समस्या को टेम्पोरैरी लेजिस्लेशन द्वारा हल करने के बाद यह सम्भव है कि सरकार उस समस्या को फिर भूल जाय। यानी जो संकट '४७ में आया जिस को एक टेम्पोरैरी लेजिस्लेशन द्वारा दूर किया गया यह हमारे सामने स्पष्ट रूप में है कि गालिबन उस संकट के बारे में सरकार सब कुछ भूल गयी क्योंकि यदि भूली न होती तो फिर क्यों उसी टेम्पोरैरी लेजिस्लेशन को दोहराती रहती है, एक्सटेंशन (अतिदेश) के रूप में यदि सरकार ४७ में पैदा हुई घटना को न भूलती तो हमें ऐसा विश्वास है कि "४७ में ही हमारी सरकार एक लांग रेंज पालिसी (व्यापक नीति) बना कर इस समस्या को दूर करने की चेष्टा करती।

जैसा मैंने शुरू ही में कहा, यह विधेयक इन सब बातों का एक अच्छा उदाहरण है। टेम्पोरैरी लेजिस्लेशन के पहले जो मैंने खतरा कहा कि अधिक अधिकार अपने हाथों में लेना, वह इस विधेयक में मौजूद है। अधिक अधिकार उसी को कह सकते हैं। अधिक अधिकारों का फैसला तभी हो सकता है जबकि उसकी मौजूदा परिस्थिति के साथ तुलना की जाय। शायद सन् १९४७ में सरकार का इतने अधिकार अपने हाथ में लेना अनुचित न समझा गया हो।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)—He is repeating his arguments

[वे अपनी युक्तियों की द्विरुक्ति कर रहे हैं]

अधिष्ठाता—मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह अपने आर्गूमेंट्स रिपीट न करें इससे उनका वक्त भी बच जायगा। अपना जो संशोधन है उसी पर कहें।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—जैसा मैं कह रहा था, बिना रिपीट किये हुये, अधिक अधिकार सरकार को लेना कोई विशेष अनुचित बात नहीं है, किन्तु यह बात परिस्थिति के ऊपर निर्भर है। अगर परिस्थिति ऐसी हो जिसका सामना करने के लिये सरकार को अपने हाथों में पूर्ण अधिकार लेना यानी एक किस्म की डिक्टेटरशिप ही क्यों न स्थापित करनी पड़ जाय, मैं इसके खिलाफ नहीं बोलूंगा। हमारे सामने जो प्रश्न है वह यह है कि क्या जो परिस्थिति सन् १९४७ में प्रबल थी और जिन परिस्थितियों का सामना करने के लिये सरकार ने एक ऐक्ट पास किया था, क्या वह ऐक्ट आज सन् ५२ में भी इस प्रदेश में मौजूद है? यदि इसका उत्तर मंत्री महोदय द्वारा 'हां' में मिलता है और यदि वह हमें, इस सदन के सदस्यों को, इस बात में संतुष्ट कर सकते हैं तो मैं इस बात का एतराज नहीं करूंगा कि उनको अधिक अधिकार न लेने चाहिये। फिर, जैसा मैं बतला रहा था यह विधेयक पूर्ण तौर पर टेम्पोरैरी लेजिस्लेशन की कमजोरी व खतरों का एक उदाहरण है। तीसरी बात जो मैंने कही थी वह यह कि टेम्पोरैरी लेजिस्लेशन की सहायता लेने से यह संभव है कि सरकार समस्या को भूल जाय यदि सरकार इस समस्या को न भूल जाती तो बारम्बार उस पुराने ऐक्ट को एक्सटेंड करने (बढ़ाने) की आवश्यकता न पड़ती। अध्यक्ष महोदय, अब हमें इस बात का फैसला करना है कि क्या इस १९४७ के ऐक्ट से, जिन कारण और और उद्देश्यों को लेकर यह बना था, वे उद्देश्य पूरे हुये या नहीं। इस प्रश्न के उत्तर पर यह बात निर्भर होगी क्योंकि विधेयक में भी यही कहा जा रहा है। विधेयक का उद्देश्य इस पुराने ऐक्ट के उद्देश्य से काफी हद तक मिलता है और

कहा जाता है, कि उन उद्देश्यों को को पूरा करने के लिये यह विधेयक सामने रखा गया है। पुराने ऐक्ट की धारा ३ में इस ऐक्ट के मुख्य उद्देश्य का वर्णन मिलता है। कहा गया है कि

"The Provincial Government so far as it appears to be necessary or expedient for maintaining an increasing supply of electricity or for securing an equitable distribution and availability at fair prices, may by notification"

[बिजली की उत्तरोत्तर बर्धमान सप्लाई को बनाये रखने के लिये, या उचित मूल्य पर उसकी उपलब्धि तथा समान वितरण प्राप्त करने के लिये, जहां तक आवश्यक या तवरितता जंचे। प्रान्तीय सरकार, विज्ञप्ति द्वारा.....]

मतलब यह हुआ कि ऐक्ट का मुख्य उद्देश्य यह था कि

"increasing supply of electricity and securing equitable distribution".

(बिजली की वर्तमान सप्लाई.....तथा समान वितरण.....की प्राप्ति के लिये)

हमें अब इस बात का फैसला करना है कि सन् १९४७ में जो पास ऐक्ट हुआ था क्या उससे ऐक्ट यह मकसद पूरा हुआ या नहीं। अर्थात् १९४७ में इस ऐक्ट को पास करने के बाद बिजली का उत्पादन बढ़ा या नहीं।

श्री ऐजाज़ रसूल (जिला हरदोई)---मेरे ख्याल में यह सब बातें कल हो चुकी हैं और यह सब रैपिटीशन (द्विरुक्ति) हो रहा है।

अधिष्ठाता---आप क्या प्वाइंट आफ आर्डर रेज (विधान का प्रश्न उपस्थित) कर रहे हैं?

श्री ऐजाज़ रसूल---आप की इजाजत से मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सब बातें कल जनरल डिसकशन (सामान्य चर्चा) में हो चुकी हैं। सवाल यह है कि आप का अमेंडमेंट यह है कि ३१ दिसम्बर सन् १९५२ तक यह ऐक्ट और बढ़ा दिया जाय लेकिन वही सब बातें जनरल डिसकशन में हो चुकी हैं कही जा रही हैं। इसलिये आप की तवज्जेह मैं इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि मेम्बर साहब अमेंडमेंट के अन्दर कंफाइंड (सीमित) रहें तो अच्छा है।

अधिष्ठाता---माननीय सदस्य इस बात का लिहाज रखेंगे कि कई मर्तबा रेपिटीशन (द्विरुक्ति) हो चुका है और मैं समझता हूं उन्होंने काफी तकरीर कर ली है और सब चीजों पर रोशनी डाल दी है। अब मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि कोशिश यह करें कि जल्द से अपनी जल्द तकरीर खत्म करें।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---अध्यक्ष महोदय, कुछ बोलने से पहले मैं आपसे एक रूलिंग मागूंगा। हमारे सामने प्रश्न यह है कि हमारे मंत्री महोदय यह कहते हैं कि इस ऐक्ट को दो वर्ष के लिये बढ़ाया जाय और मैं कहता हूं कि इसको केवल तीन महीने के लिये बढ़ाया जाय। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले कम से कम हमें इस सदन के सदस्यों का यह जान लेना आवश्यक है कि यह चीज है क्या, इसके अन्दर है क्या.....

अधिष्ठाता---आप इस सिलसिले में जो आर्गूमेंट्स देना चाहें दे सकते हैं लेकिन मैं यह कह रहा था कि जो आर्गूमेंट् एक मर्तबा दे दिया जाय उसको बार बार रिपीट न किया जाय। इससे माननीय सदस्य का भी वक्त जाया होता है और इस सदन का भी जाया होता है। इसलिये अपनी तकरीर को आप अपने कायदे के अन्दर रखें।

महराजकुमार बालेन्दुशाह---अध्यक्ष महोदय, अगर मैं किसी प्रकार अपनी जिम्मेदारी की अवहेलना कर रहा हूं तो उसके लिये मैं आप से क्षमा मांग रहा हूं। मेरी प्रार्थना केवल यही है कि बारम्बार इंट्रप्शन (बाधा) से रेपिटीशन (द्विरुक्ति) की संभावना जरा और बढ़ जाती है।

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

ऐक्ट के बारे में मैंने यह प्रश्न उठाया था कि क्या इस ऐक्ट के द्वारा सरकार का जो उद्देश्य था वह पूरा हुआ या नहीं। हमको इस बात की जाच करनी है। हमारे मंत्री महोदय ने हमारे सामने आंकड़े रखे। मैं उन आंकड़ों को चैलेंज नहीं करता। मै उनसे ही कहता हूं कि वे स्वयं इस बात का फैसला करें कि जो उत्पादन बढ़ा है वह क्या इस विधेयक के द्वारा बढ़ा है या सरकार की जनरल नीति के द्वारा बढ़ा है। जो भी उसका उत्तर हो, वे स्वयं उसका उत्तर देवें। हमारे सामने प्रश्न केवल इतना ही है कि क्या इस विधेयक के द्वारा उत्पादन बढ़ा है या नहीं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मित्र.....

अधिष्ठाता---क्या आप प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज (विधान का प्रश्न उपस्थित) कर रहे हैं?

श्री मदन मोहन उपाध्याय---जी हां। सवा बज गया है। यदि माननीय सदस्य और लम्बी तकरीर करना चाहते हों तो लंच के बाद हो जाय।

अधिष्ठाता---मैं चाहता हूं कि आप की तकरीर खत्म हो जाय और यह संशोधन भी खत्म हो जाय, उसके बाद हम उठें तो ज्यादा अच्छा होगा।

महाराज कुमार बालेन्दुशाह---इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है किन्तु मैं कह नहीं सकता कि पांच या दस मिनट में मेरी स्पीच समाप्त हो जायगी, फिर आप की जो इच्छा।

अधिष्ठाता---आप अपनी तकरीर जारी रखें।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---संभव है कि दो बज जांय।

अध्यक्ष महोदय, जैसा मै कह रहा था, मुझे इस बात का माननीय मंत्री से यहां उत्तर नहीं चाहिये, वह मेरे सामने आंकड़े न रखें, उसकी आवश्यकता नहीं है किन्तु वह यह याद रखें कि जो आंकड़े आज हमारे मंत्री महोदय जनता के सामने रक्खेंगे जनता उन आंकड़ों से प्रभावित नहीं होगी। जनता मूर्ख है, अशिक्षित है, जनता केवल माननीय मंत्री के मुंह के मुंह से पाये हुये पुराने आश्वासनों को आज की मौजूदा प्रगति से तुलना करेगी। यदि उनके विचारों से आश्वासन और मौजूदा प्रगति बराबर है तो मैं भी उनको बधाई देने के लिये उत्सुक होऊंगा। मेरे विचार से इस सन् १९४७ के ऐक्ट को दो साल के लिये बढ़ा कर ऐक्ट का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं होता। मेरा विचार यह है कि आज इसी आशा में कि कभी न कभी इस ऐक्ट द्वारा प्रोडेक्शन पूरा हो जायगा बारम्बार इस ऐक्ट को एक्सटेंड किया जाय उचित नहीं। आशा की गयी थी जब कि यह ऐक्ट सन् १९४७ में पास हुआ था कि १९४८ तक बिजली का उत्पादन पूरा हो जायगा। लेकिन दो साल बाद यह विचार गलत साबित हुआ। १९४८ में फिर आशा की गयी कि दो साल और बढ़ाने के बाद सन् १९५० तक शायद फिर उद्देश्य पूरा हो जाय और उसके बाद इस ऐक्ट की आवश्यकता न पड़े। लाचारी की बात है कि सन् १९५० में भी यह आशा पूरी न हुई। सन् १९५० में फिर एक दफा और दो साल के लिये यह ऐक्ट एक्सटेंड किया गया। १९५२ की सितम्बर आने वाली है और अब यदि इस सदन के सदस्यों को यह कहा जाता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय सदस्य का इरादा बड़ी लम्बी तकरीर करने का है और यह कोई अहम मसला भी नहीं है कि से अभी खत्म कर ही दिया जाय इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अब सदन की कार्यवाही रोक दी जांय ताकि हम लोग जल पान करके तैयार हो कर आ जायं और फिर इस पर बहस जारी रहे।

अधिष्ठाता—क्या माननीय सदस्य कोई लम्बी तक़रीर करेंगे।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—जो हां, यह केवल संभव ही नहीं है बल्कि आवश्यक है।

अधिष्ठाता—तो अब हम उठते हैं और २ बजकर २५ मिनट पर फिर यहां जमा होंगे।

(इस समय १ बजकर २३ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—अध्यक्ष महोदय, रिसेस (अन्तर अकाश) के पहले मैंने बात की कोशिश की थी कि सदन के सदस्यों को यह बतलाऊंगा कि मेरे विचार के अनुसार क्यों इस विधेयक को पास न किया जाय जिस विधेयक के द्वारा एक पुराने ऐक्ट को दो साल के लिये और बढ़ाया जा रहा है। जबकि सभा विसर्जन हुई थी उस समय मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछ रहा था कि क्या वह इस बात से संतुष्ट हैं कि जिस विधेयक को उन्होंने हमारे सामने रखा और एक पुराना ऐक्ट जो एक विशेष उद्देश्य को लेकर पारित किया गया था यानी बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिये, तो क्या वह इस बात से संतुष्ट है कि दरसल में इस ऐक्ट से यह उद्देश्य पूरा हुआ। यह भी मैंने कहा था कि बारम्बार सरकार ने इस उपाय को इस्तेमाल किया।

इस विषय में मुझे एक आपत्ति है। मैं यह नहीं समझ पाया कि जब हमारे विधान के अनुसार भारतवर्ष एक सैक्यूलर स्टेट घोषित कर दिया गया है। फिर यह कैसे हुआ कि हिन्दू धर्म के ट्रांसमाइग्रेशन आफ सोल (आवागवन) के अनुसार एक पुराने बिल को बारम्बार जान दी गई जब कि इससे कोई खास फायदा भी नहीं हुआ है।

अब मैं आपकी आज्ञा से सदन के सामने यह कहना चाहूंगा कि इसमें जो मुख्य प्रश्न हमारे सामने है इसको हल करने के लिये सरकार को क्या करना चाहिये। सबसे पहले और मुख्य आवश्यकता इस बात की है कि सरकार अपनी नीति एक स्थायी रूप से निर्धारित करे।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य के सामने संशोधन है। उससे अलग सी बात हो रही है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—अध्यक्ष महोदय, इस विषय में आपकी अनुपस्थिति में कुछ बातें हुई थीं। उस समय मैंने आज्ञा मांगी थी कि संशोधन का महत्व यह है कि मंत्री जी कहते हैं कि यह दो सालके लिये बढ़ाया जाय और मेरा कहना यह है कि तीन महीने के लिये बढ़ाया जाय। इसका उत्तर तब ही मिल सकता है जबकि हम जांचें कि वह चीज क्या है जिसकी वजह से इसको दो साल के लिये बढ़ाया जाय।

अध्यक्ष—कोई असंगत बात होगी या जनरल बहस अगर आप शुरू करेंगे तो मैं उसकी इजाजत नहीं दूंगा। आप अपने संशोधन पर ही अपने भाषण को सीमित रखियें।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—मैं कोशिश करूंगा। यदि मेरी कोशिश यह हो कि मैं माननीय सदस्यों को बतलाऊं कि वह चीज क्या है जिससे हमारे मंत्री जी दो साल के लिये बढ़ाना चाहते हैं तो क्या यह अनुचित है?

अध्यक्ष—आम बहस में वह बातें आ चुकी हैं। अब आपका संशोधन है। आप ट्रांसमाई ग्रेशन आफ सोल (आवांगमन) की बात कर रहे हैं, और धर्म की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे उसका कोई संबंध नहीं था।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---आजकल धर्म तो सभी विषयों में असंगत गिना जाता है। इसके लिये क्षमा चाहता हूं। मेरे विचार के अनुसार सरकार को अपनी नीति एक स्थायी रूप से निर्धारित करनी चाहिये। इस विषय राष्ट्रियकरण यानी नेशनलाइजेशन के विषय में कुछ बोलना पड़ेगा। यदि सरकार का विचार यह है कि क्योंकि एलेक्शन के समय में इलेक्शन मेनीफेस्टो में नेशनेलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ कहा गया था। इसलिये सरकार चाहती है कि उचित या अनुचित कुछ भी हो इसको लागू करना चाहिये, मैं कहूंगा कि यह अनुचित बात है कोई बात यदि इलेक्शन के समय कही गई हो और उस समय थियोरिटिकलव रूप से देखते हुये नेशनलाइजेशन एक अच्छी चीज मानी गई हो लेकिन आज अनुभ से सरकार को यह मालूम हुआ हो कि नेशनलाइजेशन से कोई लाभ नहीं हुआ और इसके कारण उन लोगों को कुछ शंका हुई जो कि बिजली के उत्पादन के कार्यों में लगे हुये हैं तो मेरा खयाल है कि सरकार को यह हिम्मत होनी चाहिये कि वह अपने वोटरों को यह समझायेगी कि हालांकि किसी एक समय उन्होंने एक बात कही थी किन्तु आज परिस्थिति को देखते हुये उस विचार को कार्य रूप में परिणत करना अनुचित है। जिस ऐक्ट को माननीय मंत्री महोदय दो साल के लिये बढ़ाना चाहते हैं उस ऐक्ट की चौथी धारा में एक महत्वपूर्ण विषय है और उसके अनुसार सरकार ने अपने हाथ में यह अधिकार ले लिया है कि यदि वह आवश्यक समझे तो जो अधिकार इस ऐक्ट के अनुसार सरकार के हाथ में आते हैं उनको वह किसी व्यक्ति को सौंप दे। डेलिगेटेड लेजिस्लेशन एक महत्वपूर्ण विषय है और हमको इस बात पर सोचना पड़ेगा। डेलिगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह कभी भी इस्तेमाल न किया जाय, इसका इस्तेमाल करना आवश्यक है। इसका विशेष प्रयोग तब किया जाता है जब कि सदन को समय की कमी हो। बारम्बार मुझे इस बात की याद दिलाई गई कि समय इस सदन का व्यर्थ नष्ट न किया जाय। मेरी तरफ से पूरी चेष्टा भी यही रही कि समय व्यर्थ नष्ट न हो, समय लगे पर व्यर्थ नष्ट न हो। समय नष्ट करने के संबंध में मुझे यह कहना पड़ेगा कि मैं जो कुछ इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में बोल रहा हूं उसको इस सदन के सदस्य असंगत और व्यर्थ समझते हैं परन्तु क्या जबकि चन्द दिनों में इस सदन के सामने एक विधेयक आयेगा जिसके लिये हमसे यह कहा जाता है कि हम यहां सोच कर यह निश्चय करें कि सिनेमा हाउसेज में धूम्रपान बन्द किया जाय या नहीं? क्या यह ऐसा विषय है कि जिसके ऊपर यहां विचार करना आवश्यक है? क्या उस पर समय व्यर्थ नष्ट करना न कहा जायगा? इसके लिये जिलाधीश को पावर्स डेलीगेट की जा सकती है मगर बिजली के संबंध में कोई मामला ऐसा नहीं है जो कि समय की कमी के कारण महत्वपूर्ण न माना जाय।

अधिकार डेलीगेट तब भी किये जा सकते हैं अगर कोई टेक्निकल विषय हो। मैं आज इस सभा के सदस्यों से पूछना चाहूंगा क्या बिजली का उत्पादन और वितरण का विषय इतना टेक्निकल है कि वे लोग इसे नहीं समझ सकते? यह कारण भी नहीं चलेगा।

डेलीगेटेड लेजिस्लेशन उस समय भी अमल में आ सकता है जब कि कोई अचानक घटना उत्पन्न हो जिसके कारण सरकार इस सदन के सामने उसे न रख सके। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा सन् ४८ में अवश्य कोई ऐसी घटना हुई हो मगर मैं यह नहीं मान सकता कि आज जब कि हमारे सामने एक विधेयक है, जिसके द्वारा सरकार के अधिकार लेने के बारे में मैं एतराज नहीं उठा रहा हूं। किन्तु सरकार जो इन अधिकारों को डेलिगेट करने के लिये अधिकाधिक अधिकार ले रही है उसको मैं अनुचित समझता हूं। विशेषकर इसलिये कि जिन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है जब कि पावर डेलिगेट की जा रही हों किसी न किसी कारण से उन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। सबसे पहले इस पुराने मुख्य ऐक्ट में वह नहीं लिखा गया कि किस प्रकार से व्यक्ति को पावर डेलिगेट की जायगी। मैं मानता हूं कि सरकारी कर्मचारियों से यह आशा की जाती है कि वे निष्पक्षता से इन्साफ करेंगे। मैं यह भी कहता हूं कि बहुत से सरकारी

कर्मचारी ऐसे हैं कि जो आशा उनसे की जाती है उसको वह पूरा करते हैं। मगर सरकार यह नहीं कह सकती कि काफी उदारहण ऐसे हैं कि जहां पर सरकार ने बिना सोचे बिना जांच किये हुये ऐसे व्यक्तियों को अधिकार दे दिये हैं जो कि उस अधिकार का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। नाम लेना अनुचित है। यदि इस सदन के किसी सदस्य को कोई भी ऐसा कर्मचारी मालूम न हो जिसने डेलिगेटेड पावर का अनुचित प्रयोग किया हो तो मैं उनसे कहूंगा कि वह टेहरी गढ़वाल में जायं और वहां की जनता से पूछें। उनको जवाब वहां से मिलेगा।

अध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य को दोबारा आगाह कर देना चाहता हूं कि अब तक जितना भाषण हुआ है वह उनके संशोधन से सम्बन्ध नहीं रखता है। वह इर्रीलिवेन्ट (असम्बद्ध) हो रहा है और मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि यदि उनका भाषण इसी प्रकार से जारी रहा तो मुझे माननीय सदस्य को स्थान ग्रहण करने के लिये कहना पड़ेगा। इसलिये मैं उनको आगाह कर देना चाहता हूं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बोलने में कठिनाई महसूस कर रहा हूं। मैं इसको साफ नहीं समझ पाया कि क्या असंगत है।

अध्यक्ष--जिस वक्त इस पर आम बहस थी तभी तमाम बिल के सम्बन्ध में भाषण दिया जा सकता था और जिस वक्त क्लाज बाइ क्लाज डिस्कशन (खण्डशः चर्चा) होता है तब उसी क्लाज पर बहस हो सकती है जिस क्लाज से उसका सम्बन्ध हो, यानी जो सुधार का संशोधन सामने हो उसी के सम्बन्ध में भाषण होता है। पूरे बिल पर एक एक दफा पर यदि विचार होगा तो वह असम्बद्ध होगा और नियम विरुद्ध होगा और यह समझा जायगा कि सदन का समय बरबाद हो रहा है। इसलिये सदन का समय बचाने के लिये मुझे यह आपत्ति उठानी पड़ी। माननीय सदस्य यह समझ लें कि जितनी बहस संशोधन को समझने के लिये आवश्यक है उतनी ही वह कर सकते हैं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--एक बात मैं आपसे पूछता हूं कि पहले तिवारी जी का संशोधन पेश हुआ और उसके पश्चात् तुरन्त ही मुझे अपना संशोधन पेश करना पड़ा। मेरी यह बात गलत हो सकती है, लेकिन बीच में बिल के ऊपर कोई जनरल डिस्कशन (सामान्य चर्चा) का अवसर नहीं मिला।

अध्यक्ष--जनरल डिस्कशन माननीय मंत्री से शुरू हुआ। उसके ऊपर तिवारी जी का संशोधन हुआ। उन दोनों पर डिस्कशन जारी रहा उस समय आपको मौका दिया गया और भी उस समय भाषण हुये। प्रवर समिति में जाने का सिर्फ उस समय जिकर था और लोग उतना ही अपने भाषणों में जिकर करते लेकिन इसके अलावा भी और बातों का वह जिकर करते रहे। उस बिल की धाराओं के सम्बन्ध में और उसके सिद्धान्त के सम्बन्ध में वह जिकर करते रहे। आपको भी उसकी इजाजत दी गई। इतनी बहस होने के बाद अगर क्लाज बाई क्लाज डिस्कशन में फिर वही बहस होगी तो उसको मैं इर्रीलिवेन्ट (असम्बद्ध) समझूंगा।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--सारांश में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक द्वारा जिस ऐक्ट को २ साल के लिये बढ़ाया जा रहा है और उसमें जो डेलीगेशन के बारे में लिखा हुआ है तो उन पावर्स का प्रयोग सावधानी के साथ होना आवश्यक है। मैंने बताया कि काफी उदाहरण मौजूद हैं जहां सरकार ने शायद गलती से अनुचित व्यक्तियों पर पावर्स डेलीगेट की हैं। अब समाप्त करने से

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

पहले, जो कि अब सब लोगों की इच्छा प्रतीत होती है, मैं इस सदन के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह इस अमेंडिंग बिल का पूरा मक़सद समझें। प्रश्न यह नहीं है कि इसकी मियाद दो साल बढ़ाई जाय या तीन महीने बढ़ाई जाय, प्रश्न यह है कि आज जिसको बढ़ाया जा रहा है वह बढ़ने के योग्य भी है या नहीं। जैसा कि मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि यह सम्भव है, मेरा संशोधन जो है वह इस ऐक्ट को केवल ३ महीने के लिये बढ़ाने के लिये है। उसूल के सम्बन्ध में मैं कहने ही वाला था कि मेरे सुझाव के अनुसार यदि यह ऐक्ट ३ महीने के लिये बढ़ाया जाता है तो इसी दौरान में परिस्थिति की जांच हो सकती है। उसूल का जहां तक ताल्लुक है यह सम्भव है कि ३ महीने के बाद भी यही ऐक्ट हमारे सामने पेश किया जाय। मैं उसूल के विरुद्ध नहीं हूं बल्कि देखना है उसूल के मुताल्लिक़ परिस्थिति क्या है। मैंने तो शुरू में ही माननीय मंत्री महोदय से कहा था कि यदि वह हमें इस बात में सन्तुष्ट कर सकते हैं कि आज भी वही परिस्थिति मौजूद है जो सन् ४८ में थी तो इस ऐक्ट का बढ़ाना जरूर आवश्यक है: मगर साथ साथ यह बात भी ध्यान में रखना होगा कि इस ऐक्ट का उद्देश्य कहां तक सफल हुआ। इस सदन के सदस्यों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बात पर ध्यान दें और वह इस बात से प्रभावित न हों कि देखने में यह एक साधारण सा १४ पंक्तियों का बिल है और वह यह न समझें कि चूंकि केवल चन्द शब्दों का अमेंडमेंट हो रहा है इसलिये इस बिल पर अधिक समय देना व्यर्थ है। हमको यह फैसला करना होगा कि क्या इसकी म्याद २ साल बढ़ाने से जनता का लाभ हो रहा है और जो भरोसा सरकार ने इस बिल से बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के विषय में दिखलाया है वह सही है या ग़लत है।

अध्यक्ष महोदय बैठने से पहले मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह मुझे शब्दों में जवाब देने का कष्ट न करें। जवाब देना हो तो वह कर्तव्यों से जनता को जवाब दें। इसी में उनकी शान है, इसी में इस सदन का मान है, इसी में कांग्रेस संस्था की जान है और इसी में हमारे देश का कल्याण है।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जो संशोधन इस वक्त सामने है उसके मुताल्लिक जो पेश करने वाले मेम्बर साहब ने कहा मैं समझता हूं कि अगर वह मेरा कल का बयान सुन सके होते तो शायद इसे पेश करने की जरूरत ही नहीं समझते। बहुत ही छोटी सी बात थी कि बिजली कम है और मांग उससे ज्यादा है। इसीलिए कंट्रोल की जरूरत पैदा होती है। वह जरूरत इस वक्त भी मौजूद है। उसके आंकड़े भी मैंने कल अर्ज किये थे कि हाइड्रल ग्रिड एरिया में ६० और ७० हजार के दर्मियान बिजली की मांग है मगर वहां सिर्फ ४२ हजार बिजली ही तक़सीम होती है। जहां तक उत्पादन के बढ़ने का ताल्लुक़ है, वह भी कल मैंने बतला दिया था कि सन् ४७ से लेकर इस वक्त तक इस स्टेट में ३१ हजार किलोवाट से ज्यादा बिजली बढ़ाई जा चुकी है और अगले दो साल में जो बढ़ने की उम्मीद है उसके मुताल्लिक़ कल मैंने अर्ज किया था कि सारदा पावर स्टेशन और पथरी पावर स्टेशन से जो सन् ५४ में तैयार हो जाने वाले हैं, जो बिजली मिलेगी वह इतनी काफी तादाद में होगी कि उसकी बिना पर हमें उस समय मौक़ा होगा कि हम अपनी इस पोजीशन को रिवाइज (पुनरीक्षण) करें कि आया उस एरिया में हमें आयन्दा कंट्रोल रखना चाहिये या नहीं। इस वजह से इसे २ साल की मियाद दी गई है और यह वजह भी मैंने कल बयान कर दी थी। मैं यह जरूरी नहीं समझता कि मेरे दोस्त ने जो बातें इस वक्त कही हैं उनके मुताल्लिक़ कुछ जवाब दूं। सिर्फ इतनी बात कहनी है कि उनके ख़याल में इस स्थिति को कोई कमेटी

जांचती। लेकिन मैं कल यह भी बता चुका हूं कि लेजिस्लेजर की एक कमेटी ने पिछले साल में बैठ कर उस स्थिति को जांच कर अपना फैसला दिया था कि कंट्रोल उस शक्ल से जारी रहे जिससे कि मैंने कल बयान किया था कि आइन्दा उसकी तक़सीम किस तरह से होगी। वही बातें जो वे चाहते हैं पूरी तरह मौजूद हैं और उनके लिये अब किसी मजीद कार्यवाही की फ़िलहाल जरूरत नहीं है। अगर उनके अमेंडमेंट के मुताबिक अगले दिसम्बर तक मैं यह समझता कि हम कोई मुफ़ीद काम कर सकेंगे तो मैं उनकी बात मान लेता और उनका अमेंडमेंट मंजूर कर लेता। आखिर में जो बात उन्होंने कही है वह एक नसीहत है और मैं उसे बड़ी खुशदिली के साथ क़बूल करता हूं और उनके सामने और इस ऐवान के सामने यह कहता हूं कि वह भी दुआ करें और हम भी दुआ करें कि इस काम को पब्लिक की खिदमत के लिये अच्छे से अच्छे तरीक़े पर अन्जाम दे सकें।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह——अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को नहीं मानता कि यह आवश्यक ही है कि जो परिस्थिति कमेटी ने पिछले साल पाई थी वह इस साल भी है। किन्तु जब माननीय मंत्री इस बात से सन्तुष्ट हैं कि आज इस विषय की जांच करने के लिये किसी कमेटी के नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है तो फिर मैं अपने संशोधन पर जोर नहीं देता। आपसे आज्ञा मांगता हूं कि मुझे यह संशोधन वापस लेने की आज्ञा दी जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)——माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं अपना संशोधन सदन के सामने रखूं मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि मेरे संशोधन में '१९५६' के स्थान पर '१९५३' करने की आज्ञा दी जाय। मालूम नहीं यह मेरी लिखने की ग़लती है या छपने की है।

अध्यक्ष——आपके लिखने की ही ग़लती है। आप १९५३ पेश कर सकते हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह——मैं संशोधन पेश करता हूं कि खंड २ की अंतिम पंक्ति में अंक "१९५४" के स्थान पर अंक "१९५३" रक्खा जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है हम लोगों ने कल माननीय सचिव से यह प्रार्थना की थी कि पूरे विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय और उसमें जो खामियां हैं उनको दूर करके उसको सदन के सामने लाया जाय लेकिन प्रवर समिति का संशोधन माननीय वित्त मंत्री ने नहीं माना और सदन ने भी उसको स्वीकार नहीं किया। इसके बाद माननीय बालेन्दुशाह जी ने एक संशोधन रखा जिसमें उन्होंने ३ महीने के लिये सिफारिश की थी कि उसकी म्याद ३ महीने के लिये बढ़ा दी जाय। मैं अपने संशोधन के द्वारा माननीय सचिव से यह निवेदन करता हूं कि एक साल के लिये उसकी म्याद बढ़ा दी जाय। सन् ४७ में आपने उसकी म्याद १ साल के लिये बढ़वाई, ४८ में दो साल के लिये फिर ५० में दो साल के लिये, सन् ५२ तक उसकी म्याद में इजाफ़ा कराया अब ५२ में आप फिर दो साल का इजाफ़ा कराना चाहते हैं। दलील यह दी जाती है कि सन् ५४ तक काफी बिजली पैदा हो जायगी और आगे उसकी म्याद बढ़ाने की जरूरत न होगी। लेकिन मैं माननीय सचिव से यह कहना चाहता हूं कि सन् ४७ में जब आप इस संशोधन को लाये थे उस वक्त भी आपने यही कहा था कि रिहन्द डैम आदि बांध बंध जायेंगे लिहाजा इसकी म्याद एक ही साल को बढ़ा दी जाय। फिर दो साल का टाइम बढ़वाया गया लेकिन फिर भी यही आर्गुमेंट (युक्ति) दिया गया और उसके

[श्री गजेन्द्र सिंह]

बाद भी यही आर्गुमेंट दिया जाता रहा है। दिनों दिन बिजली की मांग तो बढ़ती जा रही है और आप उसकी पैदावार को बढ़ा नहीं पा रहे हैं इसलिये सन् ५४ तक भी आप मांग के मुताबिक बिजली पैदा नहीं कर पायेंगे और सन् ५४ में फिर दो साल के लिये आपको इसकी म्याद बढ़वानी होगी। उसकी समस्या तो तब तक हल न होगी जब तक कि रिहन्द डैम या दूसरे बांध बन कर तैयार न हो जायं। ऐसी सूरत में मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि इसकी म्याद एक साल को बढ़ा दी जाय और उस बीच में आप एक कमेटी बैठा दें जो सदन के सामने एक ऐसा बिल लाये जो मुस्तकिल रूप से जारी रह सके। उस बिल में वह तमाम खामियां जो इस बिल में हैं दूर कर दी जायं और एक अच्छे किस्म का बिल सदन के सामने रखा जाय। इससे ही सरकार की इज्जत रहेगी और माननीय सदन की इज्जत भी रहेगी क्योंकि वह एक ऐसा बिल होगा जो कि कंट्रोल के बावजूद भी जनता की तमाम तकलीफों को दूर कर सकेगा। इस बिल से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है, बिजली का वितरण भी ठीक से नहीं हो रहा है,. ऐसे बिल की म्याद बढ़ाया जाना लज्जाजनक बात है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अपनी प्रेस्टिज (मर्यादा) के लिये भवन की इज्जत के लिये हमारे इस संशोधन को मंजूर कर लें और दो साल के बजाय केवल एक साल का टाइम बढ़ा दिया जाय और इस एक साल के बीच में अच्छे रूप में एक दूसरा बिल लाया जाय और उसको इस प्रान्त में लागू किया जाय। मैं माननीय मंत्री जी को यह निवेदन करूंगा कि वे इसको मान लें। इसके अतिरिक्त मैं इस बारे में और कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि इस पर कल भी काफी कहा जा चुका है और आज भी काफी कहा गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---आदर्णीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय गजेन्द्र सिंह जी द्वारा उपस्थित प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जिस समय हमारे वित्त मंत्री जी ने हमारे प्रवर समिति के प्रस्ताव का विरोध किया था तो उन कारणों में एक कारण यह भी बताया था कि इस एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐक्ट में तरमीम होने जा रही है। यानी कुछ संशोधनों के साथ उस सप्लाई ऐक्ट को वे लागू करने वाले हैं। तब तक न तो वे कोई बोर्ड ही बनायेंगे और न कुछ करेंगे और तरमीमों के बारे में उनकी बात से यह मालूम पड़ता है कि यह तरमीम तो पार्लियामेंट के अगले.....

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---मैं अर्ज करूं कि यह तो किसी पहली तकरीर की तहरीर है। इस वक्त जो मामला पेश है उसके मुताल्लिक यह बात नहीं है।

अध्यक्ष---आखिर तकरीर हो जाने दीजिये और उसका नतीजा निकाल लेने दीजिये तब पता लगेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो तरमीम माननीय मंत्री जी 'एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐक्ट में' में मंजूर कराने वाले हैं वह तो अगले पार्लियामेंट के सेशन तक मंजूर हो जायगी। वह तरमीम भी एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐक्ट में हो जाय तो मेरे कहने का मंशा यह है कि अगले साल के अन्दर वह चीज एलेक्ट्रिक सप्लाई में लागू हो जायगी। तो जब एक साल के अन्दर यह मामला होने ही वाला है और खुद माननीय मंत्री जी जो चाहते हैं वही होने वाला है तो इसकी क्या आवश्यकता है कि इसकी मियाद सन् ५४ तक बढ़ावें। थोड़ी देर के लिये माना कि जैसा मंत्री जी ने कहा वह ठीक ही कहा कि ५२ की जगह ५४ कर दिया जाय तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये उसी तरह से मैं समझता हूं कि बहस इतनी ही है कि ५२ की जगह ५३ कर दिया जाय। तो जहां तक उनका सवाल है

उन्हीं की आपत्ति को लेकर हम समझते हैं कि उन्हें यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये कि ५३ को अगर मान लेते हैं तो उनका मकसद पूरा हो जाता है और इसके कुछ कारण और भी हो सकते हैं जो कि मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी के सामने प्रस्तुत करूंगा।

यह है कि परसों जब एक सवाल पूछा गया कि शारदा पावर हाउस कब तक पूरा हो जायगा तो उन्होंने जवाब दिया कि इसके लिये महीना और कोई तारीख तो नहीं बतलाया जा सकता लेकिन ५३ के आखिरी महीने तक शारदा पावर हाउस बन जायगा और पथरी पावर हाउस सन् ५३ के बीच तक बन जायगा। तो सन् ५३ तक ४२ हजार किलोवाट बिजली का उत्पादन हमारे यहां बढ़ जाने वाला है तो मैं समझता हूं कि केवल एक साल के लिये बढ़ाने के सिलसिले में माननीय मंत्री जी को कोई एतराज न होना चाहिये और तब तक हमारे सामने रेटिंग कमेटी की रिपोर्ट भी आ जायगी। जब हमने रेटिंग कमेटी की रिपोर्ट मांगी तो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि रेटिंग कमेटी की रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है लेकिन ५, ६ महीने में तो वह जरूर तैयार हो जायगी। तो रेटिंग कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक भी हम लोग इस काबिल हो जायेंगे कि अपनी राय सरकार को दे सकें और ऐक्ट में कोई नया मामला हो तो उस सिलसिले में यह भी बतला सकेंगे कि इस ऐक्ट में यह नयी धारा बढ़ायी जाय या यह घटायी जाय। इस तरह से मैं समझता हूं कि एक साल का समय बहुत ही उपयुक्त है। फिर मान लिया जाय कि सन् ५३ तक सप्लाई एलेक्ट्रिसिटी का पूरा नहीं होता है, सप्लाई और डिमांड के रेशियो में कोई खास अन्तर नहीं आता है और अब तक कम नहीं है तो फिर आप एक साल बाद हमारे सामने प्रस्ताव ला सकते हैं जैसा कि आज तक लाते भी रहे हैं। अगर केवल दो साल की ही बात है और एक साल और दो साल में कोई विशेष अन्तर नहीं है तो फिर मैं कहूंगा कि यह ठीक होगा कि ५४ की जगह पर ५३ ही कर दिया जाय। क्योंकि इसमें भी कोई विशेष अन्तर नहीं होगा। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्यों को इसे स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि सदन ने कभी कोई प्रस्ताव या संशोधन एक साल के लिये मंजूर न किया हो। हमें तो यह मालूम है कि शुरू में जब सन् ४७ में यह ऐक्ट बना तो केवल एक साल के लिये था। तो अगर आज एक साल के लिये एक्सटेंशन (अतिदेश) मंजूर करते हैं तो मैं समझता हूं कि इसमें माननीय मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसी कोई मंशा उन्होंने जाहिर भी नहीं की है। तो मैं समझता हूं कि माननीय गजेन्द्र सिंह जी ने जो ऐसा प्रस्ताव रखा है यह तो माननीय मंत्री जी के दृष्टिकोण से भी उचित है और खूबी इसमें होगी कि माननीय मंत्री जी उनके इस छोटे से संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम——जनाबवाला, मैं इस बात को मान लेता कि इसकी मियाद सन् १९५४ के बजाय सन् १९५३ हो जाय। मगर दुनिया में जो वादा किया जाता है वह वफा करने के लिये होता है। मेरे दोस्त जो कह रहे हैं कि सन् ५३ में फिर ले आइये अगर जरूरत बाकी रहे अगर मैं यह समझता कि फिर यही झगड़ा उस समय नहीं होगा तो मैं उनकी इस बात को मंजूर कर लेता। उन्होंने कोई माकूल वजह सन् १९५३ के काम करने की नहीं दी। मैंने यह अर्ज किया कि उनका तो पहले यही कहना गलत है कि पहले भी यह एक साल के लिये लाया गया था पहले यह एक साल के लिये नहीं हुआ था दो साल के लिये हुआ था तो जो मैंने कहा था उसी को पढ़ कर देखा जाय उन्हें ५३ की तो याद रही और ५४ की जो मैंने कही वह याद नहीं रही। मैंने उसमें कहा था कि ५३ के खत्म होने तक या ५४ के आधे तक यह मैंने कहा कि वह लिखा हुआ मौजूद है। ५३ में तो मुझे यकीन है

[श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम]

नहीं कि वह पूरा हो सकता है लेकिन ५४ में यह तवक्को है कि वह बढ़ जायगी। इन्सान की यकीनें और उम्मीदें बहुत सी पूरी नहीं होती। अगर उस वक्त पूरी नहीं होगी तो देखा जायगा मगर सन् ५३ में तो कोई खास तवक्को है नहीं जिसकी बिना पर मैं यह समझूं कि इसकी जरूरत नहीं रहेगी। इसलिये ५३ में फिर लाकर वक्त खराब करूं और गवर्नमेंट का रुपया खर्च करूं। इसमें वक्त लगता है और रुपया खराब होता है। अब इतना रुपया खराब करना और वक्त खराब करना कोई अक़लमंदी तो होती नहीं। मैंने अपने दोस्त से कोई माकूल वजह नहीं सुनी और इसलिये मुझे अफसोस है कि मैं इस तरमीम को मंजूर नहीं कर सकता।

श्री गजेन्द्र सिंह——माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने हमारे संशोधन के खिलाफ बोलते हुये कोई ऐसी दलील नहीं दी जिससे प्रभावित होकर मैं अपने संशोधन को वापिस ले लूं। मेरे संशोधन के खिलाफ बोलते हुये उन्होंने कहा कि ५३ के बाद फिर एक बिल लाना पड़ेगा और फिर इस सदन का समय बरबाद करना पड़ेगा। मैं तो इज़ाफे वग़ैरह की बात नहीं करता। मैं तो चाहता हूं कि ऐसा मुस्तकिल बिल लाया जाय जो काफी समय तक जारी रहे। मैं कंट्रोल से घबड़ाता नहीं हूं। उनको तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। जब तक कि प्रोडक्शन न बढ़े। कंट्रोल से घबड़ाहट मुझे नहीं होती है लेकिन मैं यह चाहता हूं कि कोई मुस्तकिल बिल लाया जाय ताकि यह बारबार टाइम न बढ़ाना पड़े। तो इस तरह से हमारा आपसे निवेदन यह है कि एक मुस्तकिल बिल लाइये ताकि यह जो खराबियां है वह मुस्तकिल तौर पर दूर हो जायं। इसीलिये मैंने यह संशोधन पेश किया था और उनसे अपील की थी कि हमारे संशोधन को मान लेते तो निहायत अच्छा होता। मैं उनसे फिर अपील करूंगा कि हमारे संशोधन को मान लें।

अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि खंड २ की अन्तिम पंक्ति में अंक "१९५४" के स्थान पर अंक "१९५३" रक्खा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष——मैं श्री गजेन्द्र सिंह से जानना चाहता हूं कि यह आपने नये खंड ३ बढ़ाने के संशोधन का नोटिस दिया है, आप इस संशोधन को किस तरह वैध समझते हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह——माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक में लिखा हुआ है कि चूंकि कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां आगे चल कर प्रतीत होंगे यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) "ऐक्ट, १९४७ में संशोधन करना आवश्यक है।"

तो यह माननीय मंत्री द्वारा जो यह बिल आया है उसमें कहा गया है "कुछ प्रयोजनों के निमित्त" और इसके साथ कहा गया है "ऐक्ट, १९४७ में संशोधन करना आवश्यक है, अतएव एतत्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।"

तो उन्होंने संशोधन यह रखा है कि सन् १९५२ ई० के स्थान पर सन् १९५४ ई० कर दिया जाय। मैंने संशोधन किया है कि तीसरा खंड बढ़ा दिया जाय।

अध्यक्ष---वह मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि "बिजली की दरख्वास्तों को मंजूर करने के लिए हर जिले में सात व्यक्तियों की उपसमिति बनायी जाय" यह शब्द कहां फिट इन (संविष्टि) करेंगे? कहां चस्पां किये जायं, क्या हो?

श्री गजेन्द्र सिंह---तीसरा नया खंड बढ़ाया जाय।

अध्यक्ष---लेकिन वह किसी का भाग तो बनेगा?

श्री गजेन्द्र सिंह---खंड २ के बाद निम्नलिखित नया खंड बढ़ाया जाय.....

अध्यक्ष---यानी इसी विधेयक में आप इसे जोड़ना चाहते हैं। लेकिन इस विधेयक में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। और जो पहला अधिनियम है उसमें भी इस किस्म का जो प्रोसीडचोर (प्रक्रिया) है उसके बारे में उल्लेख नहीं है। तो प्रोसीडचोर को आप इसमें मिला देना चाहते हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह---स्पष्टीकरण के रूप में बढ़ाना चाहता हूं।

अध्यक्ष---स्पष्टीकरण यह नहीं है। मैं इस को अवैध करार देता हूं। यह असंगत सा लगता है। इसमें मिलता नहीं है। इसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं।

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टैम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५२

१९४७ का यू० पी० ऐक्ट ६।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी (टैम्पोरेरी पावर्स आफ़ कंट्रोल) ऐक्ट, १९४७, में संशोधन करने के निमित्त विधेयक

१९४७ का यू० पी० ऐक्ट ६।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां आगे चलकर प्रतीत होंगे, यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी (टैम्पोरेरी पावर्स आफ़ कंट्रोल) ऐक्ट, १९४७, में संशोधन करना आवश्यक है।

अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

१---(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टैम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) अधिनियम, १९५२" होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक का अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टैम्पोरेरी पावर्स आफ़ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५२, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

[श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम]

इस बिल के मुताल्लिक कल से बहुत कुछ मुबाहसा इस ऐवान में हो चुका है। मैं मेम्बरान का बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने अपने नेक मशविरों से गवर्नमेंट को फायदा पहुंचाने की तकलीफ की और उस दौरान में जो बातें इस किस्म की कही गयी हैं जिनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) में गवर्नमेंट को सामने रखना जरूरी है उनकी निस्बत मैं यकीन दिलाता हूं कि वह बातें गवर्नमेंट अपने सामने रखेगी और इस बात की कोशिश करेगी कि बिजली की तकसीम सही उसूल के मुताबिक उन आदमियों के लिये हो जिन आदमियों के लिये होना उसका जरूरी है और इससे ज्यादा मैं कुछ अर्ज न करके मैं अपनी गुजारिश को खत्म करता हूं और तवक्को करता हूं कि मेम्बरान भी मेरा इस मामले में साथ देंगे कि अब और ज्यादा वक्त न ले कर इस बिल को पास किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष---इसमें चूंकि कोई संशोधन मंजूर नहीं हुआ है इसलिये थर्ड रीडिंग (तृतीय वाचन) में बहस नहीं होगी।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टैम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५२, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२, पर विचार किया जाय।

यह बहुत छोटा सा विधेयक है और २२ तारीख को जबकि गैर सरकारी प्रस्तावों पर विचार हो रहा था तब मैंने काफी तफसील से इसकी चर्चा भी इस सदन में की थी। इसलिये मैं आवश्यकता नहीं समझता कि सदन का कोई ज्यादा समय लिया जाय, सिवाय इसके कि बहुत से कमजोर और गरीब किसान जो कि वर्षों से अपने खातों पर काबिज हैं और ऐसी भी सूरतें हैं कि जहां एक पीढ़ी से वह काश्त करते चले आये हैं उनके नाम कागजात में दर्ज नहीं है। तो जब जमींदारी का विनाश हो चुका है और पहली जुलाई को सामन्त शाही व्यवस्था खत्म हो चुकी है तो उससे कुछ पहले और उसके बाद भी जमींदारों की ओर से और असली काश्तकारों की ओर से भी ऐसे काश्तकारों को बेदखल करने की कोशिश की गयी है और कोशिश रही है। ऐसी भी घटनायें हैं कि जहां वह इस कोशिश में कामयाब हो भी चुके हैं, क्योंकि ये काश्तकार बहुधा निर्धन होते हैं और भोले होते हैं और साथ ही उनका नाम कागजात पटवारी में दर्ज नहीं और जिस जमीन पर वह काश्त करते हैं उसपर या तो ऐक्स जमींदार या भूमिधर का नाम दर्ज है, या किसी और शख्स का नाम उन्होंने दर्ज कराया हुआ है, अपने अलावा। तो इस कारण से वह अदालत में जाते भी हैं तो कुछ तो पैसा उनके पास नहीं होता है और अगर कहीं से पैसा जुटा भी पाते हैं तो उनका जो कानूनी हक है, ऐसा हक जिसको देने की इस कानून की मंशा है, जो जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम है और जो पहले उससे कानून बन चुके हैं उनकी भी मंशा थी, वह अपने हक़ से महरूम रह जाता है। वह न अपने गवाह पेश कर सकता है, न उतना खर्चा कर सकता है। गवाह भी पेश करता है तो वर्षों से दूसरे फरीक के जो इन्दराज कागजात में चले आते हैं कानूनी शहादत और दूसरे क़वानीन की वजह से, वह उन इन्दराजों के मुकाबले में पार नहीं पा सकता है और ऐसे सौ मामलों में निन्न्यानवे मामले में वह हार कर बैठ जाता है, घर पर झक मार कर बैठ जाता है। यही नहीं, अबतक तो यह था कि अगर वह उस जमीन पर काश्त करता रहे तो काश्तकार असली और जमींदार उसको

* २२ अगस्त, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

छेड़ता नहीं था, लेकिन अब जमींदार या काश्तकार असली ऐसे आदमी का कब्जा कायम रखने के लिये रजामन्द नहीं है, तैयार नहीं है, क्योंकि वह जानते हैं कि बहुत क्रांतिकारी अधिकार किसानों को दिये गये हैं। तो इसलिये अब कोई रिस्क लेने के लिये, खतरा उठाने के लिये तैयार नहीं है। इसलिये ऐसे लोगों को, जिनका इन्दराज नहीं है, वह एक दम निकाल रहे हैं।

जैसा मैंने अर्ज किया, अदालत में जाता है तो उल्टा मुकदमे को हारता है, खुद खर्चा उठाता है और दूसरे का खर्चा भी उसको बरदाश्त करना होता है। तो मुकदमा करने के बाद घर के बरतन वगैरा सब नीलाम हो जाते हैं और पहले से ज्यादा बेसरोसामान हो जाता है। इसलिये गवर्नमेंट बहुत दिनों से विचार कर रही थी कि इस प्रकार का कोई कानून बनाया जाय जिससे कि जो उसका उचित अधिकार है, जो उसका कानूनी हक़ है जिस से आज वह वंचित रह जाता है शहादत या दूसरे कारणों से, शहादत मुहैया न करने की वजह से या और दूसरे कारणों से, वह हक उसको मिले। इसलिये यह बिल पेश किया गया है। इसकी मोटी सी मंशा यह है कि जो भूमिधर और सीरदार हो चुके पहली जुलाई को उनकी जमीनों में यदि कोई ऐसा शख्स है जो अधिवासी और असामी नहीं बना, जिस का कि १३५९ फसली में कब्जा था खेती करने की शक्ल में सिवाय उस शख्स के जो कि उसका साझीदार हो, कोई आफिसर जो दर्जे में तहसीलदार की हैसियत से कम नहीं होगा मौके पर जाकर तहकीकात करके उस शख्स के कब्जे के वाकये को, उस शख्स के कब्जे के फैक्ट को कागजात में दर्ज कर देगा और जब वह इस तरह से इंद्राज कर देगा तो उसकी बाबत कानूनी, कयास यह होगा कि वह इंद्राज सही है और अदालत में अगर वह मामला जायगा तो बारे सबूत दूसरे फरीक पर होगा जोकि उस इंद्राज को कंटेस्ट (विरोध) करेगा जो कि यह कहना चाहेगा कि इंद्राज सही नहीं है। इस तरह वह गरीब किसान जिसके हक की हिफाजत करने के उद्देश्य से यह बिल पेश किया गया है खर्चा करने से बच जाता है। एक दरख्वास्त देने मात्र से उसका काम चल जायगा। आमतौर पर इरादा गवर्नमेंट का यह है कि डिप्टी कलेक्टर ही मौके पर जाय लेकिन अगर किसी जिले में बहुत ज्यादा दरख्वास्तें पेश हो गयीं और डिप्टी कलेक्टर अपनी तहसील भर की सारी दरख्वास्तें तहकीकात न कर सके, तो ऐसी सूरत में तहसीलदार भी जा सकता है। इसीलिये उसमें रखा गया है कि तहसीलदार से नीचे के दरजे का न जाय ताकि तहसीलदार जाय या उससे ऊपर के दरजे का कोई आफिसर जाय।

जब यह जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था कानून ५ मई को सुप्रीम कोर्ट से वैलिड करार दे दिया गया, उसके बाद और पहली जुलाई के बाद भी गवर्नमेंट के पास ऐसी बहुत सी इत्तिलाआत आई हैं मुख्तलिफ जराये से और ऐसी स्थिति का मुकाबिला करने के लिये यह बिल पेश किया गया है। अध्यक्ष महोदय, आप की इजाजत से एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं और वह यह है कि जहां ऐसे लोगों की तादाद जिन का कि नाम दर्ज नहीं है लेकिन वाकई जमीन पर काश्तकारों की हैसियत से काबिज हैं, ऐबसोल्यूट टर्म में काफी हो सकती है और सारे सूबे में हजारों आदमी हो सकते हैं लेकिन रेलेटिवली (निस्बतन) उन लोगों के जिनका नाम दर्ज है कि कब्जे पर कोई झगड़ा नहीं है उनके मुकाबिले में शायद एक फीसदी मुश्किल से हो। फिर भी हजारों आदमियों के हुकूक खतरे में हैं और यहां तो हजारों का सवाल है, अगर एक दो किसान के भी हुकूक खतरे में है और वह इस वजह से खतरे में नहीं है कि कोई उसकी अपनी गलती है बल्कि इस वजह से कि कानून या जाब्ता इस तरह का पेचीदा है कि वे उतना खर्चा नहीं कर सकते अपने हक़ को साबित करने के लिये। तो गवर्नमेंट का फर्ज हो जाता है कि कोई न कोई तरकीब उनके हुकूक की हिफाजत की करे। इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विधेयक पर विचार करें।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से इस बिल के ऊपर एक प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं ?

अध्यक्ष—क्या पेश करन चाहते हैं।

राजा वीरेन्द्रशाह—मैं इसका विरोध करते हुये एक प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं।

अध्यक्ष—प्रस्ताव आप नहीं पेश कर सकते।

राजा वीरेन्द्रशाह—मैं संशोधन पेश करता हूं।

अध्यक्ष—पेश करिये।

राजा वीरेन्द्रशाह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेशभूमि व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२, को एक प्रवर समिति को सौंपा जाय।

इसको सौंपने का कारण यह है कि जो कारण अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाये उनसे मुझे संतोष नहीं है। मैंने लिख कर भी माननीय मंत्री से मांगा था कि क्या कारण हैं जिनकी वजह से सरकार उस बिल को यहां पेश करके पास कराना चाहती है। सरकार ने जो उसका उत्तर दिया वह तो माननीय सदस्यों की मेज पर रखा गया है और सबने पढ़ा होगा। मैं यह समझता हूं कि यह विधेयक बिल्कुल बेकार है और इससे प्रान्त में सिवाय झगड़ा और मुकद्दमेबाजी बढ़ने के और कुछ हो नहीं सकता। अभी माननीय मंत्री ने हजारों काश्तकारों का नाम लिया कि हजारों काश्तकार बेदखल हो जायेंगे। मैं आपके जरिये से सरकार को बतलाना चाहता हूं कि जमींदारी अबालीशन ऐक्ट से १२ लाख शिकमी काश्तकारों को आपने अधिवासी के अधिकार दिलाये। उसके साथ साथ उनमें ऐसे भी काश्तकार थे जो जबरदस्ती जमींदारों की भूमि पर क़ब्जा किये हुये थे जिनको आपने अधिवासी बनाया और जो बड़े जमींदारों के काश्तकार थे उनको तो अपने सीरदार बना कर मौरूसी काश्तकार बना दिया। तो मैं आपके जरिये से यह कहना चाहता हूं कि कोई कारण ऐसा नहीं है, अभी वह चीज अमल में नहीं आयी और फिर कोई न कोई त्रुटि तो रहेगी ही, कि जिसकी वजह से आपको यह बिल लाने की जरूरत पड़े। इस बिल के जरिये से आप यह चाहते हैं कि भूमिधरों या सीरदारों के जो काश्तकार हैं वे भी अधिवासी बना दिये जांय। मैं इसका विरोध करता हूं और यह चाहता हूं कि यह सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय।

अध्यक्ष—सेलेक्ट कमेटी तो तभी भेजा जा सकता है जब उसूल आप मानते हों। मगर उसूल आप मानते नहीं हैं इसलिये आपको विरोध ही करना चाहिये।

राजा वीरेन्द्रशाह—मैं विरोध इसलिये करता हूं कि मैं यह समझता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में जाने पर ही हमें यह मालूम हो सकता है।

अध्यक्ष—आपका संशोधन आपके भाषण से विसंगत है इसलिये मैं कह रहा हूं।

राजा वीरेन्द्रशाह—इस तरह से आप इसको समझें कि मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यह बिल प्रवर समिति में जाय तो वहां पर इस पर भी विचार हो कि यह जरूरी है या नहीं कि यह बिल लाया जाय या न लाया जाय। अगर आपको आपत्ति है ....

अध्यक्ष—मुझे भाषण के ऊपर आपत्ति है, संशोधन के ऊपर नहीं। आपका जो भाषण है वह आपके संशोधन के साथ विसंगत है।

राजा वीरेन्द्रशाह—तो मैं इसको प्रवर समिति में भेजने के लिये प्रस्ताव रखता हूं और यह कहता हूं कि मैं इसको मानने के लिये तैयार हूं कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय ताकि जो विधेयक सरकार लाना चाहती है उसमें क्या क्या संशोधन करने चाहियें, इस पर विचार हो। करीब ७९ संशोधन इस सदन में हमारे मित्रों ने इस विधेयक के ऊपर पेश किये हैं और वे हर पार्टी की तरफ से हैं सरकार को पार्टी की तरफ से भी संशोधन दिये गये हैं। इससे यह भी साबित

होता है कि सरकार की पार्टी भी यह राय नहीं है कि यह विधेयक बहुत उपयोगी है। इसलिये मैं आपके जरिये से भवन के सामने यह प्रस्ताव पेश करता हूं ताकि काफी विचार करने के बाद इस विधेयक को सदन के सामने पेश किया जाय।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक संशोधन अवश्य पेश करना चाहता था कि यह पब्लिक ओपीनियन (जनमत) के लिये घुमाया जाय। अब ऐसी परिस्थित में अगर आप आज्ञा दें तो मैं राजा वीरेंद्रशाह के संशोधन को सपोर्ट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष—आज्ञा देने का कोई सवाल नहीं है। आप पेश न करें। इसको सपोर्ट कर सकते हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—श्री वीरेन्द्रशाह के अनुग्रह पर सरकार ने कुछ कागजात मेज पर रखे हैं उनसे यह पता चलता है कि आज तक सरकार के पास कुल १०९ शिकायतें आई हैं। ९ तो और लोगों की हैं और १०० कांग्रेस कमेटियों द्वारा हुई हैं जिनकी जांच के लिये वह सम्बंधित जिलाधीशों के पास भेजी जा चुकी हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस प्रदेश में सवा छै करोड़ जनता हो और उनमें से काश्तकार कम से कम पौने दो करोड़ हों तो ऐसी सूरत में महज १०९ लोगों की शिकायत पर, महज शिकायतें हैं, उनकी जांच नहीं कराई गई। यह कह दिया कि शिकायतें आ गईं वह ठीक हैं। अगर यह सूरत है तो श्रीमन् के द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि विरोधी दल के नेता जब कहते हैं कि जमींदार अत्याचार कर रहे हैं तब तो सरकार उनकी बात को मान लेती है लेकिन जब वह कहते हैं कि पूर्वी जिलों में लोग भूख से मर रहे हैं तब उनकी बात नहीं मानी जाती है। आज नेता विरोधी दल के प्रति इतना सम्मान है कि जब वह जमींदार के खिलाफ कोई बात कहते हैं तब तो वह ठीक है और अन्य स्थानों पर वह असत्य कहते हैं।

हुजूरवाला, यह कौन सा प्रिंसिपल (सिद्धांत) है। यह तो प्रिंसिपल आफ जस्टिस (न्याय सिद्धांत) के भी विरुद्ध है। सरकार यह मान लेती है कि शिकायतें ठीक हैं। उनकी जांच न जिलाधीश ही करता है और न कोई पदाधिकारी ही करता है। महज इन शिकायतों पर एक ऐसा विधेयक इस सम्मानित सदन के सामने उपस्थित किया जाय। मैं नहीं समझता कि कहां तक यह औचित्यपूर्ण है। इन थोड़े से शब्दों में मैं राजा साहब के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वह इस विधेयक को प्रवर समिति को देकर यह अधिकार दे दें कि वह सब बिल पर नजर डाल सकें, महज सीमित अधिकार क्षेत्र में कोई लाभ वह हमारी जनता को प्रदान नहीं कर सकेगी।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दे। इस प्रवर समिति के सदस्यगण यह होंगे—

(१) श्री चरण सिंह,

(२) श्री द्वारका प्रसाद मौर्य.....

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करना (विधान का प्रश्न उठाना) चाहता हूं। जब कि एक प्रवर समिति के बारे में प्रस्ताव पहले से आ चुका है तो क्या माननीय सदस्य को उसका समर्थन नहीं करना चाहिये।

अध्यक्ष—वीरेन्द्रशाह जी का संशोधन पूरा नहीं है। प्रवर समिति के संशोधन के साथ साथ उसके सदस्यों के नाम भी आते हैं और समय भी लिया जाता है। माननीय वीरेन्द्रशाह जी का अधूरा प्रस्ताव है और आप पूरा कर रहे हैं। इसकी मैं इजाजत देता हूं।

श्री अब्दुल मुईज़ खां (३) श्री अब्दुल मुईज़ खां,
(४) श्री लक्ष्मी रमण आचार्य,
(५) श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी),
(६) श्री बृजबासी लाल,
(७) श्री बलवन्त सिंह
(८) श्री राम लखन मिश्र,
(९) श्री महो लाल,
(१०) श्री जयपाल सिंह,
(११) श्री अतहर हुसैन ख्वाजा,
(१२) श्री नेकराम शर्मा,
(१३) श्री बृज बिहारी मिश्र,
(१४) श्री ऐज़ाज़ रसूल,
(१५) श्री जयराम वर्मा,
(१६) श्री लाल बहादुर सिंह (जौनपुर)
(१७) श्री सुरेश प्रकाश सिंह,
(१८) श्री रणंजय सिंह,
(१९) श्री गेंदा सिंह,
(२०) श्री रामसुन्दर पांडेय और
(२१) श्री कमला सिंह।

अध्यक्ष---मिनिस्टर इंचार्ज का नाम आपने दर्ज कर लिया है।

श्री अब्दुल मुईज़ खां---जी हां कर लिया है। २० सदस्यों के नाम हैं और मिनिस्टर महोदय को मिला कर २१ हुये।

इसकी अर्जेंसी देखते हुये मैं यह मुनासिब समझता हूं कि यह प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट एक हफ्ते के अन्दर दे दे। इसलिये मैं माननीय मंत्री से यह उम्मीद करता हूं कि वह मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे।

श्री राज नारायण (जिला बनारस)---आदर्णीय अध्यक्ष महोदय, मेरे एक मित्र ने जो संयुक्त दल के हैं उन्होंने एक शिकायत की कि माननीय नेता विरोधी दल की कुछ संगत बातों को भी सरकार की ओर से कभी असंगत बताया जाता है यह बिल्कुल ठीक है। मगर इसका यह अर्थ नहीं होना चाहिये कि माननीय सदस्य भी सरकार की गलती की नकल करें तो मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार कुछ हठवादिता करती है तो वह उनके लिये भी शोभनीय नहीं है। हमारे देवरिया और पूर्वी जिलों मे अन्न संकट की बात संगत थी और इसी तरह से आज की बात भी संगत है। जो यह उद्देश्य और कारण मंत्री महोदय ने इस बिल में रक्खे हैं उसको ले कर अविलम्ब कोई विधेयक जल्दी से जल्दी बने। जो उद्देश्य और कारण यहां पर रक्खे गये है, मैं उनको पढ़ कर भी सुना देना चाहता हूं ताकि जितने माननीय सदस्य यहां हैं उसको अच्छी तरह से समझ लें। इस बिल को प्रस्तुत करने के क्या कारण हैं यह मांग वीरेन्द्र शाह जी ने की थी और सरकार की ओर से जो उत्तर दिया गया है उस पत्र को भी मैंने देखा और उसमें जितनी बातें बतलाई गई हैं मैं समझता हूं कि इस विधेयक के आने के लिये वे भी नाकाफी और कम बताई गई हैं। अगर हमारे राजा साहब ग्रामों में जाँय और जो गरीब किसान जमीन के जोतने वाले हैं उनकी ओर ध्यान दें तो उनको मालूम होगा कि सारे सूबे में हाहाकार मचा हुआ है। आज सारे सूबे में जो टिलर आफ दी स्वायल है, (हाथ से खेत जोतने वाला) आपने हाथों से खेती करने वाला है उनको निर्दयता के साथ खेत से बेदखल करके उठाया जा रहा है। जो उद्देश्य माननीय मंत्री जी ने रखा है वह तो सुन्दर है। सरकार को इस आशय की बहुत

सी शिकायतें, भूमिधर या सीरदारों के खातों की भूमि में खेती करने के रुप में काबिज, मिली हैं कि बहुत से व्यक्ति भूमि से जबरदस्ती बेदखल किये जा चुके हैं या किये जा रहे हैं। मैं वीरेन्द्र शाह जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह गलत बात है। मैं यहां यह कहने के लिये तैयार हूं कि माननीय मंत्री जी की नालेज (जानकारी) में जितनी बात है उससे स्थिति कहीं ज्यादा खराब हो गई है। आगे फिर बताया गया है, कि 'सरकार को यह विश्वास करने के लिये उपयुक्त कारण है कि इनमें बहुत से व्यक्तियों को खातेदारों ने अपनी भूमि पर कब्जा दिया था। उक्त व्यक्ति कृषकों की उस श्रेणी के हैं जो अत्यन्त निर्बल और दरिद्र हैं। इस विधेयक का यह उद्देश्य है कि उक्त भूमि पर उक्त व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाय।'

आदरणीय अध्यक्ष महोदय मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि एक तरफ जब कुछ व्यक्ति बोलने खड़े होते हैं तो कहते हैं कि मैं अब जमींदार नहीं रह गया हूं और दूसरी तरफ जब सरकारी बैंचेज की तरफ से बातें कही जाती हैं तो वह कभी कभी ऐसी अनर्गल रहती हैं जो सेल्फ काट्रे-डिक्टरी (परस्पर विरोधी) हैं। अगर इस तरह की कांट्रेडिक्टरी टर्मस् में बातें न कही गई होतीं तो मैं समझता हूं कि राजा वीरेन्द्र शाह जी इस तरह से इस बिल को कुछ और देर से इस बिल को लाने की और प्रवर समिति में भेजने की अपील न करते। इसका कारण सरकार की दकियानूसी नीति है जो सरकार समय समय पर अपनाती है।

जब जमींदारी उन्मूलन से सम्बन्धित नियमों पर विचार करने के लिये एक कमेटी बनी तो उस वक्त से भी और बहुत पहले से भी मैं माननीय चरण सिंह से निवेदन करता आया हूं और किसानों के संघर्ष में शान्तिमय तरीके से शामिल भी होता आया हूं। मैं जानता हूं कि पूर्वी जिलों में ही क्या पश्चिमी जिलों में भी जो अपने हाथ से खेती करने वाले हैं चाहे वह दूसरे की जमीन शिकामी पर लेकर जोतते हों जमींदार की सीर लेकर जोतते हों या दूसरे काश्तकारों की जमीन लेकर शिकमी पर जोतते हों उन सबको इस बात का भय है कि एक ऐक्ट बन रहा है कहीं उसके जरिये से उनके हाथ में अधिकार न दे दिया जाय। इसलिये चारों तरफ जबरदस्ती हो रही है चारों तरफ गुंडों के बल पर दूसरे तरीके से जबरदस्ती उन किसानों को जो जमीन जोतते चले आ रहे हैं उनको बेदखल किया जा रहा है। बिल का जो उद्देश्य है वह हमारे संशोधनों के जरिये से ही पूरा होता है। बिल का जो उद्देश्य है वह बिल की धाराओं से पूरा नहीं होता है जिनमें कि वह वर्णन किया गया है। मैं आपके जरिये से माननीय चरण सिंह जी से अपील करूंगा कि यह ऐक्ट में संशोधन हो रहा है तो यह संशोधन वैसा ही होना चाहिये जो कि सच्चे माने में कहा जा सके और वर्णित उद्देश्य की पूर्ति हो सके। उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह संशोधन किया जा रहा तो वह ऐसा होना चाहिये कि जिससे वास्तव में उद्देश्य की पूर्ति हो। अगर सरकार उस उद्देश्य को मानती है तो उसकी पूर्ति करने के लिये इस ऐक्ट में आप ऐसा ही संशोधन करें जिससे वह कमी पूरी हो जाय। अब हम यह महसूस करते हैं कि यह बिल बहुत विलम्ब से आया है और किसी न किसी कारण से फिर इसको टालने की कोशिश ही रही है। जितने संशोधन आये हैं उन पर विचार होना चाहिये और किसी भावावेश में चाहे वह सोशलिस्ट पार्टी की ओर से किया गया हो, या ट्रेजरी बैंचेज की तरफ से किया गया हो उस ऐतराज को नहीं सुनना चाहिये। मैंने सशोधनों को पढ़ा है उनमें ऐसे संशोधन हैं जिनके जरिये से उद्देश्य की पूर्ति अच्छे तरीके से होगी।

आज हमको सच्चाई के साथ मस्तिष्क को साफ कर लेना चाहिये और इस बात का निर्णय कर लेना चाहिये कि आया हम उनको जो जमीन को जोतने वाले हैं कोई अधिकार देना चाहते हैं या नहीं। जब हमारे भाई वीरेन्द्र शाह जी जस्टिस की कहते हैं तो फिर जस्टिस के क्या माने हैं। यदि एक लाख किसान हों या ५० हजार किसान हों तभी ऐसा विधेयक बने और जब वह बेदखल हों तभी इस तरह का कानून पास किया जाय क्या यही जस्टिस है? मैं तो उनसे अपील करता हूं कि यदि एक भी किसान ऐसा हो कि जो जोत की जमीन से बेदखल होता हो तो उसके लिये भी कानून बनाना चाहिये और उसकी रक्षा करने के लिये हमको और उनको विधेयक पास करना चाहिये। इसलये अगर न्याय और इन्साफ की दृष्टि से देखा जाय तो सरकार आज जो

[श्री राज नारायण]

इस बिल को सामने रख रही है और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये इसको वह लाई है वह विलम्ब से हालांकि लाई है लेकिन उसकी पूर्ति होनी चाहिये । मैं तो यह समझता हूं कि इस देर के लिये सरकार के ऊपर एक दोषारोपण वीरेन्द्रशाह जी की तरफ से आना चाहिये । एक सुन्दर उद्देश्य है जिसको अपोजिशन की तरफ से कहा जाय कि इस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिये और जो इसके लिये देरी की गई उसके लिये सरकार पर आरोप करना चाहिये वीरेन्द्रशाह जी को । हालत तो यह है कि जिलों में हाहाकार मचा हुआ है एक तरफ तो अन्न संकट है और दूसरी तरफ गरीब किसानों के पास से जमीन निकाली जा रही है । उनके पास तो कुछ भी नहीं है । अगर एक नंगा आदमी स्नान करता है तो वह क्या निचोड़ सकता है ?

"The proletariate have nothing to lose but their chains; they have a world to live on."

[श्रमिक जनता के पास कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसके खो जाने का डर हो । उनके केवल बन्धन अपगत हो सकते हैं; और फिर उनके लिये विस्तीर्ण संसार है ।]

इस तरह से जो भयंकर स्थिति पैदा होने वाली है और जो असन्तोष होने वाला है उस को सरकार बढ़ाती है । मैं राजा साहब की दृष्टि को खोलना चाहता हूं और सरकारी बेंचों पर जो माननीय सदस्य बैठते हैं और उन में जो दक़ियानूसी ख़याल के हैं उन के विचार को भी मैं खोलना चाहता हूं कि उद्देश अगर हमारे सामने स्पष्ट हों और वह एक मिनट को भी हमारी आंख से दूर होते हैं तो उस के लिये हमारे ऊपर और सरकार के ऊपर बड़ा कलंक होगा । इस लिये मैं जो उद्देश्य यहां रखा गया है उसपर बिलम्ब पसंद नहीं करता ।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—मैं एक प्वाइंट आफ़ आर्डर रेज़ करना (विधान का प्रश्न उठाना) चाहता हूं । मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो संशोधन पेश हुये हैं उन के फ़ेवर (पक्ष) में बोल रहे हैं या विरोध में बोल रहे हैं ?

अध्यक्ष—वह तो संशोधनों के विरोध में बोल रहे हैं ।

श्री राज नारायण—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता था कि हमारे जिस भाई ने प्वाइंट आफ आर्डर (विधान प्रश्न) उठाया मैं तो उन्हीं के हित की बात कह रहा हूं । मैं अपने सामने की बैंचेज के सदस्यों से अपील करूंगा कि वह ज्यादा टेकनिकेलिटीज़ में न जायं । मैं माननीय श्री चरण सिंह जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इतनी विलम्ब के बाद ही सही कम से कम उन की बुद्धि खुली तो कि वह इस तरह का विधेयक यहां लाये [एक आवाज—इज़ इट पार्लियामेंटरी (क्या यह ससदीय है ?)]

इस विधेयक के दौरान में यदि कोई सदस्य चाहे वह इस तरफ के हों या सरकारी दल के हों अगर इस उद्देश्य की पूर्ति में एक मिनट के लिये भी बाधा स्वरूप खड़े होते हैं तो वह हमारे दिल में ठेस पहुंचाते हैं । मैं बतला देना चाहता हूं अपने उस भाई का मुझे नाम नहीं याद है, मैं उन से अपील करूंगा जिन्होंने प्रवर समिति में भेजने के लिये लिस्ट दे दी है और सरकार से मंजूर करने को कहा है । हम लोगों को तो सेलेक्ट कमेटी का अनुभव नहीं है कि उसमें क्या होता है और किस तरह से चीजें पूरी की जाती हैं । तो अब जो किसान के हितैषी हैं, जो उस उद्देश्य के समर्थक हैं उसको यह कसौटी रखना चाहिये कि मंत्री जी ने जिस उद्देश्य को लेकर यह प्रस्तुत किया है उस पर बहस के लिये वह तैयार हैं या नहीं । संशोधन आ चुके है इसलिये सेलेक्ट कमेटी में जाने की आवश्यकता नहीं है अगर मस्तिष्क खाली नहीं है । सरकार चाहे प्रवर समिति में ले जाय या साथ-साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जैसे चाहे करे, चाहे आड़े हाथों से ले जाय परन्तु हमें बड़ा सन्देह है कि कहीं इस बिल की आत्मा ही न मर जाय मैं आदरणीय स्पीकर महोदय के द्वारा माननीय मंत्री जी से

कहूंगा कि वह इसके उद्देश्य और कारणों को जरा दस पांच मिनट और लेकर स्पष्ट कर दें क्योंकि सरकारी बेंचों की तरफ से जब सलेक्ट कमेटी के संशोधन आये तो जरा हमारा माथा भी ठनका और समझा कि माननीय मंत्री जी इनडायरेक्ट तरीके से इस बिल को प्रवर समिति में ले जाने के इच्छुक हैं। मुझे मालूम था कि आज १२ बजे से बहुत से सरकारी सदस्य इस विधेयक से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने में लगे थे। हमें बड़ी ठेस लगी कि जिन किसानों का नाम ले कर, जोतने वालों की दोहाई देते हैं टिलर आफ दि स्वायल (जमीन जोतने वालों) की बात करते हैं और इस तरह के स्लोगन्स (नारा) को लेकर जब गरीब किसानों के विश्वासपात्र बने हैं लेकिन जब उन के हक़ की बात आती है तो सरकारी बेंच के लोग अनावश्यक ढंग पर तर्क वितर्क कर बगलें झांकने लगते हैं और यह कहने लगते हैं कि मास मैसेकर (आम कत्ल) होगा और ब्लडी रिवोल्यूशन (रक्तपूर्ण क्रांति) होगा। ब्लडी रिवोल्यूशन हो तो हो, और मास मैसेकर हो तो हो, मगर किसके लिये?

"The proletariate have nothing to lose but their chains; they have a world to win on."

[श्रमिक जनता के पास कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसके खो जाने का डर हो। उनके केवल बन्धन अपगत हो सकते हैं। उनको संसार की बहुत सी बाधाओं पर विजय पाना है।]

आज हमारे ९० प्रतिशत समाज के पास खाने के लिये कुछ नहीं है। अगर कोई वर्तमान ढांचे को कायम रखने वाला ब्लडी रिवोल्यूशन भी करेगा तो हमारे समाज की गुलामी की बेड़ियां टूटेंगी और जमीन उसके हाथ में जायगी जो उसका जोतने वाला है। इस विधेयक के उद्देश्य और कारण जितने अच्छे हैं मगर इसकी धारायें वहां तक नहीं जातीं। वे सीमित हैं। इस उद्देश्य और कारण को वे अच्छी तरह से पूरा नहीं करती हैं। उसका कारण भी मनोवैज्ञानिक है। मैं थोड़े में उसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जब हमारा उद्देश्य साफ है और हमने अपने दिलोदिमाग से वस्तुस्थिति को देखकर इस उद्देश्य को अपना उद्देश्य बनाया है तब तो उसकी पूर्ति के लिये हम बिल लावेंगे जो कि उसे पूरा कवर करेगा। यदि हम फार दी टाइम बीइंग (सामयिक) परिस्थिति विशेषरूप से और राजनैतिक जन्य परिस्थितियों का सामना करने के लिये कोई बिल लाते हैं तो वह विधेयक अपूर्ण ही होगा। मैं समझता हूं कि जो उद्देश्य और कारण वर्णित हैं वे सुन्दर हैं। मगर उनके प्रति दृढ़ता के साथ दिल व दिमाग से माननीय मंत्री जी ने उन्हें नहीं अपनाया है। मैं चाहता हूं कि राजनैतिक परिस्थिति का सामना करने के लिये ही या किसी और ऐसे कारण से वितंडावाद न रखा जाय। मैं अपील करूंगा कि मंत्री जी हमारे संशोधनों को मानकर ही उन उद्देश्य और कारणों की पूर्ति कर सकते ह। अतः हमारे संशोधनों को शीघ्र मान लें और इस बिल को सच्चे माने में धरती जोतने वालों का हितैषी बन कर अविलम्ब पास करें।

राजा वीरेन्द्र शाह--माननीय नेताजी ने पर्सनल मेरे ऊपर कुछ कहा है। मैं उसके बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष--आपके नेता हैं। आप बाद में उनसे समझ लीजियेगा।

श्री ऐजाज रसूल (जिला हरदोई)--जनाबवाला, मैंने लीडर आफ अपोजीशन की तकरीर और राजा साहब की तकरीर भी सुनी। जहां तक उसूल का सवाल है, मेरे ख्याल से हर पार्टी इसके उसूल को मानती है और इस बिल का वैलकम (स्वागत) करती है। मुझे खुशी है कि राजा साहब ने भी, बावजूद इसके कि वे संयुक्त दल के मेम्बर हैं यह मान लिया कि काश्तकारों की हालत परेशान है और उसे मान कर उन्होंने सेलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव

[श्री ऐजाज रसूल]

कर दिया। जब गवर्नमेंट इस बिल को लाई तो हमारे लीडर आफ अपोजीशन को परेशानी हो गई कि अब उनके हाथ से यह हथियार भी चला जायगा। लिहाजा चीप पब्लीसीटी (सस्ते-प्रचार) की वजह से उन्होंने इस बिल का विरोध करना शुरू कर दिया और कहा कि सेलेक्ट कमेटी में न भेजा जाय। सेलेक्ट कमेटी में यह सिर्फ एक हफ्ते के लिये जा रहा है। जब जमींदारी उन्मूलन रूल्स आये थे तो अपोजीशन से ही यह प्रस्ताव हुआ था कि उन्हें सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। तो क्या उस वक्त उन्हें काश्तकारों की मुहब्बत का ख़याल नहीं रहा और इस वक्त आपको उसका ख़याल आया? इसमें बहुत से दोनों तरफ के अमेंडमेंट हैं जिनमें हाउस का बहुत वक्त जाया होगा। इसलिये गवर्नमेंट ने यह ख्याल किया कि इसे सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय और वहां हर नुक्तेनजर पर आसानी से गुफ्तगू हो सके। ताकि सब चीजें वहां दुरुस्त हो सकें। इसीलिये यह बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा जा रहा है। आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये क्योंकि आपकी पार्टी के मेम्बर भी उसमें रिप्रेजेंटेड ह।

जहां तक उसूल का सवाल है वहां तक मैं मेम्बर साहब आफ अपोजीशन से पूछना चाहता हूं कि आप उस उसूल के खिलाफ हैं या मुआफिकत में हैं। अगर मुआफिकत में हैं तो आपको लंबी चौड़ी स्पीच करने की जरूरत नहीं है। आपको तो गवर्नमेंट की तारीफ करना चाहिये कि वह वक्त पर इस बिल को ले आई। लेकिन आपको मुखालिफत करने का कोई मौका तो होना ही चाहिये था, तकरीर करने की आपको जरूरत थी, प्रोपेगेंडा करने की जरूरत थी लिहाजा उसका आपने यह जरिया निकाला कि इसको सेलेक्ट कमेटी में न भेजा जाय। जहां तक सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात है उससे किसी भी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये क्योंकि उसमें हर पार्टी का नुक्तेनजर पेश हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस पर इस वक्त ज्यादा गुफ्तगू न होगी।

श्री मुहम्मद तक़ी हादी (जिला मुरादाबाद)--जनाब वाला, मैं आपकी इजाजत से, इस तजवीज की कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय, ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी हमारे अपोजीशन के लीडर साहब ने फर्माया कि इसको सेलेक्ट कमेटी के लिये भेजने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि हमारा जमींदारी ऐक्ट जो पास हो चुका है उसको काफी गौर, काफी मेहनत से तैयार किया गया था। लेकिन इसमें भी ये खामियां, जहां तक लेजिस्लेचर के अल्फाज का ताल्लुक है, रह गई और गवर्नमेंट को उसके ऊपर दोबारा गौर करना पड़ा। इसलिये ऐसे बिल की तरमीम के लिये यही मुनासिब होता है कि जो तजवीज हम लाये हैं उसको सेलेक्ट कमेटी के सामने भेज दिया जाय।

मैं सरकार की तवज्जह इस सिलसिले में इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि जब मैं मुरादाबाद गया था तो वहां रेवेन्यू एजेंटों के ऐसोशियेशन ने, मुख्तारसाहबान की वहां एक लाइब्रेरी है उसके मेम्बरों ने, मुझसे यह ख्वाहिश की कि वे चाहते हैं कि मिनिस्टर आफ रेवेन्यू से मुलाकात करा दी जाय इसलिये कि ऐक्ट की तरमीम और रूल्स के जरिये ऐसी बहुत सी बातें पैदा हो गई हैं जो आसानी से समझ में नहीं आती हैं। इन मुख्तार साहबान का पेशा ही कानूनी मशविरा देने का है। उनका कहना है कि बाज औकात हम ऐक्ट के अल्फाज से मुतमईन नहीं हो पाते। इसलिये वे चाहते हैं कि एक दफा रेवेन्यू मिनिस्टर साहब या सेक्रेट्री साहब से मुलाकात करके मशविरा लें। मैंने भी उसको पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद मैं भी इस नतीजे पर पहुंचा कि बाज दफात उसमें ऐसी रखी गई हैं कि जो साफ नहीं दिखाई देतीं। मतलब यह है कि जब हम कोई कानून बनायें तो हमको उसे अवाम के ज्यादा से ज्यादा फायदे वाला बनाना चाहिये। उसमें हमको ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है बल्कि हमको ऐसा कानून निहायत ही संजीदगी के साथ बनाना चाहिये और तमाम चीजों को गौर से देखें और बिल के लाने का हमारा जो मंशा है वह ज्यादा से ज्यादा पूरा हो सके। ऐसा न हो कि बिना मजीद गौर किये ही हम उसको पास कर दें और उसके पास होने के बाद उसमें हमारी जो मंशा है वह भी

खत्म हो जाय। जमींदारी अबालीशन के बाद लोग खयाल करते थे कि मुल्क में ला लैसनैस (अराजकता) फैल जायगी लेकिन इस ऐक्ट को जिस अमनो अमान के साथ पास किया गया वह हम सब को मालूम ही है। इसलिये हमें कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करनी चाहिये जिससे हमारे अमनोअमान में कोई खलल पड़े। जरूरत इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा खूबसूरती के साथ तमाम रूल्स को सामने रख कर हम तरमीम करें। यह न हो कि हमारी तरमीम करने की जो मंशा है वही जाती रहे। इसलिये मैं समझता हूं कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में जाने की जरूरत है और मैं उम्मीद करता हूं कि हाउस इस तरमीम के साथ है और इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय यह तरमीम मंजूर कर लेगा।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के लाने पर माननीय माल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। इसलिये कि जिस वक्त पहले हमारे यहां जमींदारी उन्मूलन बिल पेश था उस समय भी मैंने इस सिलसिले में कहा था कि ऐसे बहुत सारे किसान हैं, लाखों की संख्या में हैं जिनके इन्दराज रेवेन्यू के कागजात में सही तरीके से नहीं हो पाये हैं तो यह उद्देश्य हम सब के सामने पहले से ही उपस्थित था और इस समय मुझे बहुत खुशी हुई है कि इस प्रकार से यह बिल हमारी सरकार की तरफ से आया। जो तकलीफात की शिकायतें सरकार के पास वक्तन फवक्तन आती गयी हैं उन्हीं को सुनकर और उन्हीं पर राय रखते हुये सरकार इस बिल को लायी है। उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं।

जहां तक राजा साहब का कहना है कि इस तरह १०९ के ही केस हो सकते हैं, मैं अपने जिले सहारनपुर की बात कहता हूं कि वहां ५०, ६० गांव ऐसे हैं जहां बीस-बीस, तीस-तीस और चालीस-चालीस किसानों की जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है। उनको मुकदमेबाजी द्वारा जबरदस्ती बेदखल किया गया है, मुकदमे चले, केसेज स्टे (मुकदमे स्थगित) भी हुये। इस समय खुल गये हों तो मैं नहीं कह सकता लेकिन बार बार स्टे हुये, बार-बार बेदखल हुये। तो इस तरह से जब एक जिले में हजारों और लाखों की संख्या है तो फिर आप अन्दाजा कर लें कि सारे सूबे में कितनी संख्या होगी या हो सकती है। अगर कुछ शिकायतें होतीं तब तो दूसरी बात थी लेकिन देखा जाय तो मालूम होगा कि इस तरह की हजारों की संख्या में शिकायतें हैं। मुकदमे चलते रहते हैं, स्टे भी हुये हैं तो १०९ की ही बात नहीं है। वहां हजारों और लाखों की संख्या में इस तरह के मुकदमे चल रहे हैं और इस तरह से लाखों किसान जबरदस्ती बेदखल किये गये। जमींदारों ने गुंडों और बदमाशों से मदद लेकर, बहुत जगह तो बदमाशों से मदद लेकर, पटवारियों से मदद लेकर किसानों की जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की और इस तरह से मुकदमों में गरीब आदमियों के करोड़ों रुपये बर्बाद हो गये। वे आदमी जो अपने खेतों में जाकर मेहनत कर सकते थे और हजारों लाखों मन गल्ला पैदा कर सकते थे उससे भी उनको वंचित रखा और इस तरह से उनको तंग और हैरास करते रहे। तो ऐसी दशा में यह कहना कि बहुत सारे केस ऐसे हैं मैं ठीक नहीं समझता।

जहां तक जमीन का संबंध है हम इस उसूल को पहले से ही मानते हैं कि "लड शुड गो टू दि एक्चुअल टिलर" (भूमि उसके पास रहनी चाहिये जो स्वयं उसको जोतता हो।)

तो न्याय चाहे एक के लिये हो या हजारों के लिये सब के लिये एक ही न्याय होता है। जस्टिस और इक्विटी (समानता) में अन्तर नहीं होता। ऐसी दशा में यह कहना कि चूंकि कुछ शिकायतें ऐसी आयी हैं इसलिये उन पर विचार न किया जाय और यह बिल न लाना चाहिये, यह गलत है।

दूसरी बात यह कही गयी है कि जहां तक सरकार ने इस बात को महसूस किया कि ऐसे किसानों को अधिकार दे दिया जाय तो ऐसे गरीब किसान जो यह सबूत भी नहीं दे सकते उनको अधिवासी करार देने का यह बिल है, इससे ज्यादा नहीं है। यह ऐसा बिल है जो पूरा अधिकार उनको नहीं देता है। उनको तो सीरदार के अधिकार देने चाहियें और

[श्री जयपाल सिंह]

सीरदार के अधिकार इसलिये देने चाहियें कि उनके केसेज स्टे हो रहे हैं तो अगर यह साबित हो जाता है कि ये ही काश्तकार है और जमीन को जोतने वाले हैं तो ऐसी दशा में उसको आकुपेंसी टिनेंट (दखीलकार काश्तकार) का राइट (अधिकार) मिल जाता है। तो फिर यह कहना कि उसे अधिवासी करार दिया जाय या शिकमी करार दिया जाय मुनासिब नहीं है। जैसा कि धारा १९ में है कि जो आकुपेंसी टिनेंट हो वह सीरदार बन जायगा। तो ऐसी दशा में जब आकूपेंसी राइट्स को देना सरकार अपना उद्देश्य समझती है तो क्यों न सीरदारी का अधिकार उनको दिया जाय? इसको बिलकुल मुकम्मिल करना चाहिये।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट में एक धारा २४४ है उसमें किसानों को बेदखल करने का कितना ही हक दिया गया है। तो ऐसी दशा में २२४ धारा के अन्दर भी अमेंडमेंट्स आने चाहियें। जो मेहनत मशक्कत करके अपनी रोजी कमाता है उसको हक़ मिलना ही चाहिये और जो बेदखली का हक़ जमींदारों को दिया गया है कि उनको बेदखल कर सकते हो वह गैर मुनासिब है उस को खत्म कर देना चाहिये। जिस हक को किसानों को जमींदारों ने अपनी इच्छा के अनुसार दिया था उसके लिये अधिकार उन को होना चाहिये किसानों को कि वह उस पर मालिक हो सकें और अपनी पैदावार के मालिक हो सकें।

गवर्नर महोदय ने इस सेशन के शुरू में यह बात कही थी कि खेतिहर मजदूरों का ख्याल यह सरकार रखेगी। लेकिन इस बिल में बहुत सी चीजें छुट गयी हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि यह बिल प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और जो बातें मैंने कही हैं वहां पर उन पर विचार किया जाय और जो कमियां रह गयी हैं उनको मुकम्मिल करके हाउस के सामने उपस्थित किया जाय।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन कि विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, कुछ माननीय सदस्यों और खासकर माननीय ऐजाज रसूल ने बड़ी दिलचस्पी ली और एक तरह से चुटकी ली कि उनको खुशी है कि माननीय वीरेन्द्र शाह ने इसके सिद्धांत को मान लिया। मेरी समझ में नहीं आया कि इसमें खुशी, या दिलचस्पी या चुटकी लेने की क्या बात थी। हमारी पार्टी ने या माननीय वीरेन्द्र शाह ने इस सिद्धांत को इसलिये माना कि अगर कोई ऐसे वाक्यात हों अगर कोई ऐसे केसेज हैं जिसमें ५ साल, ४ या २ साल का कोई शिकमी काश्तकार किसी रूप में अपनी जमीन से निकाला जा रहा है तो अगर वह जमींदार भी ऐसा काम करता है तो वह गलत करता है और इसलिये उन्होंने इस सिद्धांत को माना है। क्यों इसमें हमारी ईमानदारी पर माननीय ऐजाज रसूल को इतना शक है? क्यों हमारी सच्चाई पर माननीय ऐजाज रसूल को इतना शक है कि गलत हो या सही हम जमींदार की पुराने ढोल ही पीटते चले जायंगे, पुरानी लकीर के फकीर ही बने रहेंगे। इधर से उधर जगह बदलने से ईमानदारी बदल नहीं जाती है, या आ नहीं जाती है। ईमानदारी और सच्चाई आदमी के साथ रहती है, चाहे इधर बैठा हो या उधर बैठा हो।

हमारे माननीय राजनारायण जी ने इस संशोधन का विरोध करते हुये कहा कि आठ दिन की यदि देरी हो जायगी तो एक विपल्लव सा मच जायगा। उन्होंने माननीय राजस्व मंत्री को धन्यवाद भी दिया और कहा कि इतना अच्छा बिल आप ले भी आये। उसके बाद उन्होंने उनको बताया कि इसमें भूलें भी कितनी हैं और यह-यह कमियां रह गयी हैं जिनको दूर करने के लिये हमारे संशोधन भी हैं। अगर उनका इरादा यह था कि यह बिल जिसमें कि उनके संशोधन भी हैं, जिसमें इतनी कमियां भी रह गयी हैं, एक सुन्दर रूप में इस भवन में आये तो वह प्रवर समिति में जाने का विरोध न करते।

दूसरी चीज यह है कि माननीय नेता विरोधी दल इस बिल को प्रवर समिति में जाने का विरोध करते हैं और वह विरोध, सदस्यों के नाम सुनने के बाद होता है, परन्तु तीन नाम जो

सोशलिस्टों के हैं उनको वापस नहीं लेना चाहते । उनको नहीं कहते हैं कि तुम इस प्रवर समिति में मत जाओ । तो श्रीमन्, मेरी समझ में नहीं आता कि यह विरोध कैसा । उस बिल के सिद्धांतों से आप सहमत हैं, उस बिल का आप स्वागत करते हैं, माननीय राजस्व मंत्री को धन्यवाद भी देना चाहते हैं, फिर उसी बिल को और सुन्दर रूप देने के लिये प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव होता है आप की यह राय होते हुये भी कि इसमें बड़ी कमियां हैं, प्रवर समिति में जाने का विरोध करते हैं, इसलिये क्यों कि आठ रोज की देरी हो जायगी । सुरेश प्रकाश और माननीय वीरेन्द्र शाह तो इस काम का समर्थन करेंगे ही क्यों कि जमींदारों की वह जमीन जिसे वह निकालना चाहते हैं आठ रोज के लिये और बच जायेगी । माननीय राजनारायण जी भूल गये । इसमें जमींदारों का तो कोई सवाल ही नहीं है इसलिये कि मुझे मालूम नहीं कि उनको पता है या नहीं, हमारे सूबे में जमींदारों की ऐसी जमीन जिस पर शिकमी काश्तकार हैं १२ लाख शिकमी काश्तकार हैं । और सीरदार यानी काश्तकारों की ऐसी जमीन जो शिकमी पर उठी हुई है वह सवा १७ लाख है । श्रीमन्, क्या माननीय राजनारायण जी यह नहीं जानते कि यह गरीब काश्तकार , वह मेहनत करने वाला काश्तकार, वह जंजीरों से जकड़ा हुआ काश्तकार भी जमीन से वंचित हो जायेगा । श्रीमन्, मैं मानता हूं कि इस सिद्धांत को कि जमीन का मालिक टिलर आफ दि स्वायल हो जाय । लेकिन इस सिद्धांत को मैं नहीं मानता और मैं समझता हूं कि न कभी सरकार मान सकती है , और अगर मानेगी तो चारों ओर से घोर विरोध किया जायगा कि अगर किसी ने गासिबाना कब्जा कर लिया है तो उसको टिलर आफ दि स्वायल मान लिया जाय ।

जब मैं माननीय राजनारायण जी का भाषण सुन रहा था तो मुझे वह ज़माना याद आ रहा था जब महात्मा गांधी देते ही जाते थे और जिन्ना साहब अकड़ते ही जाते थे । एक चीज यह कहते हैं सरकार जिसको वह मान लेती है । फिर सरकार के ऊपर गालियों की बौछार होती है । सरकार से फिर कुछ कहा और वह भी मान लेती है । फिर सरकार के ऊपर बौछारें होने लगती हैं । तो सवाल यह है कि उनके उचकाने से क्या सरकार अपना सिद्धांत भूल बैठेगी ।

रूल्स की कमेटी में माननीय राजस्व मंत्री ने साफ कह दिया था कि जहां तक गासिबाना कब्जे का सवाल है, जहां तक ट्रेस्पासर का सवाल है मैंने १३५६ में उनको हक दे दिया था कि वे काश्तकार मान लिये जायं । परन्तु उसके बाद हम ट्रेसपासिंग (अनधिकार प्रवेश) को किसी तरह का ऐनकरेजमेंट (प्रोत्साहन) नहीं देना चाहते । फिर मैं देखता हूं कि इस समय बिल की धाराओं के बाहर नहीं जाना है, किसी संशोधन पर नहीं जाना है, न उसूल पर जाना है, लेकिन इतना तो देखना है कि उन काश्तकारों को यह प्रोटेक्शन (संरक्षण) देता है जिनको देना चाहिये । ऐसा तो नहीं होता कि इस बिल के द्वारा कोई इस समय ऐसी चीज रह जाय जिससे ट्रेसपासिंग पर फिर एक प्रीमियम लग जाय । जहां तक कि माननीय राजनारायण जी का सवाल है या उस पार्टी का सवाल है तो उससे हम से कोई मतलब नहीं । वह तो फ्रैगमेंटेशन आफ लैंड (भूमि के टुकड़े टुकड़े) नहीं होना चाहिये परन्तु ज़मीन का बटवारा होना चाहिये, यह उनका सिद्धांत है । वह तो ट्रेसपासिंग को अपने उस सिद्धांत के अनुसार देखते हैं । वह इसको जरूर कहें, लेकिन यह कहना कि उस सिद्धांत में कोई तत्व है और उसको यहां पर लावें और सरकार से कहें कि ८ दिन की देर कर रहे हैं तो ग़ज़ब हो रहा है, वहां न मालूम कितने खून हो जायंगे, यह न मैं मानने को तैयार हूं और न मानने वाली बात है श्रीमन्, इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जब से देश को असली स्वराज्य मिला है, इस सदन के सामने सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई प्रस्ताव या बिल आया है, तो वह आज का बिल है । इसलिये मैं समझता हूं कि आज हमारे इस प्रान्त के रहने वाले वह लाखों गरीब जो ज्यादातर हरिजन लोग हैं, इन जमीनों पर जिनका कब्जा है, उन लोगों को आज इस बिल के जरिये मालूम होगा या महसूस होगा,

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

कि उन्हें सचमुच कुछ स्वराज्य मिला है, और जिस जमीन को वह जोतते हैं, जिस जमीन में वह मेहनत करते हैं, उस जमीन के वह मालिक समझे जायंगे। इसलिये इस बिल का बड़ा भारी महत्व हमारे प्रान्त के अन्दर है।

रही सेलेक्ट कमेटी की बात। इस सदन के सामने कहा गया और हमारे माननीय सदस्य सुरेश प्रकाश जी ने तो कहा कि सोशलिस्ट पार्टी के ३ आदमी भी इसमें रख लिये गये। बड़ा भारी लालच हमारी पार्टी को मिला कि ३ आदमी उस कमेटी में चले गये, तो इससे हम लोग मान लेंगे। हम लोग उन कमेटी वालों में नहीं हैं। नाम वापस लेने का वक्त आये तब तो वापस लेंगे। माननीय राजा साहब को शायद कुछ गलतफ़हमी हो रही है, मैं उसे दूर करने के लिये खड़ा हुआ हूं। राजा साहब यह समझते हैं कि सेलेक्ट कमेटी में जाने से वहां माननीय ऐजाज रसूल साहब उनका साथ देंगे क्यों कि वह उनके पुराने साथी थे। यह गलतफ़हमी उनको दिल से हटा देनी चाहिये। वह नये नये उधर गये हैं और उन्हें काफी जोश है। जब नया आदमी किसी आन्दोलन में, दल में, जाता है तो उसके लिये जो मुहाविरा है, वह मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन सब माननीय सदस्य समझ गये होंगे। इसलिये उनसे आप कोई ज्यादा उम्मीद न करें। वह तो वहां "यस-मैन" (हां में हां मिलाने वाले) होंगे उस कमेटी में, जमींदारों का साथ देने वाले नहीं हैं।

जब आप ने इस सिद्धांत को मान लिया, इस बिल के उसूलों को मान लिया और आप चाहते हैं, कि जरूर उन लोगों को, उन गरीबों को वह जमीन दे दी जाय, उन पर उनका कब्जा मान लिया जाय, जो इस तरह की हैं, तो फिर सेलेक्ट कमेटी में ८ दिन में अगर आप उम्मीद करते हैं, कि उसके उद्देश्यों को भी बदल दिया जायगा, तो यह आप की ग़लत फ़हमी है। यह नहीं होने वाला है, और अगर आप चाहते हैं, कि यह कमेटी बैठे, वहां हम लोगों से भी कहा जाय जैसा कि माननीय राजनारायण जी ने कहा कि कमेटियों में जब यह बैठ जाते हैं तो किसी तरह से उन्हें राजी करके गड़बड़ कर देते हैं। इसलिये हम सेलेक्ट कमेटी में कम से कम इस बिल के संबंध में बैठने को तैयार नहीं हैं, जो इतना महत्वपूर्ण है, जिसमें मैं समझता हूं बिलकुल भी देर करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे माननीय सुरेश प्रकाश जी ने कहा कि जब रूल्स इस हाउस के सामने आये तो उस वक्त सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से प्रस्ताव आया कि सेलेक्ट कमेटी में डाल देना चाहिये, लेकिन शायद माननीय सुरेश प्रकाश जी को मालूम नहीं था कि वह रूल्स पहली जुलाई से लागू हो चुके थे। माननीय ऐजाज रसूल साहब, भी पुराने जमींदार हैं इसीलिये कभी कभी उन्हें जमींदारों की याद आ ही जाती है चाहे वे उधर के दल में गये हों। मुझे तो यह विश्वास है कि हमारा यह जो बिल आज आया है, वह कुछ दिन पहले आ गया होता, अगर उस दल के अन्दर कुछ ऐसे लोग न होते, जैसे हमारे माननीय ऐजाज रसूल साहब हैं, या और दूसरे लोग हैं। आज भले ही जमींदारी चली गयी हो, परन्तु जैसा हमारे राजा साहब बार-बार कहते हैं कि वे यहां जमींदारों के टिकट पर नहीं आये हैं, ये यहां जनता के छांटे हुये आये हैं, मैं कहूंगा कि वे ठीक बात कहते हैं, और हम भी राजा साहब को धोखा नहीं देना चाहते, हम गलत बातें नहीं कहना चाहते, जिस बात को कहते हैं साफ कहते हैं। हमने तो उस दिन यह भी कहा था, कि हमारा बस चलता तो हम जमींदारी को बिना मुआविज़ा दिये खत्म करते और बिना दस गुना लगान के किसानों को मालिक बनाते। यह हमारी सफ़ाई है, और इसकी उन्हें क़द्र करनी चाहिये। हम यह नहीं कहते हैं कि क्लासलेस (वर्गहीन) सोसाइटी बनेगी, लेकिन जाने कब बनेगी, इसका हमें पता नहीं। अगर हमारे पास सत्ता होती तो, हम आप से साफ कहते और कोआपरेटिव कामनवेल्थ के चक्कर में हम लोगों को नहीं डालते। कोई नहीं जानता है कि कोआपरेटिव कामन वेल्थ क्या है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस पर विचार करने की कोशिश की कि देश की जो व्यवस्था है, उसमें हमें क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी बनाना चाहिये। यही हमारी सोशलिस्ट पार्टी ने पहले कहा है। हम कोआपरेटिव कामन वेल्थ की परिभाषा अभी तक नहीं समझ पाये हैं, और न हमारे बहुत से लोग समझ पाये हैं।

अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से यह कहूंगा कि यह जरा पोलिटिकल प्लेटफार्म हो रहा है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—आदत ऐसी पड़ गयी है कि समझता हूं कि जनता के सामने ही बोल रहा हूं। आज तो मुझे बेहद खुशी है कि आज कम से कम हमारा एक मक़सद पूरा हुआ। आज कम से कम हम किसानों के सामने जा कर यह कहने के हक़दार हुये कि हमने तुम्हें जमीन का मालिक बनवाने की व्यवस्था बनवाई है। इस सदन के अन्दर इस बिल के आने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? इस लिये पड़ी कि इस सदन के अन्दर हम लोगों ने काफ़ी जोर दिया और जो हुकूमत ग़लत रास्ते पर जा रही थी उस को ठीक रास्ते पर लाने की कोशिश की और उस में हम कामयाब हुये। जिस तरह के उद्देश्यों को रखा गया है मैं समझता हूं कि कोई क्रांतिकारी दल भी इस तरह के उद्देश्यों को नहीं रख सकता है जो आज हमारे माननीय मंत्री चरण सिंह ने रखा है। उद्देश्य इतने सुन्दर हैं कि अगर आगे भी वे इसी तरह चलते रहें तो हमें विरोध करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे यह न समझें कि हम रोज उनका विरोध करेंगे। वे समझते हैं कि अगर कोई बिल आया तो सोशलिस्ट पार्टी मानने को तैयार नहीं होगी लेकिन हम जब देखते हैं कि गवर्नमेंट की ओर से अच्छी-अच्छी बातें आती हैं और गवर्नमेंट अच्छे-अच्छे बिल लाती है तो हृदय से हम उनका समर्थन करते हैं इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। इस लिये मैं यह कहूंगा कि यह जो इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात है वह उसी प्रकार है जिस तरह सुफ़ेद चादर पर एक काला दाग़ लग जाता है।

जो इस बिल का मक़सद था वह उसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने से बरबाद हो जाता है। इसमें काफ़ी समय वैसे ही लग जायगा। बड़े लम्बे चौड़े संशोधन मैंने इसमें देखे हैं। उन्हीं में काफ़ी वक्त बरबाद हो जायगा। शुभस्य शीघ्रम् हमारे यहां कहते हैं। जो काम अच्छे होते हैं उन्हें अगर जल्दी कर लिया जाय तो अच्छा होता है, नहीं तो उनका महत्व नष्ट हो जाता है। इस लिये मैं राजा साहब से प्रार्थना करूंगा कि आप कहां सेलेक्ट कमेटी के चक्कर में पड़े हैं। हमारी बातें सुनिये। यहां की बातें बाहर भी जायंगी। जैसा कि हमारे बहुत से सदस्य कहा करते हैं कि हम इसको पोलिटिकल स्टंट बना रहे हैं.....

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चेयर (सभापति) को ऐड्रस (सम्बोधन) नहीं कर रहे हैं। वे व्यक्तिगत सदस्यों को ऐड्रेस कर रहे हैं या सदन को ऐड्रेस कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जैसा पार्लियामेंटरी ढंग है चेयर को ऐड्रेस करना चाहिये।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—मैं 'अध्यक्ष महोदय' आप के द्वारा ही सब मेम्बरों से कह रहा हूं। हर वक्त 'आपका' 'आप का' नहीं कह सका, इसके लिये क्षमा चाहता हूं। मैं जानता हूं कि हमारे माननीय सदस्य इस लिये उठ खड़े हुये कि मेरा ट्रेंड (धारा) बिगड़ जाय मेरा ट्रेण्ड बिगड़ता नहीं है। मैं तो बड़ी बड़ी महफ़िलों से निकाला हुआ आदमी हूं। मैंने युनिवर्सिटी में, कालेज में, जहां जहां मैं रहा मैंने बड़े बड़े अपोजीशन्स इस तरह से देखे और उन सब को मैंने पार किया और आज इस सदन के अन्दर आया हूं.....

श्री चन्द्रसिंह रावत—अध्यक्ष महोदय, यह विषयान्तर है।

अध्यक्ष—आप जब तक मुझसे पूछ न लें तब तक आप कुछ भाषण न दें। आप कृपया बैठ जाएं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—मैं आप से यह कहूंगा, कि एक हमारे यहां कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड (न्याय करने में विलम्ब हो तो न्याय से इन्कार ही समझना चाहिये) एक दिन की देर ग़लत है। हम इस पर बोलते तक नहीं। हमारे

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

कुछ थोड़े से संशोधन थे, जो कि किसानों की ओर भी भलाई के लिये थे और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उद्देश्य से यह बिल रखा गया है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अगर हम माननीय मंत्री जी को अपने प्वाइंट्स समझा सकते और उन्हें विश्वास दिला सकते कि जो संशोधन हम रख रहे हैं, उनसे कुछ बिगड़ता नहीं है, बल्कि किसानों का भला होता है, तो हमें आशा है, कि जब हमारे संशोधन इस हाउस के सामने आते तो माननीय मंत्री उन्हें जरूर स्वीकार कर लेते। मैं चाहता हूं कि आज ही के दिन अगर यह खत्म हो जाता और पास हो जाता तो जब हम इस सदन के बाहर निकलते तो जनता के सामने कहते कि स्वराज्य का सब से पहला दिन अगर इस प्रान्त में कोई मिला है, तो यह आप का बिल मिला है। मगर फिर उसको टाल दिया। उन्होंने एक लिस्ट बना दी और हमें खुश करने के लिये तीन मेम्बरान हमारे भी रख दिये। उस कमेटी में एक नयी बात और है। इस सदन की तरफ से जो कमेटी बनायी जाती है, उसमें हमारे जो डिप्टी स्पीकर साहब होते हैं, उनका होना आवश्यक होता है। यह गवर्नमेंटल कमेटी है, इसलिये मिनिस्टर साहब चेयरमैन होंगे। इस सदन की, जो भी कमेटी होती है, जहां तक मैं समझा हूं, उस में डिप्टी स्पीकर साहब का होना आवश्यक है। लेकिन लिस्ट में खाली तीन के नाम रख दिये गये।

एक सदस्य---उनका भी नाम रख लिया जायगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---रख लेते तो कोई गलत बात नहीं थी। वैसे कोई घूमने की बात होती, तो उस में मुझे भी रख लेते, कुछ फ़ायदा ही हो जाता। लेकिन वह कमेटी सुना है यहीं मीट करेगी और सात दिन के अन्दर रिपोर्ट मांगी गयी है। सात दिन तक सदन चलेगा। फिर भी मैं उस की मुखालिफ़त करता हूं, और वह इसलिये कि जितना समय उस सेलेक्ट कमेटी के झगड़े में आप लगायें, उसको यहीं लगा कर जो कुछ संशोधन आपको करना हो सदन के सामने रखें, ताकि हम लोग माननीय ऐजाज रसूल साहब की बातें सुनें। कमेटी में हम लोगों को क्या पता चलेगा कि उन्होंने क्या कहा, किस तरह से बोलते हैं, जमींदारों का पक्ष करते हैं, या कांग्रेस दल का करते हैं, या किसानों का करते हैं। वह हमारे लिये कहते हैं कि ये क्यों बोल रहे हैं, ये केवल बोलने के लिये बोल रहे हैं। मैं कहता हूं कि माननीय ऐजाज रसूल साहब खाली बोलने के लिये बोल रहे हैं। वह तो गवर्नमेंट के आदमी हैं। उनके तो माननीय मंत्री बोलते हैं। अगर उनको कोई बात कहलाना हुआ करे, तो उनसे कहला दें। जिस गरीब तबके के मत पर हम यहाँ आये हैं, स्वराज्य का अगर कुछ उनको फल मिला है, तो वह आज मिला है और उसे ही जाहिर करने के लिये हम आज इस सदन के सामने खड़े हुये हैं। इसलिए जो सेलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव राजा साहब की तरफ से आया है और जिसका उधर से भी स्वागत हुआ है मैं उसकी सख्त मुखालिफत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिन जज्बात का मैंने यहां पर इजहार किया है उससे मेरे सब भाई सहमत होंगे। और यह चीज तो हमारे उन भाइयों की तरफ से आनी चाहिये थी जो हरिजनों के प्रतिनिधि बनकर यहां पर आये हैं। मगर वे समझते नहीं हैं। आज इस बिल से सब से ज्यादा उनका फायदा है जिन लाखों हरिजनों का प्रतिनिधित्व करके वे यहां पर आये हैं। अगर इस बिल से कोई भलाई हुई है तो उन हरिजनों की हुई है। उनको चाहिये था, कि वे यह कहते मगर आज उनका पार्ट भी हम अदा कर रहे हैं। उधर से शिवनारायण जी खड़े हुये।

मुझे इस बात का दुख हुआ। मैं सुनूंगा अभी तो डिसकशन बहुत देर तक चलता है। अगर किसी को ...

अध्यक्ष---माननीय सदस्यों के ऊपर कोई आक्षेप इस किस्म का नहीं होना चाहिये, जिससे उनकी नीयत पर हमला हो।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---माननीय अध्यक्ष महोदय मैं उनकी नीयत पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं। वह सब हमारे भाई हैं।

अध्यक्ष---यह शब्द "इस नीयत से कर रहे हैं" ऐसा आक्षेप नही करना चहिय, व्यक्तिगत हमला नहीं करना चाहिये।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—अगर माननीय सदस्य यह समझते हों कि आक्षेप हो गया है तो वह मुझे क्षमा करें। लेकिन मैं उनसे यह अवश्य कहूंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपने जिस क्षेत्र के प्रतिनिधि होकर आये हैं, जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस कम्युनिटी का आप रिप्रेजेण्टेशन करते हैं। आप उनकी बात कहने के लिये सदन के अन्दर आये हैं तो दिल खोलकर बात तो आकर कहिये, कि आप क्या चाहते हैं। इसलिये मैं उन्हें याद दिलाता हूं, कि अगर उनको व्हिप वगैरह का डर हो तो, वह मुझसे कह दें। मैं उनके जज्बात को सदन के सामने रख दूंगा ताकि गरीब भाइयों का भला तो हो जाय।

मैं बहुत ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह बिल जल्द इस सदन में पास हो जाय। मैं आशा करूंगा कि माननीय मंत्री जी सेलेक्ट कमेटी को ठुकरा दें, और जो संशोधन हमारी तरफ से पेश हुये हैं, या राजा जी या सुरेश प्रकाश सिंह जी की तरफ से पेश हुये हैं, क्योंकि वह भी इस बिल के उद्देश्य से तो सहमत हैं। उनके अमेंडमेंट आये तो उन पर विचार करके इसको जल्द पास किया जाय। मैं सेलेक्ट कमेटी का विरोध करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं, और जो अमेंडमेंट आयेंगे, उन पर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे और विचार करेंगे क्योंकि कांग्रेस वाले भी कहते हैं कि—

"Justice delayed is Justice denied."

[न्याय करने में यदि बिलम्ब हो तो न्याय से इन्कार ही समझना चाहिये] इसको सामने रख कर भी हम आशा है वह हमारी बात को मानेंगे।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—मैं आपकी इजाजत से क्लोजर मूव (बहस बन्द करने) के लिये प्रस्ताव रखता हूं।

अध्यक्ष—अब तो मैं ने श्री परिपूर्णानन्द वर्मा को बुला लिया है। इनके बाद क्लोजर का प्रस्ताव रख सकते हैं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, मेरे में इतनी प्रतिभा तो नहीं है कि माननीय उपाध्याय जी की ओर से जिन शब्दों में सेलेक्ट कमेटी के मसले पर विरोध हुआ है उसी प्रकार से कुछ कह सकूं। एक छोटा सा राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के कारण मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे समाजवादी भाई उस समाजवादी दल के सदस्य होकर जिसमें बड़े बड़े धुरन्धर राजनीतिज्ञ और प्रजातंत्रवादी लोग मौजूद हैं ऐसी बात कहें जो उनके लिये अशोभनीय है। हमारे मित्र ने Justice delayed is Justice denied. (न्याय करने में बिलम्ब हो तो न्याय से इन्कार ही समझना चाहिये) का वाक्य कहा। मुझे बड़ा दुख हुआ कि ऐसा वाक्य प्रजातंत्रवादी भवन की इस सभा में कहा गया। आचार्यों ने प्रजातंत्र के ऊपर अनेक ग्रंथों की रचना की है और उन आचार्यों ने समाजवाद को प्रजातंत्र के साथ सन्निहित किया है और समाजवाद को इसलिये सब से ऊंचा समझा है कि प्रजातंत्र की भी रक्षा के लिये यह आवश्यक है। प्रजातंत्र का सब से बड़ा गुण शासन के संबंध में यह है कि इसमें "डिले" होती है, बिलम्ब होता है और यही उसका सबसे बड़ा "सेफ्टी वाल्व" है। इसीलिये कोई भी चीज अनुचित तरीके से नहीं हो सकती है जो कि एकतंत्रीय शासन में तरीका होता है। श्रीमन्, इस बात की बड़े बड़े विद्वानों ने समीक्षा की है और उन्होंने कभी नहीं कहा कि जस्टिस डिलड इज जस्टिस डिनाइड वाला सिद्धांत प्रजातंत्र के साथ संबंध रख सकता है। इस का संबंध न्याय शासन से है जो कि एक दम अलग चीज है।

जहां तक सेलेक्ट कमेटी का संबंध है, जितना मुझे ज्ञान है और जो कुछ मैं इसके बारे में निवेदन कर सकता हूं उससे मैं तो यही कहूंगा कि सिलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव को विरोधी पक्ष ने सदा उचित समझा है

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

वह समझते हैं कि जो कुछ होना था वह हो चुका, बिल की जो एक मर्यादा बननी थी वह बन चुकी और अब जो कुछ तरमीम या कमी पूरी करनी है वह सेलेक्ट कमेटी के द्वारा ही हो सकती है। इसका विरोध करने का एक ही अर्थ हो सकता है कि उसकी कमियां और त्रुटियां बनी रहें।

यह कह देना कि कांग्रेस में जो रईस और राजा आ गये हैं उन्हीं के कारण जमींदारी उन्मूलन में इतनी देर लगी है, अनुचित है। मैं भी समाजवादी दल से परिचित हूं और उनके साथ रहा हूं। उनसे पूछता हूं कि किसी एक विशेष वर्ग के किसी दल में आ जाने से अगर कोई त्रुटि हो सकती है तो निस्संदेह समाजवाद दल में ऐसे बहुत से सेठ और साहूकार और महाजन आ गये हैं उसके कारण समाजवादी दल उस स्तर को कदापि प्राप्त नहीं कर सकता जो वह करना चाहता है? श्रीमन् यह सही बात नहीं मालूम होती कि आज तक कांग्रेस ने कोआपरेटिव कामनवेल्थ को समझा नहीं, मैं समझता हूं कि कोई गैर जानिबदार शख्श ही ऐसी बात कहेगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--प्वाइंट आफ आर्डर, सर (श्री मान् जी मैं विधान का प्रश्न उठाता हूं।) मैंने यह नहीं कहा था कि कांग्रेस ने नहीं समझा, बल्कि यह कहा था कि कम से कम मैं नहीं समझ पाया।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--मुझे दुख है कि हमारे भाई समाजवाद का इतना अधिक ज्ञान रखते हुये भी कोआपरेटिव कामनवेल्थ की परिभाषा नहीं समझ सके लेकिन समाजवाद के आचार्य श्री अशोक मेहता ने जो एक लेख १५ अगस्त को लिखा था जिसका शीर्षक था 'स्वराज्य के ५ वर्ष' उसमें उन्होंने कांग्रेस के ऊपर भी ऐसा आक्षेप नहीं लगाया कि वह कोआपरेटिव कामनवेल्थ को नहीं समझती ऐसा कहने का साहस उन्होंने नहीं किया। उनके जो चार्जेज (उपालम्भ) थे वे दो तीन थे जो कि अन्तर्राष्ट्रीय विषयों से संबंध रखते हैं और उद्योग धंधों के राष्ट्रीकरण से संबंध रखते हैं। ऐसा विषय कभी आगे आयेगा तब उस पर भी विवेचन हो जायगा। क्लासलेस सोसाइटी का न बनाने का अभियोग कांग्रेस सरकार पर लगाया जाता है। मैं बहुत आदर से अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि वह मुझे वह देश बतला दें, वह संस्था या वह शासन बतला दें जहां समाजवाद का कोई भी रूप रहा हो और जिसने क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना का प्रयत्न किया हो और बिना कम्पन्सेशन (प्रतिकर) के कोई कार्य किया हो। इसकी बात कही जाती है, और उस बारे में बहुत लम्बी चौड़ी बातें हैं। लेकिन आचार्य नरेन्द्र देव ने चीन से लौटने के बाद उसके विषय में जो बातें बतलाई, जहां उहोंने चीन की प्रशंसायें कीं वहां एक बात यह भी कही कि चीन में इस बात की जल्दी नहीं की गई कि भूमि का पूरा वितरण कर दिया जाय, हमारे मित्र उनकी बातें पढ़ लें। चीन ने देश की वर्तमान खाद्य समस्याओं को देखते हुये इस समस्या को स्थगित सा कर दिया है और चीन ने इस बात की जल्दी नहीं की है कि बड़ी जमींदारी का उन्मूलन कर दिया जाय और बड़े बड़े जमींदारों की सम्पत्ति छीन ली जाय। उसने देश की वर्तमान व्यवस्था को देखते हुये यह उचित नहीं समझा। कांग्रेस अपने विपत्ति काल में, स्वराज्य के शैशव काल में जबकि वह दुधमुंहा बच्चा आंख खोल रहा है, उस समय क्लासलेस सोसाइटी की भावना रखते हुये भी उसकी स्थापना न कर सकी तो फिर इसमें कौन सा आश्चर्य है।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर (श्रीमान् जी, मैं विधान का प्रश्न उठाता हूं।) मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जो कुछ बोल रहे हैं वह इस विधेयक से संबंध नहीं रखता।

अध्यक्ष --जो दूसरी ओर से कहा गया उसका उत्तर देने का हक उनको है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस प्रकार से यह क्लासलेस सोसायटी की बात और कम्पेन्सेशन का अभियोग इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने के संबंध में उठा दिया गया मैं समझता हूं कि वह अनुचित, अवांछनीय और अनर्गल है।

अध्यक्ष—अब आप विषय पर आ जायें।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मैं केवल यह निवेदन करूंगा कि हमारे सम्मानित सदस्य इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने के विरोध में कोई बात न कहें इसे मैं अशोभनीय समझता हूं। आशा है वे अपना विरोध वापस ले लेंगे।

श्री राजनारायण—मैं परिपूर्णानन्द जी से यह जानना चाहता था कि उन्होंने आचार्य नरेन्द्र देव के संबंध में यह कहा कि उन्होंने चीन के सम्बन्ध में यह कहा कि चीन ने कोई जल्दी नहीं की कि भूमि का वितरण हो, मैं समझता हूं कि यह गलत बयानी है।

अध्यक्ष—यह आपने कोई सवाल नहीं किया, बल्कि आपने अपनी राय दी।

श्री रामनरेश शुक्ल—मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो जैसा कि प्रस्ताव से जाहिर है शुरू में बहुत आवश्यक नहीं समझता था कि यह विधेयक प्रवर समिति को सिपुर्द हो लेकिन जितना अधिक इस विधेयक पर विचार किया गया और जैसा कि आज के संशोधनों की संख्या से जाहिर है उससे यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इस विधेयक पर और ज्यादा विचार किया जाय। जितने विचार की आवश्यकता है वह इतने बड़े सदन में नहीं हो सकता। इस लिये हमारे इस सदन के जो नियम हैं उनमें इस प्रकार की प्रवर समिति बनाने की योजना रखी गई है ताकि गम्भीर समस्या पर और विषय पर ठंडे दिल से निकट बैठकर थोड़ी तादाद के सदस्य विचार कर सकें। मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार की आवश्यकता है। इसलिये, जो संशोधन माननीय अब्दुल मुईज खां ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस सिलसिले में परिपूर्णानन्द जी ने जैसा कहा कि बहुत सी बातें इससे गैरमुताल्लिक कही गईं मैं उनका कोई जवाब देना आवश्यक नहीं समझता हूं। जहां तक विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों का संबंध है उन्होंने इस बिल का स्वागत किया मैं उनके स्वागत और भावना के लिये कि कम से कम गवर्नमेंट की कोई बात तो उनको अच्छी लग सकती है इसके लिये मुबारकबाद देता हूं। और साथ ही विरोधी पक्ष के माननीय नेता जब कभी हमसे सहमत होते हुये भी इस बात का फिकर करते हैं कि कुछ न कुछ बात कही जाय तो फर्ज कर लेते हैं और दकियानूसी, लंगड़ी लूली गवर्नमेंट है आवेश में आकर इस तरह से कुछ कहने की कोशिश करते हैं। लेकिन वह सही दुश्मन सामने नहीं होता है इसलिये वह इस कोशिश में कामयाब नहीं होते हैं। फर्जी दुश्मन सामने खड़ा कर लेते हैं। जैसा कि एक फ्रांसीसी लेखक ने एक किताब में लिखा है। वह कभी कभी किसी मामूली चीज को, किसी विण्ड मिल को दुश्मन समझकर उस पर तलवार और घोड़े समेत टूट पड़ते थे। इसी प्रकार हमारे राजनारायण जी को भी सामने कुछ न कुछ समझकर कहना ही पड़ा जब कि वह विधेयक के सिद्धांत और उसूल से सहमत थे। यह मैंने गैर मुताल्लिक बातों का जवाब दिया।

अब मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं। माननीय राजनारायण जी ने अधिनियम की धारा १६ का जिकर किया कि उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है और इसी प्रकार से जयपाल सिंह जी ने इसकी ११८ में जो क्रम दिया हुआ है जिस क्रम में गांव सभा बंजर

[श्री चरण सिंह]

भूमि जो उसके कब्जे में हों उनको दूसरे लोगों को उठा सकती है। उस क्रम के संशोधन की आवश्यकता की ओर उन्होंने संकेत किया। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो विधेयक है यह भूमि-व्यवस्था अधिनियम संशोधन करने के लिये नहीं लाया गया है। यह तो उसमें एक प्रकार की कमी रह गई थी उसकी पूर्ति करने के लिये लाया गया है। इसीलिये इसका नाम सप्लीमेंटरी या अनुपूरक बिल है। अधिनियम में कुछ ऐसी बातों की जरूरत है जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि जिसके लिये उस अधिनियम में एक संशोधन करने के लिये बिल पर गवर्नमेण्ट विचार कर रही है।

वह चीज इससे बिलकुल अलहदा होगी और इसका उससे कोई संबंध नहीं है लेकिन चूंकि बिल देर में बनते हैं और जैसा कि हमारे भाई परिपूर्णानन्द जी ने कहा कि जनतन्त्र की चक्की जरा देर में पीसती है। इसीलिये हमने अधिनियम में धारा ३४२ रखी कि यदि आवश्यकता हो तो इस क्रांति का सही इम्पलीमेंटेशन जल्द हो सके और हमारे उद्देश्य के अनुकूल हो सके। इसलिये गवर्नमेंट को अधिकार है कि वह जब चाहे इन चीजों को अडेप्टेशन आर्डर से दूर कर सकती है और वह माननीय सदस्यों के डैस्कों पर रख भी दिया गया है। यह अडेप्टेशन आर्डर बहुत सी कठिनाइयों को दूर करता है लेकिन उस के जरिये जो उद्देश्य हम पूरा करना चाहते हैं वह पूरे नहीं हो सकते। इस तरह जो संशोधन हम लेजरली तरीके से अवकाश लेकर संशोधनों का बिल ला कर पूरा कर सकते हैं उनको हमने इसमें नहीं रखा है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को बतलाऊंगा कि अधिनियम का संशोधन का बिल लाने पर सरकार विचार कर रही है इसलिये अगर धारा १९८ या धारा १६ का जिक्र नहीं है तो उसका मतलब यह नहीं है कि सरकार की आंखों से वह बात ओझल हो गई है। एक बात यह कि जिस रोज २२ तारीख को नारायण दत्त जी के प्रस्ताव पर बहस हुई थी उस रोज और आज भी माननीय राज नारायण जी ने कहा कि यह बिल बहुत पहले आ जाना चाहिये था और हम तो इसके लिये पहले से कह रहे थे। मैं अर्ज कर दूं कि ७ जुलाई से तो बजट सेशन था उसमें वह नहीं आ सकता था और उसके बाद वह मुल्तवी होकर १८ अगस्त को हुआ और उसके बाद हम इसको २२ तारीख को अब ले आये। इस तरह से इससे पहले हो ही नहीं सकता था।

जहां तक निर्धन और गरीब किसान की रक्षा का सवाल है मैं पहले भी कह चुका हूं और अब फिर कहता हूं कि इस में गवर्नमेंट किसी से पीछे नहीं है और वह उनके अधिकारों की रक्षा करना चाहती है। अगर अब वह आठ सात दिन के लिये प्रवर समिति में जाता है तो इससे किसान को हानि नहींहोती है और न इसमें जनहित की ही कोई अवहेलना होती है। उसमें यह है कि सन् १९५९ में जिन का कब्जा था और नाम दर्ज नहीं थे जो बेदखल हो रहे हों या बेदखल होने की आशंका हो तो उन के नाम का इन्दराज हो सकता है। ७ दिन बाद से कोई महीनों या सालों का फर्क नहीं पड़ता। इसलिये यह जरूरी है कि यह प्रवर समिति में जाय। जब कानून बनते हैं तो उन पर विचार करने की आवश्यकता होती है। जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था कानून जो हमने बनाया है उस पर भी वर्षों विचार हुआ जिसमें बहुत बड़ी समस्याओं का सामना था और मुझे मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट से भी उसके हक में अच्छे ही शब्द कहे गये हैं और साथ ही बार एसोसियेशन्स की राय के बारें में भी मैं कह सकता हूं और मुझे मालूम है कि वह आम तौर पर उस के ड्रेफ्टिंग और उस सारी स्कीम की वह कद्र करते हैं लेकिन फिर भी उसमें कुछ लेकुना रह गये हैं जो मुझे तसलीम हैं और उन-को हमने अडेप्टेशन आर्डर से ठीक किया है। जैसा कि हमारे दोस्त माननीय मदन मोहन जी ने कहा कि उसका बहुत ऊंचा आशय है और वह बहुत दूर तक जाने वाला है। इन शब्दों के साथ मैं मुईज़ साहब के संशोधन का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष—अब २ संशोधन यहां पेश हैं। एक तो माननीय वीरेन्द्र शाह जी का और दूसरा माननीय अब्दुल मुईज़ खां साहब का ।

राजा वीरेन्द्र शाह—मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष—मैं दूसरा पेश किये देता हूं। वह अगर पास हो जाय तो पहले को पेश करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और वह यों ही खत्म हो जायगा।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ ई०, को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह में दे दे और जिसके निम्न-लिखित सदस्य होंगे :

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य,
श्री अब्दुल मुईज़ खां,
श्री लक्ष्मीरमण आचार्य,
श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी),
श्री ब्रजवासीलाल,
श्री बलवन्त सिंह,
श्री रामलखन मिश्र,
श्री महीलाल,
श्री जयपाल सिंह,
श्री अतहर हुसैन ख्वाजा,
श्री नेकराम शर्मा,
श्री ब्रजबिहारी मिश्र,
श्री ऐजाज रसूल,
श्री जयराम वर्मा,
श्री लालबहादुर सिंह (जौनपुर),
श्री सुरेश प्रकाश सिंह,
श्री रणंजयसिंह,
श्री गेंदासिंह,
श्री रामसुन्दर पांडेय,
श्री कमला सिंह ।

ये २० नाम इसमें दिये हुये हैं। और श्री चरण सिंह तो नियम के अनुसार होंगे ही ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीज़ीशन (संशोधन) विधेयक, १९५२

अन्न मन्त्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश टैम्पोरेरी एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, सन् १९५२ ई०, पर विचार किया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक वैधानिक आपत्ति पेश करना चाहता हूं। यह बिल पेश नहीं हो सकता। यह अल्ट्रा वायस है। यह अपने स्टेटमेंट आफ़ आबजैक्ट्स ऐंड रीज़न्स में जो मेन ऐक्ट है इसके प्रीऐम्बिल के ऊपर इसके स्कोप को बढ़ा देता है। मेन ऐक्ट में जो प्रीएम्बिल है वह इस प्रकार है —

*१८ अगस्त, १९५२ की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

"Whereas by reason of shortage of accommodation in the United Provinces, which has become very acute due to the large influx of refugees, it is expedient to provide, during a limited period, for powers to requisition accommodation."

[चूंकि संयुक्त प्रान्त में मकानों की कमी के कारण, जो कि यहां शरणार्थियों के अधिक संख्या में आ जाने से और अधिक बढ़ गयी है, यह उचित और आवश्यक है कि नियत अवधि के भीतर निवासस्थान प्राप्त करने के अधिकार के संबंध में आदेश बनाये जायं]

और इसके स्टेटमेंट आफ़ आबजैक्ट्स ऐंड रीजन्स में कहा गया है--

"There is still an acute shortae of accommodation throughout the State and it is in the public interest that District Magistrates should continue to exercise special powers to requisition accommodation for public purposes."

[राज्य भर में अब भी निवास स्थान की बहुत कमी है। सार्वजनिक हित के लिये आवश्यक है कि जिले के मैजिस्ट्रेट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये निवासस्थान को अधिकृत करने के विशेष अधिकार का प्रयोग करते रहे हैं।]

तो उसमें रिफ्यूजीज को बढ़ा कर फ़ार पब्लिक परपजेज स्कोप को बढ़ा दिया गया है। और प्रीएम्बिल के स्कोप के कम होने से यह अल्ट्रा वायरस है। इसलिये आज यहां इस पर विचार नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष--मेरे सामने पहले किताब नहीं थी। माननीय नारायण दत्त जी कृपा करके अपना आबजेक्शन फिर दोहरावें और क्या वे 'ड्यूटू एक्सपायर आन सितम्बर १९५२' से पढ़ना चाहेंगे?

श्री नारायणदत्त तिवारी---जब कि पहिले ऐक्ट का सारांश बिलकुल दूसरा है और इस नये अमेंडमेंट बिल में बिलकुल दूसरे ही कारण बतलाये गये हैं। इसलिये इसमें पहिले ऐक्ट के स्कोप को बढ़ा दिया गया है जो कि ओरीजिनल ऐक्ट की मंशा के खिलाफ है। चूंकि स्कोप बढ़ा दिया गया इसलिये अमेंडमेंट की शक्ल में यह बिल नहीं आ सकता इसको एक नये बिल के रूप में आना चाहिये।

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, जो बिल १९४७ में उपस्थित किया गया था और जिसके अन्तर्गत रिक्वीजीशन के अधिकार सरकार ने प्राप्त किये थे उसके अन्तर्गत जो मकान इत्यादि रिक्वीजीशन किये जाते थे वह भी पब्लिक परपजेज के लिये होते थे, क्योंकि रिफ्यूजीज के लिये मकानात का प्राप्त करना पब्लिक परपज ही है। आज जब कि मकानों की शार्टेज है, चाहे रिफ्यूजीज के लिये हो या सरकारी कार्य के लिये वह सब पब्लिक परपज में आता है। इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि पहिले रिफ्यूजीज के लिये मकानों का रिक्वीजीशन करने के लिये बिल उपस्थित किया गया था अब यह पब्लिक परपजेज के लिये ऐकोमोडेशन प्राप्त करने के लिये बिल उपस्थित किया गया है अतः दोनों में भेद है। मैं तो समझता हूं कि रिफ्यूजीज के लिये मकानों का प्राप्त करना पब्लिक परपज है और सरकारी कार्यों के लिये भी मकानों का प्राप्त करना पब्लिक परपज है। जो बिल पास किया गया था उसके अन्तर्गत मकान रिफ्यूजीज के लिये प्राप्त किये जाते थे और सरकारी कार्यों के लिये भी प्राप्त किये जाते थे। आज जो बिल पास होने जा रहा है उससे भी रिफ्यूजीज और सरकारी कार्य दोनों के लिये मकानात प्राप्त किये जा सकेंगे। इसलिये इन दोनों में कोई भेद उत्पन्न नहीं होता और यह कहना कि इस बिल से मन्तव्य बदल जाता है सही नहीं है। अतः मैं इस बिल के विरोध की मुखालिफत करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्वाइण्ट आफ आर्डर उठाया था वह माननीय मंत्री जी के भाषण से और भी स्पष्ट हो जाता है। मैंने यह नहीं कहा

कि यह बिल न लाया जावे मगर मेरा तो केवल एक कांस्टीट्यूशनल प्वाइण्ट था कि यह बिल अमेंडमेंट के तौर पर नहीं आ सकता बल्कि एक नये बिल की तरह आ सकता है। सरकार ने रिफ्यूजीज की जगह जो पब्लिक इंटरेस्ट शब्द का प्रयोग किया है उस पर मुझे तो ऐतराज था। अतः यह बिल अमेंडिंग था। अतः यह बिल अमेंडिंग बिल के रूप में नहीं लाया जा सकता।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न काफी गंभीर है अतः इस पर डिसकशन का समय देने की कृपा करें। प्वाइण्ट आफ आर्डर बहुत महत्वपूर्ण है उसको 'लाइटली' डील न किया जाय।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य कुछ अपने विचार भी तो उपस्थित करना चाहते हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—जी हां। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नारायण दत्त जी का समर्थन करता हूं और समझता हूं कि उन्होंने जो कुछ कहा है वह ठीक है। पहिले बिल का जो प्रीऐंबिल है उसमें आपने लिखा है—

"Whereas by reason of shrotage of accommodation in the United Provinces, which has become very acute due to the large influx of refugees, it is expedient to provide, during a limited period, for powers to requisition accommodation."

[चूंकि संयुक्त प्रान्त में मकानों की कमी के कारण जो कि यहां शरणार्थियों के अधिक संख्या में आ जाने से और अधिक बढ़ गयी है, यह उचित और आवश्यक है कि नियत अवधि के भीतर निवास स्थान प्राप्त करने के अधिकार के संबंध में आदेश बनाये जायं।]

हुजूरवाला, आप उसके ट्रान्सक्रिप्शन में देख सकते हैं साफ लिखा हुआ है क्योंकि मेरे पास उसकी कापी इस समय नहीं है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल १९ को आप देखें तो उससे यह स्पष्ट होता है कि हर आदमी को यह राइट है कि वह अपनी सम्पत्ति का अर्जन, अवधारण व बिक्री कर सकता है। तो जब आप एक्वायर कर लेंगे तो अवधारण करने का जो अधिकार दिया गया है वह उससे छिन जाता है। और यह पाबन्दी मैं मानता हूं कि दूसरी तरफ से यह बहस की जायगी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वे संकुचित किये जा सकते हैं। परन्तु उसके साथ एक प्रतिबन्ध होना चाहिये। वह आर्टिकिल १९ का सब क्लाज (५) है।

"Nothing in sub-clauses *(d)* *(e)* and *(f)* of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, of reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub-clauses either in the interests of the general public or for the protection of the interests of any Schedule Tribe."

[उक्त खंड के उपखंड (घ), (ङ) और (च) की कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा किये गये अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों के अथवा किसी अनुसूचित आदिम जाति के हितों के संरक्षण के लिये युक्तियुक्त निर्बन्ध जहां तक कोई वर्तमान विधि लगाती हो वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा वैसे निर्बन्ध लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट, न डालेगी।]

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह प्रतिबन्ध लगा सकते हैं कि वह पब्लिक इंटरेस्ट है। किसी फंडामेंटल राइट को संकुचित करने की दो शर्तें हैं और वे ये हैं। पहली बात यह है कि वह पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिये और दूसरी बात यह कि जो रेस्ट्रिक्शन लगाया जाय वह रीजनेबिल हो। आपके इस ऐक्ट का प्रीएम्बिल महज एक रिफ्यूजी क्लास के लिये रखा है। अगर कोई ऐक्ट बनाया जाता है तो वह जनरल पब्लिक के लिये होता है। कोई ऐक्ट किसी एक क्लास या कम्युनिटी के लिये नहीं हो सकता। "जनरल

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

पब्लिक इज मच वाइडर थिंग सर" (श्रीमान्, सामान्य जनता अत्यन्त व्यापकतर वस्तु है।) ऐसी परिस्थिति में एक क्लास के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिये कोई ऐसा अधिनियम नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन यदि बनाया जाता है और इसका एक्सटेंशन किया जाता है तो उसका परिणाम यह होगा कि आइन्दा चल कर यह ऐक्ट अल्टरा वायरस हो जायगा और उसका कोई परिणाम नहीं हो सकेगा।

अध्यक्ष---जो पुराना ऐक्ट है उसके प्रीएम्बिल को पढ़ कर यह आपत्ति उठायी गयी है और माननीय नारायण दत्त जी ने वह प्रीएम्बिल पढ़ा। उन्होंने सन् ४७ के इस ऐक्ट के स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा और उसका मुकाबला किया उस विधेयक के स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स से जो कि हमारे सामने है। तो स्टैटमेंट आफ आबजेक्टस कोई कानून का नहीं होता है और न वह पास किया जाता है। वह तो कारणों का खाली निर्देश देता है लेकिन प्रीएम्बिल कानून का अंग रहता है। तो प्रीएम्बिल में जो दिया हुआ है वह तो "डयूट्र इनफ्लक्स आफ रिफ्यूजीज' है। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ वह तो माननीय सदस्य ने नहीं बतलाया। इनफ्लक्स आफ रिफ्यूजीज की वजह से एकोमोडेशन की शार्टेज हुई, और एकोमोडेशन की शार्टेज हो जाने की वजह से यह कानून बना। रिफ्यूजीज के आने की वजह से ऐक्ट नहीं बना बल्कि रिफ्यूजीज के आने की वजह से यह परिणाम हुआ कि एकोमोडेशन की कमी हुई इसलिये यह आवश्यकता पड़ी कि पब्लिक इंटरेस्ट में यह कानून बनाया जाय। सन् ४७ का कानून बना और जो वह कानून बना वह जैसा कि श्री अवधेश प्रताप सिंह जी ने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिये तभी वह कानून बन सकता है। उसी प्रकार बना अगर पब्लिक इंटरेस्ट में न होता तो वह पहला कानून ही बेकायदा हो जाता। लेकिन वह कानून तो कायदे के अनुसार माननीय नारायण दत्त जी समझते हैं। परन्तु वे कहते हैं कि यह जो अभी कानून बनाया जा रहा है यह अवैध है। वह जारी नहीं रक्खा जा सकता है बल्कि नया कानून लाया जा सकता है। माननीय नारायण दत्त जी ने १९४७ के अधिनियम के प्रीएम्बुल को पढ़ा और प्रस्तुत विधेयक के प्रिएम्बुल को अगर पढ़ा जाय तो उसके शब्द ये हैं--

"Whereas the U. P. (Temporary) Accommodation Requisition Act, 1947, will expire on September 30, 1952, and it is expedient to provide for continuance of the said Act, until September 30, 1954."

[यू० पी० (टेम्पोरेरी) रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७, ३० सितम्बर, १९५२ को समाप्त होने वाला है और उक्त अधिनियम को ३० सितम्बर, १९५४ तक जारी रखना आवश्यक है।]

तो इसके प्रिएम्बिल और उसके प्रिएम्बिल को कम्पेयर करने की बात है। तो विधेयक के उद्देश्य में स्पष्ट किया जाता है कि जो पुराना कानून है उसी को कॉंटिन्यू करने का इसमें इरादा है। यह उद्देश्य इसमें स्पष्ट है। स्टेटमेंट आफ आबजैक्ट्स को पहले के स्टेटमेंट आफ आबजैक्ट्स से कम्पेयर करने की आवश्यकता थी लेकिन उसमें शब्द वैधानिक ढंग से कानून के अंग बनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि स्टेटमेंट आफ आबजैक्ट्स कानून के अंग नहीं हुआ करते। इसलिये उनके कुछ भी शब्द रहे हों उन शब्दों पर कोई आपत्ति वैधानिक नहीं उठाई जा सकेगी। जहां तक प्रिएम्बिल का संबंध है १९४७ के अधिनियम में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि रिफ्यूजीज के ज्यादा आ जाने की वजह से उत्पन्न हुई परिस्थिति से ऐकोमोडेशन में कमी हुई और उस कमी से जनता का जो नुकसान हुआ उसी के लिये पब्लिक इंटेरेस्ट में रिस्ट्रिक्शन करने की आवश्यकता है। उसी अधिनियम को कंटीन्यू करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। इसलिये वैधानिक आपत्ति को मैं ठीक नहीं समझता और इस आपत्ति को नामंजूर करता हूं।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२७ अगस्त, १९५२।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९–११ के उत्तर पीछे पृष्ठ १७५ पर)

चिकित्सालय के नाम	किस साल में स्थापित हुआ	रोगियों की संख्या	पिछले पांच साल में दी गई आर्थिक सहायता
१	२	३	४
१–कुष्ट चिकित्सालय, मैनी, इलाहाबाद ..	१८७४	३००	२,१६,२७७
२–कुष्ट चिकित्सालय, अल्मोड़ा ..	१८४०	१३०	८२,०००
३–कुष्ट चिकित्सालय, चनडोग, अल्मोड़ा ..	१८८६	११०	६८,१२४
४–कुष्ट चिकित्सालय, जमूरतगंज, फैजाबाद ..	१९३८	२५०	१,७९,७९९
५–मैकलारन कुष्ट चिकित्सालय, देहरादून ..	१८७९	८८	१,९०,३००
६–कुष्ट चिकित्सालय, रुड़की, सहारनपुर ..	लगभग ६० साल पूर्व	२१	३३,०००
७–श्रीमती भगवानदेई कुष्ट चिकित्सालय, कानपुर	१९३३	५०	१,०२,५२९
८–कुष्ट चिकित्सालय, मुरादाबाद ..	१८८९	३८	८,२००
९–कुष्ट चिकित्सालय, हलद्वानी, नैनीताल ..	१९४२	७२	६५,२१८
१०–गुप्ता कुष्ट चिकित्सालय, खीरी ..	१९३६	१०	१६,३३०
११–अमन सभा कुष्ट चिकित्सालय, बहराइच ..	१९२५	२४	१५,९७२
१२–कुष्ट चिकित्सालय, श्रीनगर, गढ़वाल ..	१९०२	१५	१८,७००
१३–कुष्ट चिकित्सालय, आगरा ..	१८६१	५०	१,५००
१४–कुष्ट चिकित्सालय, लखनऊ ..	किंग नसीरुद्दीन के समय में कायम हुआ	३५	७३,५८९
१५–कुष्ट चिकित्सालय, गोरखपुर ..	१९५१	२८	कुछ नहीं
१६–राजा काली शंकर घोशाल कुष्ट चिकित्सालय बनारस ..	१८२४	४५	१२,६४१

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६–४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८६ पर)

अस्पताल का नाम	जब से बन रही है	कब तक बन जाने की आशा है	कितने व्यय का अन्दाज था	कितना व्यय हो चुका है	कितने का काम हुआ	कितने का सामान मौजूद है	अब और कितने व्यय की आवश्यकता होगी
			रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१—भतपार रानी	१९४७	जून, १९५२ आखिर तक	३७,२००	१८,६३३	९,०००	२,३००	३१,२००
२—फाजिल नगर	१९४९	मार्च, १९५३	३७,२००	१३,६७७ रु० ९आ०	७,०००	१,५००	३७,०००
३—कैप्टेनगंज	१९४९	अगस्त, १९५२ के अन्त तक	३७,२००	३४,७००	३४,७००	—	१,५००
४—सदर अस्पताल, देवरिया	१९५१	१९५५ तक	१२,३६,०००	१,००,०००	१,००,०००	सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई।	११,३६,८००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ १९० पर)

फौजदारी

वर्ष	पंचायत अदालत का नाम	दायर हुये मुक़दमों की संख्या	समझौते से तय किये गये मुक़दमों की संख्या	उन मुक़दमों की संख्या जिनमें जुर्माना हुआ
				रु०
१५–८–४९ से ३१–३–५० तक	नगवा	६४	२२	१४
	अचलपुर	७५	३४	११
	सेहरिया	६३	४०	५
१–४–५० से ३१–३–५१ तक	नगवा	७१	२२	११
	अचलपुर	६२	२०	८
	सेहरिया	७०	४१	२
१–४–५१ से १५–७–५२ तक	नगवा	४०	२२	१
	अचलपुर	६३	२६	३
	सेहरिया	३३	१६	३

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—७८ एल० ए०—१९५२—८५०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा